

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2022 के लिए समाप्त वर्ष हेतु**



**SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA**  
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

**संघ सरकार  
वित्त एवं संचार  
वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16  
(अनुपालना लेखापरीक्षा)**



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2022 के लिए समाप्त वर्ष हेतु**

**संघ सरकार  
वित्त एवं संचार  
वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16  
(अनुपालना लेखापरीक्षा)**



विषय-वस्तु

विवरण	संदर्भ	
	पैरा	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v-viii
<b>अध्याय I: प्रस्तावना</b>		
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
सी ए जी द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के प्रकार	1.2	1-2
लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार	1.3	2
लेखापरीक्षा की योजना और संचालन	1.4	2-3
लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों / विभागों का अनुदान और व्यय	1.5	3
संचार मंत्रालय (एम ओ सी)	1.6	3-13
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)	1.7	13-17
वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)	1.8	17-21
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)	1.9	21-22
लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूलियां	1.10	22
लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों / विभागों की प्रतिक्रिया	1.11	22-23
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (सिविल विभाग)	1.12	23
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही - (पी एस यू / ए बी)	1.13	23-24
एम ओ सी / एम ई आई टी वाई / एम ओ एफ के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति	1.14	24
<b>खंड - क</b>		
<b>अध्याय II: डाक विभाग</b>		
डाक विभाग के विरासत भवनों का संरक्षण	2.1	25-38
माल और सेवा कर का गैर / कम भुगतान	2.2	38-41
<b>अध्याय III: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>		
अजमेर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर व्यर्थ व्यय	3.1	42-44
"स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद चित्रण (आई एम आर आई)" परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब	3.2	45-47

खंड - ख		
<b>अध्याय IV: संचार मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		
भारत संचार निगम लिमिटेड में संपदा प्रबंधन	4.1	49-65
बी एस एन एल ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना	4.2	65-76
बी एस एन एल में आधार नामांकन केंद्रों में आधार नामांकन किट की अनुपयोगिता	4.3	76-80
संशोधित टैरिफ दरें लागू नहीं करने से राजस्व की हानि	4.4	80-82
<b>अध्याय V: वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम</b>		
सुरक्षा धागा (चुंबकीय) की खरीद पर व्यर्थ व्यय	5.1	83-85
<b>परिशिष्ट एवं अनुलग्नक</b>		
परिशिष्ट		87-94
अनुलग्नक		95-106
शब्दावली		107-110

### प्राक्कथन

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं संचार मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को सम्मिलित करता है। इस प्रतिवेदन में उल्लेखित उदाहरण, वे हैं जो 2021-22 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे भी जो पूर्व के वर्षों में सामने आये, परन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।







कार्यकारी सार



## कार्यकारी सार

## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की अनुपालना लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। इसमें पाँच अध्याय हैं। **अध्याय I** लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन मंत्रालयों / विभागों की गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देता है अर्थात् संचार मंत्रालय (एम ओ सी) के अधीन दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और डाक विभाग (डी ओ पी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ) के अधीन व्यय विभाग (डी ओ ई) और आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) सहित उनके अधीन स्वायत्त निकायों (ए बी) / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू)। **अध्याय II से V** दो खंडों में विभाजित है। **खंड क**, में **अध्याय II** और **III** शामिल हैं, जो कि क्रमशः संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग (डी ओ पी) और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुपालना लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्षों / टिप्पणियों के सम्बन्ध में है जबकि **खंड ख** में **अध्याय IV** और **V** शामिल हैं, जो क्रमशः संचार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के सम्बन्ध में हैं।

प्रतिवेदन में शामिल पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

## खंड - क

## मंत्रालय / विभाग

## अध्याय II: डाक विभाग (डी ओ पी)

## डाक विभाग के विरासत भवनों का संरक्षण

संरक्षण नीति और एक समर्पित संगठनात्मक संरचना के अभाव के कारण संरक्षण के प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई। डाक विभाग द्वारा अपने विरासत भवनों की पहचान और प्रलेखन पूरा करने में देरी के कारण समय के साथ उनकी स्थिति और खराब हुई। विभाग ने अपने विरासत भवनों के संरक्षण के लिए कभी भी विशेष एजेंसियों को शामिल नहीं किया और सिविल कार्यों को पूरा करने के दौरान मौजूदा नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया। विभाग को इसकी अनिवार्य गतिविधियों के लिए आवंटित धन अपर्याप्त था। अपर्याप्त योजना और खराब प्रबंधन के साथ-साथ समय-समय पर भौतिक सत्यापन न होने से विरासत भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को और बढ़ा दिया। इस प्रकार, विभाग के पास अपने विरासत भवनों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए आवश्यक उद्देश्य और एक उपयुक्त रणनीति का अभाव था।

डाक विभाग विचार कर सकता है:

- ❖ पर्याप्त संसाधनों के आवंटन सहित सर्किलों में विरासत संरचनाओं की पहचान और संरक्षण / रखरखाव में अपेक्षित स्पष्टता लाने के लिए एक व्यापक संरक्षण नीति विकसित करना।
- ❖ शीघ्र निर्णय लेना सुनिश्चित करने के लिए विरासत शाखा (सितंबर 2020 में बनाई गई) की शक्तियों और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

डी ओ पी में सभी विरासत भवनों से संबंधित मामलों को पर्याप्त रूप से संभालने के लिए इसे नोडल विभाग / समर्पित सेल बनाया जाना चाहिए।

(पैराग्राफ 2.1)

### माल और सेवा कर का गैर / कम भुगतान

डाक विभाग (डी ओ पी) अपने अधीनस्थ कार्यालयों को डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की खरीद के लिए अपने बिक्री दल को भुगतान किए गए कमीशन पर रिवर्स चार्ज के आधार पर जी एस टी का भुगतान करने के निर्देश जारी करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹42.48 करोड़ जी एस टी की राशि का गैर / कम भुगतान हुआ। इसके अलावा, डी ओ पी अपने स्वयं के राजस्व और माल और सेवा कर (जी एस टी) घटक के बीच आधार से संबंधित सेवाओं पर यू आई डी ए आई से प्राप्त वित्तीय सहायता को अलग करने में भी विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मई 2018 से जुलाई 2022 की अवधि के लिए ₹9.00 करोड़ की जी एस टी राशि का गैर / कम भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 2.2)

### अध्याय-III: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

#### अजमेर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना पर व्यर्थ व्यय

मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) बड़े क्षेत्र के सौर फोटो वोल्टाइक पैनल और दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने से पहले अजमेर और उसके आस-पास औद्योगिक विकास का सर्वेक्षण करने में विफल रहा। खराब / अकुशल योजना के साथ-साथ अप्रभावी निगरानी के कारण अजमेर में इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर (ई टी डी सी) की स्थापना पर ₹21.83 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

#### “स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद चित्रण (आई एम आर आई)” परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब

प्रस्तावित चुंबक के डिजाइन की वैधता के लिए सलाहकार की नियुक्ति में देरी के कारण चुंबक के निर्माण से सम्बन्धित प्रगति में काफी देरी हुई। नतीजतन, कम लागत वाले एम आर आई स्कैन प्रदान करने का परियोजना उद्देश्य अभी तक परियोजना आयोजन और निष्पादन में कमियों के कारण प्राप्त नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

## खंड - ख

### मंत्रालयों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

#### अध्याय IV: संचार मंत्रालय (एम ओ सी) के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

##### भारत संचार निगम लिमिटेड में संपदा प्रबंधन

बी एस एन एल के पास पर्याप्त भूमि और अचल परिसंपत्ति है, लेकिन उसने व्यापक संपदा प्रबंधन नीति स्थापित नहीं की है। यहां तक कि एक भूमि प्रबंधन नीति, जैसा कि पी ए सी

को आश्वासन दिया गया है, व्यापक रूप से तैयार नहीं की गई है। कंपनी के पास आज तक अपनी अचल परिसंपत्तियों का समायोजित और वैध केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं है। पी ए सी को आश्वासन के बावजूद, बी एस एन एल के पास अपनी अचल परिसंपत्ति के स्वामित्व के अधूरे रिकॉर्ड हैं, जो बिक्री या किराये के माध्यम से परिसंपत्ति के उपयोग में बाधक हैं। ऐसे मामलों में भी जहां कंपनी के पास स्वामित्व का स्पष्ट अधिकार है, वह अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपनी खाली भूमि और निर्मित स्थानों का व्यावसायिक उपयोग करने में असमर्थ था। हालांकि इस मुद्दे को पी ए सी द्वारा उठाया गया था, कंपनी अभी भी अतिक्रमण के खतरे से जूझ रही है और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। मुद्दीकरण के लिए संपत्तियों के चयन और प्रस्ताव में उचित प्रयास की कमी के कारण लक्षित मुद्दीकरण गंभीर रूप से बाधित हुआ।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बी एस एन एल विभिन्न डेटा सेटों का मिलान कर सकता है और अचल परिसंपत्तियों के सटीक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है। बी एस एन एल उन एजेंसियों के साथ कानूनी अधिकारों और समझौतों को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य बिंदुओं के साथ एक समयबद्ध योजना भी बना सकता है, जिन्होंने कंपनी की भूमि को पट्टे पर लिया है या कब्जा किया हुआ है।

(पैराग्राफ 4.1)

#### **बी एस एन एल ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना**

दूरसंचार आयोग ने, भुगतान के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बी एस एन एल के टेलीफोन एक्सचेंजों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करने वाले 25,000 हॉटस्पॉट वाई-फाई स्थापित करने के लिए दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को दिसंबर 2016 में मंजूरी दी। इस परियोजना को वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) से वित्तपोषित किया जाना था।

बी एस एन एल ने ग्रामीण एक्सचेंजों में वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करने और दूरसंचार आयोग को प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यक उचित सावधानी नहीं बरती। परिणामस्वरूप, 13.77 प्रतिशत साइटों को बंद कर दिया गया या स्थानांतरित कर दिया गया और इन एक्सचेंजों में हॉटस्पॉट स्थापित करने पर किया गया व्यय निष्फल था। इसके अलावा, दस टेलीकॉम सर्किलों में 700 वाई-फाई हॉटस्पॉट को चालू करने में 790 दिनों (26 महीने तक) तक की देरी हुई थी। इसके अलावा, स्थापित किए गए वाई-फाई हॉटस्पॉट्स की संख्या बढ़ने के साथ डाउनटाइम पेनल्टी भी बढ़ गई। इसके कारण, बी एस एन एल ने 2017-18 से 2021-22 के दौरान संशोधित परियोजना लागत का 9.45 प्रतिशत तक भारी जुर्माना अदा किया।

लेखापरीक्षा सिफारिश करती है कि बी एस एन एल को किसी भी योजना के कार्यान्वयन के मुद्दों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करते समय लोक निधि का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; बी एस एन एल को जरूरत पड़ने पर निर्धारित वाई-फाई हॉटस्पॉट को नवीनतम तकनीक में अपग्रेड करके आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्थिर राजस्व अर्जन मॉडल तैयार करना चाहिए और स्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट्स के प्रभावी प्रदर्शन और

## **वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16**

रखरखाव की ओर भी ध्यान देना चाहिए, उचित प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए और इस तरह डाउनटाइम पेनल्टी को कम करना चाहिए।

**(पैराग्राफ 4.2)**

### **बी एस एन एल में आधार नामांकन केंद्रों में आधार नामांकन किट की अनुपयोगिता**

बी एस एन एल ने 2018-19 के दौरान ₹77.88 करोड़ मूल्य के 6,000 आधार नामांकन किट खरीदे। उनमें से 3,941 किट दिसंबर 2022 तक अनुपयोगी रहीं। इसके परिणामस्वरूप ₹51.15 करोड़ की सरकारी निधि अवरुद्ध हो गई। इसके अलावा, यू आई डी ए आई ने बी एस एन एल पर ₹0.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

**(पैराग्राफ 4.3)**

### **संशोधित टैरिफ दरें लागू नहीं करने से राजस्व की हानि**

लेखापरीक्षा में देखा गया कि कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट, आई डी आर लिंक के लिए निर्धारित शुल्क लागू करने के बजाय ओ एफ सी / कॉपर मीडिया के लिए लागू सामान्य पट्टा लाइन दरों पर इंटरमीडिएट डेटा रेट (आई डी आर) सैटेलाइट लिंक के लिए बिल जारी करता रहा। इसी तरह, ओडिशा टेलीकॉम परिमण्डल ने समय-समय पर बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा संशोधन के बाद वार्षिक किराये के बिलों को संशोधित नहीं किया। कम बिलिंग की कुल राशि ₹4.26 करोड़ (₹0.77 करोड़ के कर को छोड़कर) थी।

**(पैराग्राफ 4.4)**

## **अध्याय V: वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

### **सुरक्षा धागा (चुंबकीय) की खरीद पर व्यर्थ व्यय**

एस पी एम होशंगाबाद ने ₹7.82 करोड़ मूल्य का 7.5 मीट्रिक टन अतिरिक्त सुरक्षा धागा (चुंबकीय) खरीदा, जो पांच साल से अधिक समय से स्टोर में बेकार पड़ा हुआ था और बाद में स्टॉक रजिस्टर में ₹1 के शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर अनुपयोगी वस्तु घोषित किया गया, जो दर्शाता है कि कच्चा माल अब उपयोग में नहीं लाया जा सकता था।

**(पैराग्राफ 5.1)**

अध्याय	प्रस्तावना
I	

### 1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

वित्त एवं संचार (एफ एंड सी) लेखापरीक्षा कार्यालय का एक विशाल लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार है जिसमें संचार मंत्रालय (एम ओ सी) (दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और डाक विभाग (डी ओ पी)), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन (एम ओ एस पी आई) और वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) एवं व्यय विभाग (डी ओ ई)) के साथ ही इन मंत्रालयों के अंतर्गत वर्ष 2021-22 के दौरान 21 सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम और चार स्वायत्त निकाय शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में, वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2021-22 के लिए भारत सरकार के अधीन उपरोक्त मंत्रालयों / विभागों सहित इन मंत्रालयों / विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) / स्वायत्त निकायों (ए बी) के लेन-देन की अनुपालना लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन के दो खंड हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में मंत्रालयों / विभागों से संबंधित अनुपालना लेखापरीक्षा मुद्दे शामिल हैं। जबकि खंड ख में मंत्रालयों / विभागों के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) / स्वायत्त निकायों (ए बी) से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इस प्रतिवेदन के अध्याय इस प्रकार हैं:

**अध्याय I** लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों / विभागों व इन मंत्रालयों / विभागों के अधीन प्रमुख पी एस यू / ए बी का विवरण प्रदान करता है और उनकी प्राप्ति और व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है।

**खंड क** के तहत **अध्याय II** और **III** में क्रमशः संचार मंत्रालय के अधीन डाक विभाग और इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की लेखापरीक्षा से उद्भूत निष्कर्ष / टिप्पणियां शामिल हैं।

**खंड ख** के तहत **अध्याय IV** और **V** में क्रमशः संचार मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा से उद्भूत महत्वपूर्ण टिप्पणियां शामिल हैं।

### 1.2 सी ए जी द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के प्रकार

सी ए जी मुख्य रूप से तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करता है, नामतः वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालना लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा। वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों के समुच्चय पर लेखापरीक्षा राय की अभिव्यक्ति है, जबकि निष्पादन लेखापरीक्षा इस बात की जांच करने का प्रयास करती है कि अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रभावशीलता के संबंध में कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया गया था। अनुपालना लेखापरीक्षा भारत के संविधान के प्रावधानों के साथ-साथ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और विभिन्न आदेशों के अनुपालन की जांच करने और प्रतिवेदन करने के लिए लेखापरीक्षित

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

संस्थाओं की व्यय, प्राप्तियों के साथ-साथ संपत्ति और देनदारियों से संबंधित लेनदेन की जांच को संदर्भित करती है। अनुपालना लेखापरीक्षा में नियमों, विनियमों, आदेशों और निर्देशों की वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य और विवेक की जांच भी शामिल है।

लेखापरीक्षा, सी ए जी के अनुमोदित लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर की जाती है। ये मानक उन मानदंडों को निर्धारित करते हैं जिनका लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा के दौरान पालन करने की अपेक्षा की जाती है और गैर-अनुपालन के प्रत्येक मामले के साथ-साथ उन कमजोरियों पर प्रतिवेदन की आवश्यकता होती है जो लेखापरीक्षित संस्थाओं के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की प्रणालियों में मौजूद हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यपालक को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करने में सक्षम बनाने की उम्मीद है, जिससे संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बेहतर शासन में योगदान होगा।

### 1.3 लेखापरीक्षा के लिए प्राधिकार

सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा और संसद को प्रतिवेदन करने का अधिकार क्रमशः भारत के संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (अधिनियम) से लिया गया है। सी ए जी, सी ए जी (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13 और 17 के तहत भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा करता है। संसद द्वारा या उसके द्वारा बनाए गए कानून के तहत स्थापित और सी ए जी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान वाले निकायों को अधिनियम की धारा 19(2) के तहत लेखापरीक्षा के लिए वैधानिक रूप से लिया जाता है। अधिनियम की धारा 20(1) के तहत जनहित में अन्य संगठनों (निगमों या समितियों) की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी गई है। इसके अलावा, केंद्रीय स्वायत्त निकाय (सी ए बी), जिन्हें भारत की संचित निधि से अनुदानों / ऋणों द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है, की लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 14(1) के तहत सी ए जी द्वारा की जाती है।

### 1.4 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना प्रक्रिया के अनुसार, अनुपालन लेखापरीक्षा के लिए इकाइयों का चयन सामयिकता, भौतिकता, सामाजिक प्रासंगिकता आदि के अलावा जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन में इकाइयों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन, गबन के पूर्व उदाहरण, दुर्विनियोग, गबन आदि के साथ-साथ पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के निष्कर्ष शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा के पूरा होने के बाद इकाइयों के प्रमुखों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं। प्राप्त उत्तरों के आधार पर, जहां आवश्यक हो, विवेचित अनुपालन के लिए कार्रवाई के साथ लेखापरीक्षा टिप्पणियों का निपटान किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित मंत्रालय / विभाग के सचिव से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए को मसौदा पैराग्राफ के रूप में आगे संसाधित किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद / संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाता है। कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार), दिल्ली सी ए जी का क्षेत्रीय कार्यालय है जो सी ए जी कार्यालय




के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत अपने लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के मंत्रालयों / विभागों की लेखापरीक्षा की योजना बनाता है और उनका संचालन करता है।

### 1.5 लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन आने वाले मंत्रालयों / विभागों का अनुदान और व्यय

वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार) के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार क्षेत्र के अधीन मंत्रालयों / विभागों के प्रमुख अनुदानों का विनियोग और व्यय चित्र 1.1 में दिया गया है।

चित्र 1.1 : मंत्रालय / विभागवार अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए संबंधित अनुदानों के विनियोग लेखे

लेखापरीक्षित संस्थाओं की संक्षिप्त रूपरेखा पर अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

### 1.6 संचार मंत्रालय (एम ओ सी)

भारत सरकार के अधीन संचार मंत्रालय में दो विभाग शामिल हैं, नामतः दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) और डाक विभाग (डी ओ पी)। डाक विभाग डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है जबकि दूरसंचार विभाग भारत में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। इसे 19 जुलाई 2016 को संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अलग करके बनाया गया था।

#### 1.6.1 दूरसंचार विभाग (डी ओ टी)

दूरसंचार विभाग नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार है। विभाग आवृत्ति का आवंटन भी करता है और अंतरराष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबंधन करता है। यह

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण का अनुश्रवण करने के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग सरकार की अनुमोदित नीति के अनुसार विभिन्न दूरसंचार परिमंडलों में आधारभूत और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए ऑपरेटरों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

### 1.6.1.1 महत्वपूर्ण दूरसंचार विभाग इकाइयाँ


दूरसंचार विभाग के प्रमुख स्कंधों में क्षेत्रीय कार्यालय जैसे लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एल एस ए) इकाइयाँ, नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए), अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालय जैसे वायरलेस योजना और समन्वय विंग (डब्ल्यू पी सी), दूरचार इंजीनियरिंग केंद्र (टी ई सी), यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (यू एस ओ एफ), महानियंत्रक संचार लेखा, प्रशिक्षण संस्थान जैसे नेशनल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग (एन टी आई पी आर आई टी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस (एन आई सी एफ) और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी - डी ओ टी), जो एक अनुसंधान और विकास इकाई है, शामिल हैं। इसके अलावा, दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल), महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल), टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आइ एल) और आई टी आई लिमिटेड जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं।

### 1.6.1.2 दूरसंचार विभाग का अनुदान और व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान दूरसंचार विभाग का अनुदान और व्यय चित्र 1.2 में दिया गया है।

चित्र 1.2: दूरसंचार विभाग का अनुदान / विनियोजन और व्यय

(₹ करोड़ में)




स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए दूरसंचार विभाग के विनियोजन लेखे

2021-22 में, दूरसंचार विभाग का कुल अनुदान ₹72,937.02 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 08 प्रतिशत कम था। 2021-22 में दूरसंचार विभाग का व्यय ₹43,169.58 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत कम था।

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टी एस पी) से प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क हैं। दूरसंचार प्रचालकों द्वारा भुगतान किए गए लाइसेंस शुल्क की गणना दूरसंचार विभाग द्वारा दिए गए विभिन्न प्रकार के लाइसेंसों के लाइसेंस धारकों द्वारा दूरसंचार सेवाओं से अर्जित राजस्व के निर्धारित प्रतिशत के रूप में की जाती है। स्पेक्ट्रम राजस्व के मुख्य घटक स्पेक्ट्रम की नीलामी से एकत्रित राशि और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा भुगतान किया गया स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क का विवरण चित्र 1.3 में दिया गया है।

चित्र 1.3 : 2017-18 से 2021-22 के दौरान लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए दूरसंचार विभाग के केंद्रीय लेनदेन (एस सी टी) का विवरण

जैसा कि उपरोक्त चित्र में देखा जा सकता है, लाइसेंस शुल्क के संकलन में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, स्पेक्ट्रम राजस्व के संकलन में वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 131 प्रतिशत (₹39,096.24 करोड़) की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी।

### 1.6.1.3 क्षेत्र की नियामक रूपरेखा

#### क. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की स्थापना 20 फरवरी 1997 को संसद के एक अधिनियम द्वारा दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्कों में निर्धारण / संशोधन सहित दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने के लिए की गई थी, जिसका अधिकार पहले केंद्र सरकार के पास

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

था। ट्राई का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा वातावरण प्रदान करना है, जो निष्पक्ष और पारदर्शी हो, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता हो, सभी सेवा प्रदाताओं के लिए समान अवसर प्रदान करने का बढ़ावा देता हो, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता हो और सभी तक तकनीकी लाभ की पहुंच को सक्षम बनाता हो। अधिनियम के तहत, ट्राई के लिए अनिवार्य हैं:

- क. दूरसंचार लाइसेंसों के नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- ख. सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता के मानकों को निर्धारित करना और सेवा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना;
- ग. टैरिफ नीति निर्दिष्ट करना और नए सेवा प्रदाताओं के प्रवेश के लिए शर्तों के साथ-साथ सेवा प्रदाता को लाइसेंस के नियमों और शर्तों की सिफारिश करना;
- घ. टैरिफ नीति, अंतःसंबंध के वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं की निगरानी से संबंधित मुद्दों पर विचार और निर्णय करना;
- ङ. कॉल रूटिंग और कॉल हैंडओवर के सिद्धांत;
- च. विभिन्न सेवा प्रदाताओं के लिए जनता के लिए स्वतंत्र विकल्प और सामान सुगमता;
- छ. विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए बाजार के विकास और विविध नेटवर्क संरचनाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्षों का समाधान;
- ज. मौजूदा नेटवर्क और प्रणालियों के उन्नयन की आवश्यकता; तथा
- झ. सेवा प्रदाताओं के बीच बातचीत के लिए मंचों का विकास और उपभोक्ता संगठनों के साथ प्राधिकरण की बातचीत

ट्राई प्रसारण और केबल सेवाओं और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मामले में या तो स्वतः या लाइसेंसकर्ता यानी डी ओ टी, एम ओ सी या सूचना और प्रसारण मंत्रालय (आई एंड बी) के संदर्भ में सिफारिशें भी करता है। यह हितधारकों को निर्देश जारी करने से पहले उनके साथ चर्चा से संबंधित विषयों पर परामर्श पत्र प्रकाशित करता है।

ट्राई ने वर्ष के दौरान प्राप्त ₹113.06 करोड़ के सहायता अनुदान में से ₹91.43 करोड़ की राशि का उपयोग किया है। वर्ष 2021-22 के दौरान, ट्राई ने 13 परामर्श पत्र और चार सिफारिशें जारी की हैं।

### ख. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी एस ए टी)

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टी डी एस ए टी) की स्थापना 24 जनवरी 2000 को ट्राई अधिनियम में संशोधन के माध्यम से एक लाइसेंसकर्ता और एक लाइसेंसधारी के बीच, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के बीच, एक सेवा प्रदाता और एक उपभोक्ताओं के समूह के बीच किसी भी विवाद का निपटान करने और ट्राई के किसी भी निर्देश, निर्णय या आदेश के खिलाफ अपील सुनने और निपटान करने के लिए की गई थी।

### 1.6.1.4 यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (यू एस ओ एफ)

ग्रामीण टेलीफोनी को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार (जी ओ आई) ने 01 अप्रैल 2002 से संसद के एक अधिनियम द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड (यू एस ओ एफ) का गठन किया। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन (यू एस ओ) को पूरा करने के लिए संसाधनों को

यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) के माध्यम से विभिन्न लाइसेंसों के तहत सभी दूरसंचार ऑपरेटरों द्वारा अर्जित राजस्व के प्रतिशत के रूप में जुटाया जाना था। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 2003 के पैरा 9बी के अनुसार, यू एस ओ एफ के लिए प्राप्त राशि पहले भारत की संचित निधि में जमा की जाएगी और यदि संसद इस संबंध में विनियोग द्वारा ऐसा प्रावधान करती है, तो केंद्र सरकार इस तरह की आय को यू एस ओ के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने हेतु समय-समय पर निधि में जमा कर सकती है। यू एस ओ एफ के माध्यम से कार्यान्वयन के तहत भारतनेट परियोजना, बी एस एन एल के ग्रामीण एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना, पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) और द्वीपों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सी टी डी पी), एल डब्ल्यू ई चरण II, आदि महत्वपूर्ण योजनाएं हैं।

पिछले पांच वर्षों में निधि से प्राप्ति और व्यय का विवरण तालिका 1.1 के अनुसार है।

तालिका 1.1: यू एस ओ एफ से प्राप्ति और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्ति (यूनिवर्सल एक्सेस लेवी)	यू एस ओ फंड में अंतरण		कोष में वास्तविक अंतरण	वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में लघु अंतरण	निधि से वास्तविक संवितरण	यू जी एफ ए के अनुसार निधि में शेष राशि
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2)-(5)	(7)	(8)
2017-18	7,019.26	11,636.18	7,000.00	7,000.00	19.26	7,000.00	0.00
2018-19	6,911.50	10,000.00	5,000.00	4,788.22	2,123.28	4,788.22	0.00
2019-20	7,961.53	8,350.00	3,000.00	2,926.00	5,035.53	2,926.00	0.00
2020-21	9,471.23	8,000.00	7,200.00	7,200.00	2,271.23	7,200.00	0.00
2021-22	10,376.23	9,000.00	8,300.00	8,300.00	2,076.23	8,300.00	0.00

स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक संघ सरकार के वित्त लेखे (यू जी एफ ए) और के बजट दस्तावेजों का व्यय विवरण

तालिका 1.1 दर्शाती है कि 2021-22 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के संदर्भ में नामित निधि में यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यू ए एल) का हस्तांतरण कम था और यू ए एल का लघु हस्तांतरण अधिक था।

#### 1.6.1.5 डी ओ टी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डी ओ टी के अधीन कुल 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। 31 मार्च 2022 के अंत तक इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुल पूंजीगत निवेश ₹14,178.03 करोड़ था (विवरण परिशिष्ट I के अनुसार)। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

#### क. भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल)


अक्टूबर 2000 में गठित भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) जो भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में है, दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बी एस एन एल एक प्रौद्योगिकी-उन्मुख कंपनी है और विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं जैसे

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

लैंडलाइन पर टेलीफोन सेवाएं, स्थानीय लूप में वायरलेस (डब्ल्यू एल एल) और मोबाइल सम्प्रेषण के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था (जी एस एम), ब्रॉडबैंड, इंटरनेट, लीज्ड सर्किट और लंबी दूरी की दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। मार्च 2022 के अंत में कंपनी में सरकारी निवेश ₹12,500 करोड़ था और वर्ष 2021-22 के दौरान कुल राजस्व और हानि क्रमशः ₹19,052.59 करोड़ और ₹6,981.62 करोड़ थी।

पिछले पांच वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन चित्र 1.4 में दिया गया है।

चित्र 1.4: पिछले पांच वर्षों के दौरान बी एस एन एल का प्रदर्शन



(स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए बी एस एन एल की वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई द्वारा प्रदर्शन संकेतक)

जैसा कि चित्र 1.4 से स्पष्ट है, वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक वायरलेस उपभोगता आधार में लगातार वृद्धि हुई है परन्तु वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान उपभोगता आधार में कमी आई है। हालांकि, पूर्व वर्ष से 2021-22 के दौरान कंपनी के राजस्व में वृद्धि हुई है। कंपनी के राजस्व के मुख्य स्रोत सेल्युलर, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज ऑपरेशन्स थे। बी एस एन एल भारतनेट परियोजना, वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना (सी टी डी पी), इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंडविड्थ किराए पर लेना, अंडमान और निकोबार द्वीप में बैंडविड्थ की वृद्धि, आदि जैसी विभिन्न यू एस ओ एफ योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है।


**ख. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल)**

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की स्थापना 1986 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में की गई थी और यह दिल्ली और मुंबई में दूरसंचार नेटवर्क के नियंत्रण, प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार है। एम टी एन एल इन दो महानगरों में फिक्स्ड लाइन दूरसंचार सेवाओं और जी एस एम मोबाइल सेवाओं का प्रमुख प्रदाता है। एम टी एन एल अलग-अलग गैर-अनन्य लाइसेंस समझौते के तहत दिल्ली और मुंबई में डायल अप इंटरनेट सेवाएं भी उपलब्ध कराता है। यह ब्रॉडबैंड और 3जी सेवाएं भी प्रदान करता है। एम टी एन एल एक सूचीबद्ध कंपनी है और मार्च 2022 के अंत में ₹354.38 करोड़ मूल्य के 56.25 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं और बाकी निजी शेयरधारकों के पास हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,696.9 करोड़ था और इसने ₹2,602.59 करोड़ का घाटा उठाया।

पिछले पांच वर्षों में कंपनी का समग्र प्रदर्शन चित्र 1.5 में दिया गया है।

**चित्र 1.5: पिछले पांच वर्षों के दौरान एम टी एन एल का प्रदर्शन**

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए एम टी एन एल की वार्षिक प्रतिवेदन और ट्राई द्वारा निष्पादन संकेतक

उपरोक्त चित्र से यह स्पष्ट है कि वायरलेस उपभोगता आधार में स्थिरता है और वायरलाइन उपभोगता की संख्या में गिरावट है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के राजस्व में लगातार गिरावट आई है।

**ग. मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)**

मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल) का गठन महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम टी एन एल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में वर्ष 2000 में पनडुब्बी

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

केबल परियोजना की स्थापना और आई टी समाधान प्रदान करने के लिए किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹0.31 करोड़ था और इसने ₹0.20 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### घ. आई टी आई लिमिटेड

आई टी आई दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आई टी आई ने 1948 में बेंगलुरु में अपना परिचालन शुरू किया, जिसे जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली एवं मनकापुर और केरल के पलक्कड़ में विनिर्माण संयंत्र स्थापित करके अन्य क्षेत्रों में विस्तारित किया गया। 31 मार्च 2022 तक सरकार के पास ₹1,204.45 करोड़ मूल्य के कंपनी के 97.80 प्रतिशत शेयर थे। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹2,115.30 करोड़ और ₹121.06 करोड़ था।

### ङ दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल), दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ 1978 में स्थापित की गई थी, ताकि उचित विपणन रणनीतियाँ विकसित करके और अत्याधुनिक तकनीक हासिल करके विदेशी और घरेलू बाजारों में अपने परिचालन में उत्कृष्टता हासिल की जा सके। मार्च 2022 के अंत में कंपनी में सरकार का निवेश ₹59.20 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व और लाभ क्रमशः ₹1,595.70 करोड़ और ₹30.33 करोड़ था।

### च. भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)

भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल), एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस पी वी), जो पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है, को 2012 में कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना (एन ओ एफ एन) को निष्पादित करने के लिए निगमित किया गया था। बी बी एन एल को मौजूदा फाइबर का उपयोग करके और जहां भी आवश्यक हो वहाँ वृद्धिशील फाइबर बिछा के देश के करीब 2.50 लाख ग्राम पंचायतों (जी पी) को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है, जो पर्याप्त बैंडविड्थ के साथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा और ग्राम पंचायतों और ब्लॉकों के बीच अनुयोजकता अंतर की समस्या को दूर करेगा। 31 मार्च 2022 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹60.00 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान अर्जित राजस्व ₹1,515.31 करोड़ था और घाटा ₹2.49 करोड़ था।

### 1.6.2 डाक विभाग (डी ओ पी)

भारत का डाक नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जिसमें 1.56 लाख से अधिक डाकघर हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यह अपनी सेवाओं को देश के दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाता है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि मेल का प्रसंस्करण, संचरण और वितरण है, इसमें धन प्रेषण, बैंकिंग के साथ-साथ बीमा सहित विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं भी करता है। यह सैन्य और रेलवे पेंशनभोगियों को पेंशन और पारिवारिक पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों को और कोयला खदान



कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन के वितरण में भी लगा हुआ है। डाक विभाग को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एम जी एन आर ई जी एस) और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे केंद्र सरकार के कार्यक्रमों के तहत सामाजिक लाभ भुगतान के वितरण की जिम्मेदारी भी दी गई है।

विभाग ने बड़े पैमाने पर नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने और नागरिकों के लाभ के लिए व्यापक क्षेत्र कवरेज सुनिश्चित करने के लिए डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों के रूप में डाकघर के नेटवर्क का लाभ उठाने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ करार किया है। सरकार डाकघरों में आधार नामांकन सह अद्यतन केंद्र स्थापित करने के लिए भी विभाग को अनिवार्य किया गया है।

व्यावसायिक गतिविधियों को अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने और विशिष्ट ग्राहक आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिए, विभाग ने कई प्रीमियम सेवाएं जैसे स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रिटेल पोस्ट, लॉजिस्टिक्स पोस्ट आदि और ई-उत्पादों की एक पूरी श्रृंखला जैसे ई-पोस्ट, ई-पेमेंट, ई-पोस्ट ऑफिस आदि शुरू की है।


विभाग ने उन्नत प्रौद्योगिकी और अनुयोजकता के माध्यम से परिचालन दक्षता को बदलने और डाक इकाइयों की सेवा उपलब्ध कराने में सुधार के उद्देश्य से आई टी आधुनिकीकरण परियोजना लागू की है। इसने 1.56 लाख से अधिक डाकघरों को जोड़ा है, जिनमें से 90 प्रतिशत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, इस प्रकार विभाग के सभी प्रकार के जवाबदेह मेल, पार्सल और अन्य कार्यों / सेवाओं की ट्रेकिंग और ट्रेसिंग को सक्षम बनाता है।

### 1.6.2.1 वित्तीय निष्पादन

विभाग की आय 'राजस्व प्राप्तियां' और 'वसूली'<sup>1</sup> के रूप में होती है। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां, वसूलियां और राजस्व व्यय चित्र 1.6 में दर्शाए गए हैं।

चित्र 1.6: डाक विभाग की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए डाक विभाग के विनियोग लेखे

<sup>1</sup> अन्य सरकारों और संघ सरकार के विभागों को प्रदान की गई सेवाओं के लिए वसूली का प्रतिनिधित्व करता है

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

राजस्व प्राप्तियां 2017-18 में ₹12,832.76 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹10,860.80 करोड़ हो गई। यद्यपि पिछले तीन वर्षों के दौरान वसूली में लगातार वृद्धि हुई है, राजस्व व्यय, जो 2020-21 में ₹29,261.20 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹30,924.06 करोड़ हो गया, में वृद्धि के कारण घाटा बढ़ता रहा। राजस्व व्यय में वृद्धि का कारण कार्यचालन व्यय जैसे वेतन और भत्ते, आकस्मिक व्यय, बोनस, महंगाई भत्ता, पेंशन शुल्क और अन्य शुल्कों में वृद्धि है।

### 1.6.2.2 डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा

डाक जीवन बीमा (पी एल आई), देश का सबसे पुराना जीवन बीमाकर्ता, 01 फरवरी 1884 को डाक कर्मचारियों के लाभ के लिए एक कल्याणकारी योजना के रूप में शुरू किया गया था और बाद में वर्ष 1888 में टेलीग्राफ विभाग के कर्मचारियों के लिए विस्तारित किया गया था। 1894 में, पी एल आई ने पी एंड टी विभाग की महिला कर्मचारियों को बीमा कवर दिया जब कोई अन्य बीमा कंपनी महिला जीवन को कवर नहीं करती थी।

अब इसमें केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, न्यूनतम 10 प्रतिशत सरकारी / पी एस यू हिस्सेदारी वाले संयुक्त उद्यमों, क्रेडिट सहकारी समितियों आदि के कर्मचारी शामिल हैं। पी एल आई रक्षा सेवाओं और अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों और कर्मचारियों को बीमा कवर भी प्रदान करता है।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आर पी एल आई) 24 मार्च 1995 को भारत के ग्रामीण लोगों के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, श्री आर एन मल्होत्रा की अध्यक्षता में बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आधिकारिक समिति की सिफारिशों पर शुरू किया गया था। योजना का मुख्य उद्देश्य सामान्य रूप से ग्रामीण जनता को बीमा कवर प्रदान करना और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों और महिला श्रमिकों को लाभान्वित करना और ग्रामीण आबादी के बीच बीमा जागरूकता फैलाना भी है।

पिछले पांच वर्षों के लिए पी एल आई और आर पी एल आई व्यवसाय की प्रवृत्ति तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2: पी एल आई और आर पी एल आई का व्यवसाय

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	चालू पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)	चालू पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)
2017-18	43,59,855	1,16,499.40	1,36,61,694	80,811.39
2018-19	39,33,973	1,17,045.90	1,30,80,337	80,568.72
2019-20	नए व्यवसायों के छोटे छोटे भागों / कमियों आदि से संबंधित सांख्यिकीय डेटा प्रदान नहीं किया गया है।			
2020-21	45,45,642	कुल बीमा राशि प्रदान नहीं की गई।	51,10,828	कुल बीमा राशि प्रदान नहीं की गई।
2021-22	47,50,301	2,02,709.24	57,81,732	73,068.25

स्रोत: वर्ष 2021-22 के लिए डाक विभाग (वित्तीय समीक्षा) के विनियोग लेखे

पिछले पांच वर्षों के दौरान जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या तालिका 1.3 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.3: जारी की गई नई पॉलिसियाँ

वर्ष	डाक जीवन बीमा		ग्रामीण डाक जीवन बीमा	
	वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)	वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों की संख्या	बीमित राशि (₹ करोड़ में)
2017-18	2,43,654	13,305.73	5,23,899	7,298.29
2018-19	2,89,908	17,094.44	7,72,650	9,875.79
2019-20	सांख्यिकीय डेटा प्रदान नहीं किया गया			
2020-21	2,85,032	18,707.04	7,09,344	10,673.34
2021-22	4,84,224	30,082.29	10,56,445	18,368.69

स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए डाक विभाग (वित्तीय समीक्षा) के विनियोग लेखे

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, वर्ष के दौरान जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और बीमित राशि में वृद्धि हुई है, जो कि पी एल आई और आर पी एल आई दोनों के लिए पिछले पांच वर्षों के दौरान सबसे अधिक थी।

### 1.6.2.3 डाक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डाक विभाग के पास अगस्त 2016 में निगमित, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड नामक केवल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है।

#### क. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी)

इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आई पी पी बी) को 17 अगस्त 2016 को डी ओ पी के अधीन एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में निगमित किया गया था, जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने और की दृष्टि से भारत सरकार की 100 प्रतिशत इक्विटी थी। बैंक की दो प्रायोगिक शाखाएं 30 जनवरी 2017 को झारखंड के रांची और छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू की गई थी और 01 सितंबर 2018 को पूरे भारत में परिचालन शुरू किया गया था। आई पी पी बी बचत व चालू खातों जैसे ₹1 लाख तक के शेष राशि की मांग जमा, संस्थाओं और व्यक्तियों के बीच डिजिटल रूप से सक्षम भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रस्तावित करता है और बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड हाउस, पेंशन प्रदाताओं, बैंकों, अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण संगठन, आदि के साथ साझेदारी में बीमा, म्यूचुअल फंड, पेंशन, क्रेडिट उत्पादों और विदेशी मुद्रा जैसी तृतीय पक्ष वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी प्रदान करता है।

31 मार्च 2022 के अंत तक सरकार का कुल पूंजीगत निवेश ₹1,455.00 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए ₹200 करोड़ का पूंजीगत निवेश शामिल है। 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹461.20 करोड़ था और घाटा ₹982.49 करोड़ था।

### 1.7 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई)

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लाइसेंस के अलावा अन्य सभी मामले) में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए जिम्मेदार है।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16


एम ई आई टी वाई के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए, या तो सीधे या इसके अधिकार क्षेत्र में इसके उत्तरदायित्व केंद्रों (संगठनों / संस्थानों) के माध्यम से योजनाओं को तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। प्रौद्योगिकी को मजबूत और अत्याधुनिक बनाने के लिए अकादमिक और निजी / सार्वजनिक क्षेत्र का सहयोग भी मांगा गया है।

एम ई आई टी वाई भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को डिजिटल सेवाओं, डिजिटल पहुंच, डिजिटल विभाजन को पाटने, डिजिटल समावेशन और डिजिटल सशक्तिकरण सुनिश्चित करके भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

एम ई आई टी वाई द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ प्रमुख योजनाओं / कार्यक्रमों में इलेक्ट्रॉनिक्स और आई टी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और नेशनल नॉलेज नेटवर्क शामिल हैं। 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एम ई आई टी वाई द्वारा किए गए व्यय की तुलना में प्राप्त अनुदान चित्र 1.7 में दिया गया है।

चित्र 1.7: अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए एम ई आई टी वाई के विनियोग खाते

2021-22 में, एम ई आई टी वाई का कुल अनुदान ₹9,720.73 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 39 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार, 2021-22 में एम ई आई टी वाई का व्यय ₹8,256.27 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

मंत्रालय को आवंटित व्यवसाय को चलाने के लिए एम ई आई टी वाई के दो संलग्न कार्यालय (नामतः, एन आई सी, एस टी क्यू सी), छह स्वायत्त सोसाइटी (नामतः, सी डी ए सी, सी एम

ई टी, एन आई ई एल आई टी, एस ए एम ई ई आर, एस टी पी आई और ई आर एन ई टी इंडिया), तीन खंड 8 कंपनियाँ [नामतः, एन आई सी एस आई, एन आई एक्स आई और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)], तीन वैधानिक संगठन (नामतः, सी सी ए, आई सी ई आर टी और यू आई डी ए आई) और तीन कंपनियाँ (नामतः, सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) हैं।

### 1.7.1 एम ई आई टी वाई के संलग्न कार्यालयों की रूपरेखा

#### क. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क बैंकबोन और ई-गवर्नेंस सहायता प्रदान करता है। यह (क) केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, (ख) राज्य क्षेत्र और राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, और (ग) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

#### ख. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एस टी क्यू सी)

एस टी क्यू सी, वर्ष 1980 में स्थापित, अपने ग्राहकों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने के लिए और आई टी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एम ई आई टी वाई के अधिदेश के साथ संरेखित करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विश्वशनीय सेवा प्रदाता है।

### 1.7.2 भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई), एम ई आई टी वाई के अधीन भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 ("आधार अधिनियम 2016") के प्रावधानों के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण है।

एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित होने से पूर्व, यू आई डी ए आई, तत्कालीन योजना आयोग (अब नीति आयोग) के 28 जनवरी 2009 की राजपत्र अधिसूचना के तहत के एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था। बाद में, 12 सितंबर 2015 को, सरकार ने यू आई डी ए आई को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई) तत्कालीन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में संलग्न करने के लिए व्यवसाय नियमों के आवंटन को संशोधित किया।

यू आई डी ए आई को भारत के सभी निवासियों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यू आई डी), "आधार" नामक एक विशिष्ट पहचान जारी करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जो (क) डुप्लिकेट और नकली पहचान को खत्म करने के लिए पर्याप्त मजबूत है, और (ख) एक आसान, किफायती तरीके से सत्यापित और प्रमाणित किया जा सकता है।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

यू आई डी ए आई ने 2021-22 के दौरान ₹1,578 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया और इसने ₹1,564.54 करोड़ खर्च किए। यू आई डी ए आई प्रमाणीकरण और नामांकन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त शुल्क के माध्यम से भी राजस्व अर्जित करता है। सभी प्राप्तियां मार्च 2019 से सरकार द्वारा सृजित यू आई डी ए आई कोष में जमा की जाती हैं।

### 1.7.3 एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू)

एम ई आई टी वाई के अधीन पांच पी एस यू हैं। 31 मार्च 2022 के अंत में इन पी एस यू में कुल पूंजीगत निवेश ₹2.00 करोड़ था (विवरण परिशिष्ट I के अनुसार)। विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन महत्वपूर्ण पी एस यू का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

#### क. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डी आई सी)

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत स्थापित एक 'गैर लाभकारी' कंपनी है, जिसका उद्देश्य आम आदमी तक आई सी टी के लाभ को पहुंचाना है। कंपनी के अनुप्रयोग क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आजीविका और विकलांगों के सशक्तिकरण के लिए आई सी टी का उपयोग शामिल है। कंपनी गारंटी द्वारा सीमित है और इसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) और 143(6) के प्रावधानों के तहत इस कंपनी की लेखापरीक्षा सी ए जी को सौंपी गई थी। कंपनी विकास कार्य करने के लिए अग्रणी संस्थानों के साथ काम करती है। 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान इसकी कुल आय ₹143.06 करोड़ थी (मुख्य रूप से सहायता अनुदान के कारण)।

#### ख. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एन आई सी एस आई) की स्थापना 1995 में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तहत सरकारी संगठनों को कुल आई टी समाधान प्रदान करने के लिए की गई थी। एन आई सी एस आई का मुख्य उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देकर भारत को आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,477.64 करोड़ था और इसने ₹46.17 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

#### ग. सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड

सार्वजनिक सेवा केंद्र (सी एस सी) योजना डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। सी एस सी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एम ई आई टी वाई द्वारा सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो एक विशेष प्रयोजन वाहन है, की स्थापना की गई है। सी एस सी एस पी वी योजना की प्रणालीगत व्यवहार्यता और स्थिरता सुनिश्चित करने के अलावा, सी एस सी के माध्यम से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए एक केंद्रीकृत सहयोगी ढांचा प्रदान करता है। कंपनी की प्रदत्त पूंजी ₹58.26 करोड़ थी; वर्ष 2021-22 के दौरान कुल राजस्व ₹1,804.92 करोड़ था और इसने ₹141.02 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### घ. सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

2016 की शुरुआत में, सी एस सी वाई-फाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती और विश्वसनीय आई सी टी समाधान के विकास के लिए स्थापित किया गया था।

वाई-फाई चौपाल निम्नलिखित सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है:

- ❖ सभी ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
- ❖ फाइबर रखरखाव, पेशेवर टीमों के साथ जी पी ओ एन बुनियादी ढांचा।
- ❖ वाई-फाई ऑडियो / वीडियो कॉलिंग समाधान।
- ❖ ऑफलाइन सामग्री स्ट्रीमिंग जिसमें क्षेत्रीय और बहुभाषी सामग्री शामिल है।
- ❖ विभिन्न सरकारी संस्थानों के लिए अनुप्रयोग विकास और समर्थन।

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹219.79 करोड़ था और इसने ₹13.60 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### ड. सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 31 जुलाई 2020 को सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, शीर्ष उद्यम द्वारा निगमित किया गया था, जो भारत के नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए स्थापित है। सी एस सी ग्रामीण ई-स्टोर निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- ❖ ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वी एल ई) के अपने नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण ई-कॉमर्स को सक्षम बनाना
- ❖ स्वयं सहायता समूह (एस एच जी), किसानों, एम एस एम ई आदि जैसे स्थानीय निर्माताओं के साथ भागीदारी करके वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना।
- ❖ लॉजिस्टिक्स में 20 लाख से ज्यादा नौकरियां लाने का लक्ष्य, प्रत्येक नागरिक को विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना।

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹7.06 करोड़ था और इसने ₹0.88 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

### 1.8 वित्त मंत्रालय (एम ओ एफ)

वित्त मंत्रालय कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र और राज्य के वित्त और संघ सरकार के बजट से संबंधित है। मंत्रालय में छह विभाग शामिल हैं नामतः व्यय विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, लोक उद्यम विभाग और निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग।

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार) को आर्थिक कार्य विभाग (डी ई ए) और व्यय विभाग (डी ओ ई) की लेखापरीक्षा सौंपी गई है।

### 1.8.1 आर्थिक मामलों का विभाग (डी ई ए)


डी ई ए मुद्रास्फीति, मूल्य नियंत्रण, विदेशी मुद्रा प्रबंधन, आधिकारिक विकास सहायता और केंद्रीय बजट की तैयारी, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय जुड़ाव सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर प्रभाव डालने वाले आर्थिक मुद्दों पर सलाह के लिए जिम्मेदार है।

#### 1.8.1.1 डी ई ए का अनुदान और व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान डीईए के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.8 में दी गई है।

चित्र 1.8: डी ई ए का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए डी ई ए के विनियोग लेखे

2021-22 में, डी ई ए का कुल अनुदान ₹1,03,261.10 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 70 प्रतिशत अधिक था। 2021-22 में डी ई ए का व्यय ₹47,734.07 करोड़ था जबकि 2020-21 में ₹26,855.69 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 78 प्रतिशत अधिक था। ₹55,527.03 करोड़ की बचत मुख्य रूप से ₹44,714.64 करोड़ की 'इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए समर्थन' के प्रावधान के कारण हुई, जो विभिन्न विभागों / मंत्रालयों को निधियों के आवंटन के कारण अनुपयोगी रही, जो केंद्रीकृत प्रावधान के बजाय अनुदान की नियमित अनुपूरक मांगों के माध्यम से पूंजीगत व्यय में अच्छी प्रगति दिखा रही है।



### 1.8.1.2 क्षेत्र का नियामक ढांचा

#### क. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (एस ई बी आई)

एस ई बी आई, 12 अप्रैल 1992, को स्थापित एक वैधानिक नियामक संस्था है, जिसका उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों और दिशानिर्देशों को तैयार करते हुए भारतीय पूंजीगत और प्रतिभूति बाजार की निगरानी और विनियमन करना है।

एस ई बी आई के मूल कार्य हैं:

- क. स्टॉक एक्सचेंज और पूंजी बाजार का विनियमन।
- ख. कपटपूर्ण और अनुचित व्यापार का निषेध।
- ग. प्रतिभूति बाजार की मध्यवर्ती संस्थाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण में सुधार।
- घ. निवेशकों को बढ़ावा देना और मध्यवर्ती संस्थाओं का पंजीकरण करना।
- ङ. शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना।

एस ई बी आई को 2021-22 के दौरान भारत सरकार से कोई सहायता अनुदान / सब्सिडी नहीं मिली और वह अपने स्वयं के संसाधनों से कार्य करने में सक्षम था। वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की कुल आय ₹1,236.83 करोड़ थी और इसने ₹749.43 करोड़ का व्यय किया।

### 1.8.1.3 डी ई ए के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

डी ई ए के अधीन चार पी एस यू हैं। 31 मार्च 2022 के अंत तक इन पी एस यू में कुल पूंजीगत निवेश ₹3,587.52 करोड़ था। इन पी एस यू का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

#### क. सिक्योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल)

सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल), भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुसूची 'ए' मिनिस्ट्रल श्रेणी- I कंपनी है, जिसे मुद्रा एवं सिक्का प्रभाग, डी ई ए, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत 13 जनवरी 2006 को पूर्ववर्ती नौ उत्पादन इकाइयों के प्रबंधन, नियंत्रण, रखरखाव और संचालन के लिए निगमित किया गया था। एस पी एम सी आई एल, तकनीकी रूप से एक नई इकाई है, जिसके पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग और ढलाई का सदियों पुराना अनुभव है।

एस पी एम सी आई एल, मुद्रा और बैंक नोट, प्रतिभूति कागज़, गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट और स्टेशनरी, यात्रा दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट और वीजा, सुरक्षा प्रमाण पत्र, चेक, बांड, वारंट, सुरक्षा सुविधाओं के साथ विशेष प्रमाण पत्र, सुरक्षा स्याही, संचलन और स्मारक सिक्के, पदक, सोने और चांदी का शोधन, और कीमती धातुओं की परख निर्माण / उत्पादन में लगी हुई है। 31 मार्च 2022 तक कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹987.50 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹4,268.12 करोड़ था और इसने ₹689.19 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

**ख. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)**

भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल) 1995 में स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक का एक विशेष विभाग है। यह भारतीय बैंक नोटों और सिक्कों की ढलाई करता है। बी आर बी एन एम पी एल देश में बैंक नोट की आवश्यकता के एक बड़े हिस्से की आपूर्ति करता है, साथ ही शेष आवश्यकताओं को एस पी एम सी आई एल के माध्यम से पूरा किया जाता है। प्रेस की वर्तमान क्षमता दो पाली के आधार पर प्रति वर्ष 16 बिलियन नोट पीस है। 31 मार्च 2022 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹1,800 करोड़ था और वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹2,765.48 करोड़ था और इसने ₹436.86 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

**ग. बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल)**

बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल) को बैंक नोट पेपर के उत्पादन के लिए एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में 13 अक्टूबर, 2010 को निगमित और पंजीकृत किया गया है। 31 मार्च 2022 को कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹800.00 करोड़ था। वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹1,023.68 करोड़ था और इसने ₹184.4 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

**घ. नेशनल इन्वेस्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल)**

नेशनल इन्वेस्टमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल) भारत का पहला बुनियादी ढांचा विशिष्ट निवेश कोष या एक संप्रभु धन कोष है जिसे फरवरी 2015 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस कोष को बनाने के पीछे मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे के निवेश के माध्यम से, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं में आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना था।

एन आई आई एफ टी एल तीन कोषों का प्रबंधन करता है: मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रैटेजिक फंड। फंड की स्थापना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाकर भारत में बुनियादी ढांचा में निवेश करने के लिए की गई थी। कंपनी में सरकार का कुल निवेश ₹0.02 करोड़ है और वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी का कुल राजस्व ₹0.22 करोड़ था और इसने ₹0.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

**1.8.2 व्यय विभाग (डी ओ ई)**

डी ओ ई केंद्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से जुड़े मामलों की देखरेख के लिए नोडल विभाग है। यह वित्त आयोग और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों / अवलोकनों की निगरानी, और केंद्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत और कीमतों को नियंत्रित करने, सार्वजनिक व्यय के आउटपुट और परिणामों को अनुकूलित करने के लिए प्रणाली और प्रक्रिया की समीक्षा करने में केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों की सहायता करता है। विभाग की प्रमुख गतिविधियों में वित्तीय सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों में व्यय प्रबंधन की निगरानी करना और वित्तीय नियमों / विनियमों / आदेशों का प्रशासन,


प्रमुख योजनाओं / परियोजनाओं की पूर्व-स्वीकृति मूल्यांकन, बड़ी मात्रा में राज्य को हस्तांतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों का प्रबंधन सम्मिलित है।

### 1.8.2.1 डी ओ ई का अनुदान और व्यय

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान डीओई के अनुदान और व्यय की तुलनात्मक स्थिति चित्र 1.9 में दी गई है।

चित्र 1.9: डी ओ ई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए व्यय विभाग के विनियोग लेखे

वर्ष 2020-21 के ₹535.56 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान ₹459.01 करोड़ था जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹289.31 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 का व्यय ₹371.15 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में डी ओ ई के अनुदान में मामूली कमी आई थी जबकि व्यय में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। वर्ष 2021-22 में बचत मुख्य रूप से एल टी सी दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों को पूरा न करने, कम दौरे किए जाने, पी एफ एम एस (मुख्यालय) और राज्य निदेशालयों के कार्यालय आवास को अंतिम रूप न देने, कम नवीनीकरण कार्य, डी एम आर सी, शास्त्री पार्क में जगह किराए पर न लेने, भर्ती प्रस्तावों को अंतिम रूप न देना, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और आई टी मदों / कार्यालय उपकरणों की खरीद न होने के कारण थी।

### 1.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)

सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के बाद 15 अक्टूबर 1999 को मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूना पद्धति पर आधारित होते हैं। मंत्रालय के दो स्कंध हैं, एक सांख्यिकी से और दूसरा कार्यक्रम कार्यान्वयन से संबंधित है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एन एस ओ) नामक सांख्यिकी स्कंध में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी एस ओ), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एन एस एस ओ) शामिल हैं। कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के तीन प्रभाग हैं, अर्थात् (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) अवसंरचना निगरानी और परियोजना निगरानी और (iii) संसद


## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। इन दो स्कंधों के अलावा, भारत सरकार (एम ओ एस पी आई) के एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया है और एक स्वायत्त संस्थान, अर्थात्, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, जिसे संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान एम ओ एस पी आई का अनुदान और व्यय चित्र 1.10 में दिया गया है।

चित्र 1.10: एम ओ एस पी आई का अनुदान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए एम ओ एस पी आई के विनियोग लेखे

जैसा कि उपरोक्त चित्र से देखा जा सकता है, वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान ₹3,737 करोड़ था, जो 2020-21 के लिए ₹5,444.02 करोड़ के मुकाबले घट गया, जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹2,438.22 करोड़ के व्यय के विरुद्ध वर्ष 2021-22 के लिए व्यय ₹2,691.83 करोड़ था। विभाग द्वारा बचत का मुख्य कारण विभिन्न राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू करने, जिला प्रशासन से पूर्ण प्रस्तावों की प्राप्ति न होने और कोविड -19 महामारी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय द्वारा एम पी एल ए डी योजना (सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास) को निलंबित करना है।

### 1.10 लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर वसूली

वर्ष 2021-22 के दौरान, निरीक्षण प्रतिवेदन के माध्यम से कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वित्त एवं संचार) के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अधीन सभी मंत्रालयों और सी पी एस ई में लेखापरीक्षा द्वारा ₹572.23 करोड़ की राशि की वसूली को इंगित किया गया था। इसमें से विभागों / लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹415.17 करोड़ की वसूली स्वीकार की और ₹61.11 करोड़ की वसूली की गई।

### 1.11 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों / विभागों की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति (पी ए सी) की सिफारिश पर, वित्त मंत्रालय ने जून 1960 में सभी मंत्रालयों को भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित मसौदा पैराग्राफों पर अपनी प्रतिक्रिया पैराग्राफ की प्राप्ति के छह सप्ताह के भीतर भेजने के

निर्देश जारी किए। तदनुसार, मसौदा पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करने और निर्धारित समय के भीतर अपनी प्रतिक्रिया भेजने का अनुरोध किया जाता है।

संबंधित मंत्रालयों / विभागों ने अध्याय II से V में शामिल नौ पैराग्राफों (जनवरी 2023) में से दो का उत्तर नहीं भेजा। शेष पैराग्राफों के संबंध में प्राप्त संबंधित मंत्रालयों / विभागों के जवाबों पर विचार किया गया है और उन्हें उपयुक्त रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

### 1.12 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (सिविल विभाग)

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नौवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी ए सी) ने वांछित किया कि मार्च 1994 और 1995 को समाप्त हुए वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित एक्शन टेकन नोट्स (ए टी एन) को तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और अनुशंसित किया कि मार्च 1996 को समाप्त हुए वर्ष के बाद से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर ए टी एन को लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से पुनरीक्षित करके संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत होने के चार महीने के अंदर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, समिति ने 29 अप्रैल 2010 को संसद में प्रस्तुत अपने ग्यारहवें प्रतिवेदन (पंद्रहवीं लोकसभा) में सिफारिश की कि उपचारात्मक कार्रवाई करने और पी ए सी को ए टी एन जमा करने में असामान्य देरी के सभी मामलों में मुख्य लेखा अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। तत्पश्चात, व्यय विभाग के अधीन एक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया गया, जिसे लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच किये गए सभी संबंधित मंत्रालयों / विभागों से एटीएन के समन्वय और संग्रह तथा संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की निर्धारित अवधि के अंदर लोक लेखा समिति को भेजने का कार्य सौंपा गया है।

लोक लेखा समिति की सिफारिश पर, महानियंत्रक लेखा कार्यालय ने वर्ष 2011 में ऑडिट पैरा मॉनिटरिंग सिस्टम (ए पी एम एस) पोर्टल शुरू किया है, जो सी ए जी के ऑडिट पैरा पर एक्शन टेकन नोट्स (ए टी एन), पी ए सी टिप्पणियों / सिफारिशों पर एक्शन टेकन रिप्लाइ (ए टी आर) और ₹100 करोड़ और उससे अधिक की अतिरिक्त व्यय या बचत पर व्याख्यात्मक नोट (ई एन) प्रस्तुत करने की प्रभावी निगरानी के लिए एक वेब आधारित कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली है।

जनवरी 2023 तक संघ सरकार (वित्त एवं संचार) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों पर ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि एम ओ सी, एम ई आई टी वाई और एम ओ एफ से संबंधित 20 पैराग्राफों के संबंध में ए टी एन विभिन्न स्तर पर लंबित थे। वर्षवार ब्यौरे परिशिष्ट II में दर्शाए गए हैं।

### 1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई (पी एस यू / ए बी)

सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में रखे गए लेखों और अभिलेखों की संवीक्षा की प्रक्रिया की परिणति का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर कार्यकारी से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाए।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

लोक सभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों से अनुरोध किया (जुलाई 1985) कि वे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सी ए जी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न मूल्यांकनों / पैराग्राफों पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक / उपचारात्मक कार्रवाई को दर्शाने वाली टिप्पणियाँ (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित) प्रस्तुत करें। ऐसी टिप्पणियाँ उन पैराग्राफों / मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिनका विस्तृत जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समिति (सी ओ पी यू) द्वारा चयन नहीं किया गया था। सिविल पैरा जिन्हें ए पी एम एस पोर्टल पर अपलोड और पुनरीक्षित किया जा रहा है, उनके विपरीत, वाणिज्यिक पैरा भौतिक रूप से प्राप्त और पुनरीक्षित किए जा रहे हैं। इसके कारण, मंत्रालयों / विभागों से उत्तर न मिलने और उचित निगरानी तंत्र की कमी के कारण वाणिज्यिक पैरा जिनमें कुछ पैरा 1999 तक के हैं, के संबंध में काफी ए टी एन लंबित हैं।

सचिवों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया (जून 2010) कि सी ए जी लेखापरीक्षा पैराओं और सी ओ पी यू की सिफारिशों पर लंबित ए टी आर / ए टी एन का अगले तीन महीनों के अंदर निपटान करने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इस निर्णय से अवगत कराते हुए (जुलाई 2010), वित्त मंत्रालय ने भविष्य में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संस्थागत तंत्र की सिफारिश की।

जनवरी 2023 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल एम ओ सी और एम ई आई टी वाई के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पी एस यू के संबंध में ए टी एन की प्राप्ति की स्थिति की समीक्षा से पता चला कि 64 पैरा के संबंध में ए टी एन लंबित थे जैसा **परिशिष्ट III** में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है।

### 1.14 एम ओ सी / एम ई आई टी वाई / एम ओ एफ के स्वायत्त निकायों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखों की स्थिति

इस कार्यालय के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत मंत्रालयों / विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकायों (ए बी) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के संबंध में वर्ष 2021-22 के लिए लेखा प्रस्तुत करने, प्रमाणन और संसद में प्रस्तुत करने में देरी के कारणों के साथ स्थिति आदि का विवरण **परिशिष्ट IV** में दिया गया है।

# खंड - क

मंत्रालय / विभाग





अध्याय	<b>डाक विभाग</b>
II	

## 2.1 डाक विभाग के विरासत भवनों का संरक्षण

### 2.1.1 प्रस्तावना

हमारी विरासत हमारी पहचान का एक अनिवार्य भाग है। दुनिया भर में, राष्ट्रीय पहचान और अतीत के ज्ञान और कलाओं के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में विरासत संरक्षण को देखा जाता है। आमतौर पर विरासत भवन का अभिप्राय एक ऐसी संरचना से है जिसे इसके ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सांस्कृतिक, सौंदर्य या पारिस्थितिक मूल्य के कारण संरक्षण की आवश्यकता होती है।

डाक विभाग (डी ओ पी) 150 वर्षों से अधिक देश की संचार प्रणाली का आधार रहा है और इसने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ष 1727 से इस विशाल डाक नेटवर्क की उत्पत्ति का पता लगाया जा सकता है, जब कोलकाता में पहला डाकघर स्थापित किया गया था। विभाग की मुख्य गतिविधि देश भर में प्रसंस्करण, प्रसारण, मेल का वितरण और धन प्रेषण है। 1.56 लाख से अधिक डाकघरों के साथ, डी ओ पी के पास विश्व में सबसे व्यापक रूप से वितरित डाक नेटवर्क है।

#### 2.1.1.1 विरासत भवनों (एच बी) के संरक्षण के लिए दायित्व

संविधान के अनुच्छेद 51ए (एफ) में कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे। इसके अलावा, विरासत भवनों के संरक्षण के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) हैंडबुक 2013 (अध्याय-7) निर्धारित करता है कि विरासत भवनों और इमारतों के मालिकों का कर्तव्य होगा कि वे भवनों की नियमित मरम्मत और रखरखाव करें।

यद्यपि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय महत्व के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई का संरक्षण करता है, लेकिन स्वतंत्रता-पूर्व कई ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षक होने के नाते डी ओ पी का दायित्व है कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई), भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (आई एन टी ए सी एच) और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) के नियमों / विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार ऐतिहासिक इमारत पहचान करे और घोषित की गई ऐतिहासिक इमारत को सुरक्षित रखें और संरक्षण करें।

#### 2.1.1.2 डाक विभाग द्वारा विरासत भवनों (एच बी) की घोषणा के लिए पद्धति

डाक विभाग भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (आई एन टी ए सी एच) के दिशानिर्देशों के आधार पर इमारतों की पहचान विरासत भवनों के रूप में करता है, जोकि 1984 में गठित एक गैर-लाभकारी और गैर-सरकारी धर्मार्थ संगठन है और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है ताकि लोगों के बीच सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

लिए जागरूकता को प्रोत्साहित किया जा सके। आई एन टी एसी एच चार्टर (1989) के अनुसार, 1939 (द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने का वर्ष) से पहले निर्मित महत्वपूर्ण इमारतें, जिनका महत्व वास्तुशिल्प, ऐतिहासिक, पुरातात्विक या सौंदर्य महत्व के रूप में माना जाता है, को विरासत भवन के रूप में शामिल किया गया है।

यह विभाग की भूमिका है कि ऐतिहासिक महत्व वाले सभी भवनों की पहचान करें और उन्हें सूचीबद्ध करें। ऐतिहासिक इमारतों को संबंधित शहरों के संबंधित स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही विरासत भवनों के रूप में अधिसूचित और घोषित किया जाता है। स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिसूचना के बाद, डी ओ पी के तहत भवन को विरासत भवनों की सूची में शामिल किया जाता है। 31 मार्च 2022 तक डाक विभाग के पास 4,521 विभागीय भवन हैं।

### 2.1.1.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्य और लेखापरीक्षा मानदंड

डाक विभाग के 10 पोस्टल परिमंडलों<sup>2</sup> के तहत 36 अधिसूचित विरासत भवनों (31 मार्च 2021 तक) (अनुलग्नक 2.1) में से 26<sup>3</sup> विरासत भवनों का चयन किया गया था और सितंबर 2021 से अक्टूबर 2021 के दौरान लेखापरीक्षा किया गया था। कवरेज की अवधि 2015-16 से 2020-21 तक थी और 31 मार्च 2022 तक अद्यतन की गई थी। इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य जांच करना था (i) राष्ट्रीय महत्व के विरासत भवनों की पहचान और दस्तावेजीकरण के प्रयासों की पर्याप्तता, (ii) विरासत भवनों के प्रबंधन, संरक्षण, सुरक्षा और प्रदर्शन की कार्यप्रणाली, (iii) विरासत संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत और निगरानी तंत्र और (iv) डाक विभाग में वित्तीय प्रबंधन। इस लेखापरीक्षा के मानदंड 1989 में जारी आई एन टी ए सी एच दिशानिर्देशों, जॉन मार्शल द्वारा 1923 में जारी संरक्षण मैनुअल, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) मैनुअल / हैंडबुक 2013, प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति और सामान्य वित्तीय नियम और डी ओ पी के नियम और विनियम से प्राप्त किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पांच<sup>4</sup> चयनित विरासत भवनों की ऑनसाइट फोटोग्राफी के साथ-साथ व्यक्तिगत निरीक्षण भी किया।

### 2.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.1.2.1 विरासत भवनों के प्रबंधन के लिए संरचना

प्रभावी संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) और भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (आई एन टी ए सी एच) के नियमों / विनियमों / दिशानिर्देशों के अनुसार डाक विभाग की विरासत इमारतों के संरक्षण और संरक्षण पर विस्तृत दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है, जबकि नियमित और व्यवस्थित निगरानी के साथ विरासत भवनों की सुरक्षा और संरक्षण गतिविधियों की जांच के लिए विभाग की अपनी संरक्षण नीति और विस्तृत

<sup>2</sup> बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

<sup>3</sup> मंडलों को न्यूनतम 3 या वास्तविक एच बी (3 से कम एच बी के मामले में) का चयन करना था। 5 या 5 से अधिक एच बी वाले परिमंडलों के लिए, एच बी प्रतिबंधित थे।

<sup>4</sup> जी पी ओ दिल्ली, नई दिल्ली जी पी ओ, सी पी एम जी कार्यालय केरल, तिरुवनंतपुरम, जी पी ओ चेन्नई और एच पी ओ उधममंडलम, तमिलनाडु।

दिशानिर्देश होने चाहिए। डाक विभाग के चयनित विरासत भवनों की लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित पाया गया:

### 2.1.2.1 (क) संरक्षण नीति का अभाव

भारत में विरासत भवनों की पहचान और संरक्षण का काम उन्नीसवीं सदी के मध्य में आजादी से काफी पहले शुरू हो गया था। हालाँकि, यह केवल जनवरी 1992 में था कि भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट (आई एन टी ए सी एच) के दिशा-निर्देशों (1989) के आधार पर डाक विभाग ने 1939 से पहले निर्मित महत्वपूर्ण विभागीय भवनों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया, जो अपनी मूल स्थिति की तरह किसी भी स्थिति में विद्यमान थे और जिनका संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारतीय इतिहास, वास्तुकला और पुरातत्व में महत्व है।

विरासत भवनों की सुरक्षा और संरक्षण एक बहु-विषयक गतिविधि है जिसके लिए शोधकर्ताओं, तकनीशियनों, वास्तुकारों और इतिहासकारों के समर्थन की आवश्यकता होती है। संरक्षण नीति में विरासत भवनों के ऐतिहासिक / वास्तुकला / सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखने के लिए उनके सुरक्षा और संरक्षण के विभिन्न पहलुओं के लिए निर्दिष्ट निर्देश, मानदंड और प्रक्रियाएं होनी चाहिए। इसके अलावा, इसे विरासत भवनों की प्राथमिकता के लिए मानक निर्धारित करने चाहिए, जिससे मरम्मत और रखरखाव, प्रलेखन और निगरानी के लिए धन आबंटन से संबंधित निर्णय लेने में मदद होगी। विरासत भवन का संरक्षण केवल संरचनात्मक हस्तक्षेपों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि जहां आवश्यक हो, ऐतिहासिक अंदरूनी हिस्सों की बहाली पर भी विचार करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि डी ओ पी ने विरासत भवनों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयं की एक संरक्षण नीति तैयार नहीं की। इसके अभाव में, डाक विभाग द्वारा रख-रखाव एवं मरम्मत कार्य की वास्तविक आवश्यकताओं का उचित मूल्यांकन नहीं किया जा सका, जिससे विरासत भवनों के संरक्षण में बाधा उत्पन्न हुई।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि विभाग सी पी डब्ल्यू डी द्वारा बनाई गई सभी नीतियों का पालन करता है, जो इस संबंध में नोडल एजेंसी थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सी पी डब्ल्यू डी, केंद्र सरकार की निष्पादन एजेंसी है जो योजना, निर्माण, रखरखाव और मरम्मत कार्यों के लिए जिम्मेदार है, जैसाकि इसके दायरे में विरासत संरचनाओं के मालिकों द्वारा अधिकृत किया जाता है। यह विशिष्ट विभागों के लिए नीति स्तर के लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है।

इस प्रकार, समर्पित नीति के अभाव में केवल एक तदर्थ रखरखाव का कार्य किया गया और डी ओ पी द्वारा विरासत भवनों के व्यवस्थित संरक्षण और बहाली को अपनाया नहीं जा सका।

### 2.1.2.1 (ख) विरासत संरक्षण के लिए अपर्याप्त संस्थागत संरचना

डी ओ पी की अध्यक्षता भारत सरकार के डाक विभाग के सचिव करते हैं तथा डाक सेवा बोर्ड (पी एस बी) जो की सर्वोच्च प्रबंधन निकाय है के भी अध्यक्ष होते हैं। इसमें अध्यक्ष (महानिदेशक), अपर महानिदेशक (समन्वय) और छह सदस्य शामिल हैं। संपदा प्रभाग की अध्यक्षता अपर महानिदेशक द्वारा की जाती है वे सदस्य (प्रचालन) को रिपोर्ट करते हैं। सदस्य (प्रचालन) महानिदेशक (डाक सेवाएं) को रिपोर्ट करता है।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि, विभाग ने 1992 में अपनी विरासत भवनों की पहचान शुरू कर दी थी, लेकिन सितंबर 2020 में ही विरासत भवनों के संरक्षण के लिए एक विशिष्ट शाखा का गठन किया गया था। हालांकि, इसमें नियत प्रशिक्षित कर्मी नहीं थे। डाक विभाग के सामग्री प्रबंधन (एम एम) प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को डाक विभाग के विरासत और संग्रहालय प्रबंधन से संबंधित कार्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि इस शाखा ने आज तक विरासत संरक्षण के लिए कोई विस्तृत दिशा-निर्देश या प्रस्ताव जारी नहीं किए थे।

इसके अलावा, विरासत संरक्षण एक विशेष क्षेत्र है जिसके लिए तकनीकी ज्ञान और पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति की आवश्यकता होती है। हालांकि, डी ओ पी के पास संरक्षण कार्य करने के लिए गहन पर्यवेक्षण / मार्गदर्शन के लिए कोई विशेष विंग या तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे। इसलिए, विरासत भवनों के संरक्षण से संबंधित सभी मामलों के लिए विशेष एजेंसियों जैसे एएसआई, आई एन टी ए सी एच और राज्य पुरातत्व विभाग इत्यादि को जुटाने की आवश्यकता है। डाक निदेशालय ने भी निर्देश दिया (फरवरी 1993) कि इन भवनों के रखरखाव के लिए संरक्षण कार्य करते समय उपरोक्त विशिष्ट एजेंसियों की सहायता ली जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुछ मामलों<sup>5</sup> को छोड़कर, विरासत भवनों के संरक्षण में डी ओ पी द्वारा विरासत भवनों के संरक्षण कार्य को करने से पहले विशेषज्ञ एजेंसियों का परामर्श नहीं लिया गया था और विभाग ने इसे करने के लिए अपने सिविल विंग पर भरोसा किया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि विरासत भवनों का नियमित रखरखाव कार्य पोस्टल सिविल विंग द्वारा किया जाता था और जब कुछ विशेष निर्माण कार्य की आवश्यकता होती थी, तो विशेष एजेंसियों की सहायता ली जाती थी। इसके अलावा, विशेष बहाली कार्य से निपटने के लिए, विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञ / विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेने की प्रक्रिया भी शुरू की थी।

मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि विरासत भवनों में सभी प्रकार के रखरखाव कार्य विशेष एजेंसियों की सहायता से किए जाने चाहिए। एक उदाहरण उधगमंडलम डाकघर, तमिलनाडु का है जहां पोस्टल सिविल विंग (केस स्टडी-2 पैरा 2.1.2.2(ग) संदर्भित) द्वारा मरम्मत किए गए थे जो इसकी मूल संरचना के अनुरूप नहीं थे।

### 2.1.2.1 (ग) बजटीय समर्थन

निदेशालय का सम्पदा प्रभाग विरासत भवनों के उप-शीर्ष के तहत विभिन्न परिमंडलों को निधि आबंटित करता है। डाक विभाग के विरासत भवनों के संरक्षण हेतु वर्ष 2015-16 से 2021-22 के लिए वर्षवार आबंटन एवं व्यय का विवरण नीचे दिया गया है:

<sup>5</sup> दिल्ली में डी आर ओ एन ए एच, चेन्नई जी पी ओ और मुंबई जी पी ओ में आई एन टी ए सी एच, तिरुवनंतपुरम में राज्य पुरातत्व विभाग, नागपुर जी पी ओ के लिए आर्किटेक्चर कॉलेज और शिमला जी पी ओ के मामले में ए एस आई।

डाक विभाग द्वारा विरासत भवनों पर वर्षवार बजट आबंटन एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आबंटन (एफ जी)	व्यय
2015-16	1.11	0.95
2016-17	1.84	1.42
2017-18	3.00	3.00
2018-19	2.55	2.61
2019-20	3.16	3.16
2020-21	1.35	1.69
2021-22	9.79	9.37
<b>Total</b>	<b>22.80</b>	<b>22.20</b>

यह देखा जा सकता है कि डी ओ पी द्वारा पिछले सात वर्षों के दौरान 36 विरासत भवनों के संरक्षण और रखरखाव के लिए केवल ₹22.80 करोड़ आबंटित किए गए थे।

डाक निदेशालय ने अपने पत्र (जनवरी 1992) में सभी अंचलों को बजट आबंटन के अलावा वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोतों की जांच करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसके अलावा, सरकारी प्रयासों को बढ़ाने और विरासत संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने 1996 में संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय संस्कृति कोष (एन सी एफ) के गठन जैसी पहल की थी, जिससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत के प्रचार और संरक्षण में निजी निवेश सक्षम हुआ है।

हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि विरासत भवनों के संरक्षण के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत की खोज के लिए डाक निदेशालय / परिमंडलों द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश भवनों की स्थिति जीर्ण-शीर्ण हो गई।

#### 2.1.2.1 (घ) विरासत भवनों की पहचान में देरी

डाक विभाग भारत सरकार के सबसे पुराने संगठनों में से एक है और कुछ सबसे अधिक शानदार संरचनाओं का संरक्षक भी है, जिन्होंने अब विरासत का दर्जा हासिल कर लिया है। हमारे स्वतंत्रता पूर्व के इतिहास के दृश्य प्रतीकों के रूप में, यह अनिवार्य है कि इन भवनों की जल्द से जल्द पहचान की जाए और उनके संरक्षण की प्रभावी योजना बनाने के लिए उन्हें प्रलेखित किया जाए।

आई एन टी ए सी एच, दिशानिर्देश 1989 और सी पी डब्ल्यू डी द्वारा विरासत भवनों का संरक्षण हैंडबुक (एच बी), (जुलाई 2013) में कहा गया है कि विरासत भवन को सूचीबद्ध करने का मानदंड इसका ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक अखंडता और ऐतिहासिक संदर्भ होना चाहिए। एक इमारत का चयन करते समय, डिजाइन, निर्माण या मास्टर शिल्पकार के काम को दर्शाने वाले फॉर्म की विशिष्ट भौतिक विशेषताओं के अलावा घटनाओं, गतिविधियों, पैटर्न या महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ इसके संबंध पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

डाक विभाग निदेशालय द्वारा जनवरी 1992 में विरासत भवनों के चयन हेतु दिशा-निर्देश परिमंडलों को भेजा गया था तथा उक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर परिमंडलों से प्राप्त प्रस्तावों का निदेशालय में जांच किया गया था। डाक भवन को स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उनके

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

संबंधित भवन उपनियमों के तहत विरासत भवन के रूप में अधिसूचित करवाने के पश्चात उसे डाक विभाग की विरासत भवनों की सूची में शामिल किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि 4,000 से अधिक भवनों के स्वामी होने के बावजूद, डाक विभाग ने पहली बार फरवरी 1993 में 32 विरासत भवनों (एच बी) को अधिसूचित करवाया। चार वर्षों के बीत जाने के बाद, डाक विभाग ने परिमंडलों को निर्देश (जनवरी 1997) दिया कि वे विरासत, संबंधित राज्य समितियों (ए एस आई आदि) से परामर्श के बाद समान मानदंडों के आधार पर विरासत के रूप में घोषित की जाने वाली ऐतिहासिक इमारतों की सूची अद्यतन करें। 31 मार्च 2021 तक, विभाग ने 36 विरासत भवनों को अधिसूचित करवाया। डाक विभाग ने 2021-22 के दौरान विरासत भवनों के रूप में उनकी अधिसूचना के लिए विचार करने के लिए अतिरिक्त 327 ऐतिहासिक इमारतों की एक सूची तैयार की। संबंधित अधिकारियों द्वारा इनमें से आठ ऐतिहासिक इमारतों पर विचार किया गया और मार्च 2022 तक डाक विभाग ने 44 इमारतों को विरासत भवन के रूप में अधिसूचित किया।

इस प्रकार, विभाग को यह निर्णय लेने में 25 वर्ष से अधिक का समय लगा कि अतिरिक्त 327 ऐतिहासिक इमारतें विरासत भवनों के रूप में चयन के लिए उपयुक्त हैं।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि आई एन टी ए सी एच मानदंड के आधार पर भवनों का चयन किया गया था। इसके अतिरिक्त निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप विभाग ने वर्ष 2021 में ऐतिहासिक भवनों की सूची की समीक्षा की तथा सभी चिन्हित भवनों का अध्ययन किया। इस विस्तृत समीक्षा के आधार पर विरासत भवनों की अधिसूचना 44 तक अद्यतन की गई थी।

उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है कि विभाग द्वारा विरासत भवनों की समय पर पहचान के लिए कार्रवाई नहीं की गई थी।

### 2.1.2.1 (ड) दस्तावेजीकरण का अभाव

प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति, 2014 (बिंदु संख्या 4.04) में कहा गया है कि किसी स्मारक के लिए कोई भी संरक्षण गतिविधि शुरू करने से पहले दस्तावेजीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अलावा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति 2014 का पैरा 21 निर्धारित करता है कि विगत में तथा वर्तमान में संरक्षण कार्यों से संबंधित सभी जानकारी साइट कार्यालयों में उपलब्ध होनी चाहिए जिससे कि सभी विगत हुए हस्तक्षेपों को आसानी से समझा जा सके। इस उद्देश्य के लिए, सभी स्मारकों के लिए साइटों पर लॉगबुक बनाए रखना अनिवार्य होना चाहिए। पुरातत्व कार्य संहिता कार्य से संबंधित अभिलेखों, जैसे, अनुमान, माप पुस्तकों, निविदाओं, अनुबंध दस्तावेजों, श्रम रजिस्ट्रों आदि का रखरखाव किए जा रहे किसी भी संरक्षण कार्य के लिए निर्धारित करती है। इसके अलावा, ऐसे दस्तावेजों का डिजिटलीकरण आसानी से उपलब्धता की सुविधा देता है, संभावित शोधकर्ताओं / आगंतुकों में रुचि पैदा करता है और विरासत भवनों के कुशल प्रबंधन में योगदान देता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 26 में से दस विरासत भवनों<sup>6</sup> में अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार, स्थानीय प्रबंधन के पास लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण किए गए इन दस विरासत स्थलों पर विरासत भवनों के ऐतिहासिक महत्व की न कोई जानकारी थी (जैसे इसके विरासत मूल्य के बारे में संक्षिप्त लेख) और न ही पिछले वर्षों के दौरान संरक्षण गतिविधियों का विवरण था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि चूंकि कार्य सिविल विंग द्वारा किया जा रहा है, इसलिए कार्य का रिकॉर्ड उनके द्वारा रखा जाता है। इसके अलावा, डाक क्षेत्रीय कार्यालयों में भी विरासत भवनों में किए जा रहे कार्यों का रिकॉर्ड रखा जाता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि परिमंडलों को विरासत भवनों के संरक्षण के लॉगबुक / कार्य संबंधी अभिलेखों को अद्यतन करने का निर्देश दिया गया था।

#### 2.1.2.1 (च) विरासत भवनों का अपर्याप्त प्रस्तुतीकरण

सी पी डब्ल्यू डी द्वारा विरासत भवनों (एच बी) के संरक्षण की पुस्तिका में परिकल्पना की गई है कि विरासत संरक्षण समिति की सलाह पर आयुक्त, नगर निगम / उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण विरासत स्थलों पर संकेतों, बाहरी प्रदर्शन संरचनाओं को विनियमित करने के लिए नियम या दिशानिर्देश तैयार करेंगे। इसके अलावा, प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और अवशेषों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय नीति (ए एम ए एस आर), 2014 (बिन्दु संख्या 9.08) निर्धारित करती है कि पहचान की गई विरासत संरचनाओं के इतिहास और महत्व को समझाने के लिए उपयुक्त स्थानों पर संकेतक उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

26 चयनित विरासत भवनों के साइट निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि ऐतिहासिक महत्व, वास्तुकला की शैली, निर्माण के वर्ष का विवरण देने वाले कोई बोर्ड या संकेतक आठ परिमंडलों बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र (गोवा), हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के तहत विरासत भवनों में स्थापित नहीं किए गए थे जिससे कि आगंतुकों में जागरूकता और रुचि पैदा की जा सके।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि डाक विभाग के विरासत भवन में उचित संकेतक या बोर्ड लगाने के लिए सभी मंडलों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

#### 2.1.2.2 संस्थागत निगरानी तंत्र

##### 2.1.2.2 (क) निदेशालय/परिमंडल द्वारा विरासत भवन के संरक्षण के लिए अप्रभावी निगरानी तंत्र

जॉन मार्शल के संरक्षण मैनुअल के अनुसार विरासत भवनों का प्रभावी संरक्षण करने के लिए विरासत भवनों का नियमित और व्यवस्थित निरीक्षण सालाना या उससे भी अधिक बार किया जाना चाहिए।

<sup>6</sup> जी पी ओ दिल्ली, जी पी ओ नई दिल्ली, सी पी एम जी केरल, जी पी ओ चेन्नई, एच पी ओ उधममंडलम, डी ए पी नागपुर, जी पी ओ नागपुर, एच पी ओ पणजी, एच पी ओ कोलकाता और एच पी ओ अलीपुर।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

लेखापरीक्षा ने देखा कि विरासत भवनों का नियमित निरीक्षण करने के लिए निदेशालय / परिमंडल स्तर पर कोई मानक नहीं थे जिससे कि विरासत भवनों का समय पर पर्याप्त रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। यह भी देखा गया था कि निदेशालय / परिमंडल द्वारा विरासत भवनों का आवधिक निरीक्षण चार परिमंडलों<sup>7</sup> में नहीं किया गया था। इसके अलावा, इन परिमंडलों द्वारा संरक्षण कार्य के लिए कोई अभिलेख संधारित नहीं पाया गया। संरक्षण कार्यों के पूर्ण होने के बाद फोटोग्राफ सहित समापन रिपोर्ट भी तैयार नहीं किए गए थे और अभिलेख में उपलब्ध नहीं थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि डाक विभाग में विरासत भवनों के लिए कोई विशिष्ट निरीक्षण प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। हालांकि, डाकघरों या प्रशासनिक कार्यालयों के लिए वार्षिक निरीक्षण प्रश्नावली में, ऐसे प्रश्न हैं जो भवन के रखरखाव से संबंधित हैं और निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से संबोधित किये जाते हैं।

मंत्रालय का उत्तर विरासत भवनों के रखरखाव के प्रति डाक विभाग के तदर्थ दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। इसके अलावा, व्यक्तिगत निरीक्षण के बिना केवल प्रश्नावली के माध्यम से सूचना मांगना विरासत भवनों की वास्तविक समय संरक्षण स्थिति का आकलन करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने कुछ नमूना विरासत संरचनाओं के संरक्षण की स्थिति के दृश्य साक्ष्य एकत्र किए थे। दो परिमंडलों में तीन विरासत भवनों के व्यक्तिगत निरीक्षण से कई संरक्षण मुद्दों का पता चला, जैसे कि दीवारों में दरारें, जिन्हें तत्काल मरम्मत की आवश्यकता, टूटे हुए स्तम्भ, वनस्पति की गैर-सफाई, रिसाव और अनियोजित पानी और बिजली का काम (चित्र 2.1), क्षतिग्रस्त छत और छप्पर से निकला हुआ प्लास्टर और डिज़ाइन में परिवर्तन (चित्र 2.2)।

चित्र 2.1:



### सी पी एम जी केरल कार्यालय, तिरुवनंतपुरम की विरासत इमारत

(स्रोत: लेखापरीक्षा के दौरान ली गई तस्वीरें।)

<sup>7</sup> महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल परिमंडल।



चित्र 2.2:



**नई दिल्ली जी पी ओ और दिल्ली जी पी ओ (कश्मीरी गेट)**

(स्रोत: लेखापरीक्षा के दौरान ली गई तस्वीरें।)

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि विभाग के पास बजट की कमी थी, जिसके परिणामस्वरूप कई बार विरासत भवनों की देखभाल में देरी हुई। विभाग ने सम्पदा प्रबंधन योजना के तहत स्थायी वित्त समिति के ज्ञापन में वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक विरासत भवन की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए विशेष रूप से ₹73 करोड़ का अनुरोध किया था, हालांकि मात्र ₹20 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। इसके बावजूद, विभाग अपने विरासत भवनों को संरक्षित करने का भरसक प्रयास कर रहा था।

मंत्रालय का उत्तर तथ्यों से पूरी तरह पुष्ट नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक डाक परिमंडल, भवनों के संरक्षण के लिए 2017-18 से 2020-21 के दौरान आबंटित ₹7.09 करोड़ की धनराशि का उपयोग नहीं कर सके और बाद में निदेशालय को ₹7.02 करोड़ वापस कर दिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि केरल परिमंडल में, केरल राज्य पुरातत्व विभाग (के एस ए डी) की सहायता से परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और सी पी एम जी कार्यालय तिरुवनंतपुरम (विरासत भवन) के नवीनीकरण का कार्य तीन चरणों में किया जाना था। अप्रैल 2018 में कार्य शुरू किया गया था और केवल चरण I को फरवरी 2020 तक पूरा किया जा सका जबकि चरण II को अभी शुरू किया जाना था (अक्टूबर 2021)। लेखापरीक्षा द्वारा यह बताए जाने के बाद ही जून 2022 में चरण II के संरक्षण कार्य के लिए सी पी एम जी, केरल द्वारा ₹83.65 लाख के व्यय को स्वीकृति दी गई।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

मंत्रालय ने स्वीकार किया (जुलाई 2022) कि कुछ प्रक्रियात्मक देरी थी, लेकिन बहाली का बड़ा हिस्सा केरल सरकार के पुरातत्व विभाग की सहायता से सफलतापूर्वक पूरा हो गया था।

चूंकि विरासत भवन सक्रिय रूप से उपयोग में हैं, इसलिए यह विभाग पर निर्भर है कि वह सुरक्षित कार्य स्थान बनाने के लिए उचित रखरखाव, समय पर मरम्मत और अंदरूनी मरम्मत सुनिश्चित करे और देश की विरासत को संरक्षित करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करे।

### 2.1.2.2 (ख) विरासत भवनों के परिसर में अनियमित निर्माण कार्य

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) विरासत भवनों के संरक्षण के लिए हैन्डबुक 2013 (अध्याय -7) निर्धारित करता है कि आयुक्त, नगर निगम / उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना विरासत भवनों में कोई अतिरिक्त / परिवर्तन, मरम्मत या नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसी अनुमति देने से पहले, संबंधित एजेंसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विरासत संरक्षण समिति से परामर्श करेगी।

लेखापरीक्षा ने हालांकि देखा कि सात परिमंडलों<sup>8</sup> में विरासत भवनों के परिसरों में आवश्यक मंजूरी प्राप्त किए बिना निर्माण गतिविधियां की गई थीं। बंगलुरु, कोलकाता और महाराष्ट्र परिमंडल में सी पी एम जी कार्यालयों में विरासत संरचनाओं के निकट नया निर्माण किया गया था। अन्य निर्माण गतिविधियां जैसे ए टी एम चेंबर, कैंटीन, शौचालय ब्लॉक और लिफ्ट से संबंधित कार्य क्रमशः जी पी ओ भवन अमृतसर, जी पी ओ पटना, सी पी एम जी कार्यालय केरल और सी पी एम जी कार्यालय, उत्तर प्रदेश में किए गए।

मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया (जुलाई 2022) कि डाक विभाग एक सेवा संगठन है जहां विरासत भवन के अंदर प्रचालन गतिविधियों को नहीं रोका जा सकता है। इसलिए कभी-कभी ऐसे गतिविधियाँ अपरिहार्य होती हैं।

जवाब लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि करता है कि विरासत भवनों के परिसर के भीतर निर्माण गतिविधियाँ सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना की गई थीं।

### 2.1.2.2 (ग) दो विरासत भवनों पर केस स्टडी।

#### केस स्टडी 1: जनरल पोस्ट ऑफिस (जी पी ओ) चेन्नई, तमिलनाडु।



स्रोत: निरीक्षण के दौरान ली गई तस्वीर।

<sup>8</sup> कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, केरल और उत्तर प्रदेश।

### संक्षिप्त इतिहास

राजाजी सलाई में जनरल पोस्ट ऑफिस (जी पी ओ) भवन प्रमुख विरासत भवनों में से एक है। जी पी ओ 26 अप्रैल, 1884 को व्यवसाय के लिए खोला गया। जी पी ओ एक बहुत बड़ी और अत्यधिक अलंकृत संरचना है जो 352 फीट लंबी और 162 फीट चौड़ी है। इमारत के उत्तरी हिस्से पर डी ओ पी के जनरल पोस्ट ऑफिस था, जबकि दक्षिणी भाग पर दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) का टेलीग्राफ कार्यालय था (इसे 2000 में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) को स्थानांतरित कर दिया गया था)। इमारत ज्यादातर लाल ईंटों और सागौन की लकड़ी से बनी है और आंशिक रूप से टाइल वाली है और आंशिक रूप से मद्रास सीढ़ीदार टाइल वाली छत है। संरचना का मुख्य आकर्षण डॉर्मर्स के साथ लंबा पिरामिडनुमा और काठीदार छत है। इमारत को ग्रेड। विरासत भवन (2010) घोषित किया गया था और यह शहर की उच्च वास्तुशिल्प मूल्य वाले कुछ इमारतों में से एक है।

**सीमित संरक्षण प्रयास:** डाक विभाग की संरक्षण/रखरखाव गतिविधियां केवल जी पी ओ तक सीमित थीं। इस विरासत भवन का संरक्षण तब तक फलदायी नहीं होगा जब तक कि संरक्षण प्रक्रिया को डी ओ टी / बी एस एन एल के हिस्से तक आगे नहीं बढ़ाया जाता।

**क्षतिग्रस्त इमारत की मरम्मत में देरी:** अक्टूबर 2000 में चेन्नई जी पी ओ में एक आग की दुर्घटना हुई और सेंट्रल हॉल का एक बड़ा हिस्सा और इमारत के उत्तरी भाग का एक हिस्सा गिर गया। हालांकि चेन्नई जी पी ओ में भवन रखरखाव निधि का उपयोग करते हुए कई छोटे सिविल / इलेक्ट्रिकल कार्य किए गए थे, लेकिन विरासत भवन को उसके मूल रूप में वापस लाने हेतु व्यापक तरीके से अच्छी अवस्था में लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए थे।

आई एन टी ए सी एच को भवन के जीर्णोद्धार के लिए लगाया गया था जिसने तीन चरणों में ₹11.87 करोड़ की अनुमानित लागत पर नवीनीकरण कार्यों का सुझाव दिया (2012)। आई एन टी ए सी एच रिपोर्ट को पोस्टल सिविल विंग को भेजा गया था और डाक विभाग ने ए एस आई को काम सौंपने पर राय देने में लगभग चार वर्ष (2016) लगा दिए। ए एस आई ने शुरू में अपनी अनिच्छा व्यक्त की थी, लेकिन कई पत्राचार के बाद, आखिरकार जून 2020 में काम शुरू करने पर सहमत हुए। इस बीच इमारत और जीर्ण हो गई थी। हालांकि, अक्टूबर 2021 तक, ए एस आई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी पी आर) तैयार कर रही थी। लेखापरीक्षा ने देखा कि पोस्टल सिविल विंग द्वारा भवन का रखरखाव कार्य संतोषजनक नहीं था, जैसे प्लास्टर के उखड़ने, जड़ाई के डिजाइन गायब होना और रिसाव के उदाहरण थे, जैसा कि निम्नलिखित तस्वीरों में दिखाया गया है।



प्लास्टर उखड़ना



गायब हुए जड़ाई डिजाइन

(स्रोत: लेखापरीक्षा के दौरान ली गई तस्वीरें।)



पानी का रिसाव

## केस स्टडी 2: उधगमंडलम डाकघर , तमिलनाडु।



दिसंबर 1883 में टेलीग्राफ कार्यालय के साथ डाकघर को अपने वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था। फरवरी 1993 में डी ओ पी द्वारा इमारत को विरासत भवन के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

साइट के निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पोस्टल सिविल विंग द्वारा भवन में कई संशोधन / परिवर्तन किए गए थे जो भवन की मूल वास्तुकला के अनुरूप नहीं थे।



प्रवेश द्वार में बदलाव किया गया

### नई संरचना का निर्माण

विरासत भवन का एक हिस्सा जिसमें टेलिग्राफ कार्यालय स्थित था, को ध्वस्त कर दिया गया था और उसकी जगह एक आधुनिक कंक्रीट भवन बना दिया, जबकि डाकघर के हिस्से ने अपनी मूल संरचना बरकरार रखी।

(स्रोत: लेखापरीक्षा के दौरान ली गई तस्वीरें।)

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि संबंधित डाक परिमंडलों को विरासत भवनों के संरक्षण में लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।

मंत्रालय का उत्तर लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पुष्टि करता है। इसके अलावा, डी ओ पी के सभी विरासत भवनों पर एक व्यापक पुनर्विचार की आवश्यकता है जो उनके संरक्षण के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुरूप हो।

### 2.1.3 निष्कर्ष

संरक्षण नीति और समर्पित संगठनात्मक संरचना न होने पर संरक्षण के किसी भी ठोस प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई। डीओपी द्वारा अपने विरासत भवनों की पहचान और दस्तावेजीकरण पूरा करने में देरी के कारण समय के साथ उनमें खराबी आई। विभाग ने हमेशा अपने विरासत भवनों के संरक्षण के लिए विशेष एजेंसियों को शामिल नहीं किया और सिविल कार्यों को पूरा करने के दौरान मौजूदा नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया। विभाग को आबंटित निधि अपनी अनिवार्य गतिविधियों के लिए अपर्याप्त थी। अपर्याप्त योजना और खराब प्रबंधन के साथ-साथ समय-समय पर व्यक्तिगत सत्यापन की अनुपस्थिति ने विरासत भवनों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति को और बढ़ा दिया। इस प्रकार, विभाग में अपने विरासत भवनों के संरक्षण और संरक्षण के लिए आवश्यक उद्देश्य की भावना और एक उपयुक्त रणनीति का अभाव था।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

डाक विभाग विचार कर सकता है:

- ❖ पर्याप्त संसाधनों के आबंटन सहित परिमंडलों में विरासत संरचनाओं की पहचान और संरक्षण / रखरखाव में अपेक्षित स्पष्टता लाने के लिए एक व्यापक संरक्षण नीति विकसित करना।
- ❖ त्वरित निर्णय लेने को सुनिश्चित करने के लिए विरासत शाखा (सितंबर 2020 में बनाई गई) की शक्तियों और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसे डी ओ पी के भीतर नोडल विभाग / समर्पित प्रकोष्ठ बनाया जाना चाहिए ताकि सभी विरासत भवनों से संबंधित मामलों को समर्पित रूप से संभाला जा सके।

### 2.2 माल और सेवा कर का गैर / कम भुगतान

डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की खरीद के लिए डाक विभाग (डी ओ पी) अपने बिक्री बल को भुगतान किए गए कमीशन पर रिवर्स चार्ज के आधार पर जी एस टी का भुगतान करने के लिए अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹42.48 करोड़ की जी एस टी का गैर / कम भुगतान हुआ। इसके अलावा, डाक विभाग आधार से संबंधित सेवाओं पर यू आई डी ए आई से प्राप्त वित्तीय सहायता में से अपने स्वयं के राजस्व और माल और सेवा कर (जी एस टी) घटक को अलग करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मई 2018 से जुलाई 2022 की अवधि में ₹9.00 करोड़ की जी एस टी राशि का गैर / कम भुगतान हुआ।

डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) की ओर से प्रधान डाकघरों (एच ओ) / उप कार्यालयों (एस ओ) और शाखा कार्यालयों (बी ओ) के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से डाक जीवन बीमा सेवाओं और एजेंसी सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार के कार्यों का निर्वहन करता है।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 के कार्यान्वयन के बाद, सरकार या सरकारी प्राधिकरण छूट के रूप में सी जी एस टी अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उप-धारा (2) खंड (ख) के तहत अधिसूचित सेवाओं या न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में अधिसूचित के अलावा अन्य सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तदनुसार डाक विभाग द्वारा त्वरित डाक, एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और एजेंसी सेवाओं के माध्यम से सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान की गई सेवायें कर से मुक्त नहीं हैं।

डाक विभाग (डी ओ पी) में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि सेवाओं की करदेयता के संबंध में भारत सरकार (जी ओ आई) की अधिसूचना के परिणामस्वरूप, डी ओ पी के तहत डाक जीवन बीमा (पी एल आई) निदेशालय को अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता थी ताकि डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की खरीद के लिये अपने बिक्री बल<sup>9</sup> को भुगतान किये गये कमीशन पर रिवर्स चार्ज के आधार पर जी एस टी का भुगतान किया जा सके। इसके अलावा, यू आई डी ए आई से आधार सेवाओं पर प्राप्त

<sup>9</sup> डी ओ पी में पी एल आई / आर पी एल आई के बिक्री बल में विभागीय कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक, फील्ड अधिकारी और प्रत्यक्ष एजेंट शामिल हैं

वित्तीय प्रोत्साहन पर डाक विभाग (डी ओ पी) को यू आई डी ए आई से प्राप्त वित्तीय सहायता को अपने स्वयं के राजस्व और माल और सेवा कर (जी एस टी) घटक के बीच अलग करने और इसे जी एस टी प्राधिकरण के पास जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता थी। लेकिन, डाक विभाग दोनों मामलों में जीएसटी के भुगतान के संबंध में अपने अधीनस्थ कार्यालयों<sup>10</sup> को कोई निर्देश जारी करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹51.48<sup>11</sup> करोड़ की जीएसटी राशि का गैर / कम भुगतान हुआ जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

**(क) डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा की खरीद के लिए अपने बिक्री बल को भुगतान किए गए कमीशन पर ₹42.48 करोड़ माल और सेवा कर (जी एस टी) का गैर भुगतान।**

केंद्रीय माल और सेवा कर (सी जी एस टी) अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) के अनुसार, केंद्र सरकार परिषद की सिफारिश पर अधिसूचना द्वारा, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती हैं, जिस पर कर का भुगतान ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार<sup>12</sup> पर किया जायेगा। सरकार ने धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचित (अधिसूचना दिनांक 28 जून 2017) किया कि बीमा व्यवसाय करने वाले किसी भी व्यक्ति को बीमा एजेंट द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर लगाए जाने वाले संपूर्ण केंद्रीय / राज्य कर का भुगतान ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा।

डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा (पी एल आई / आर पी एल आई) पॉलिसी डाक विभाग, संचार मंत्रालय की यह योजना सरकारी कर्मचारियों, गैर-सरकारी कर्मचारियों के कुछ भागों और ग्रामीण जनता को जीवन बीमा के अंतर्गत शामिल करने हेतु है। डाक विभाग में पी एल आई / आर पी एल आई के बिक्री बल में विभागीय कर्मचारी, ग्रामीण डाक सेवक, क्षेत्रीय अधिकारी और प्रत्यक्ष एजेंट शामिल हैं। क्षेत्रीय अधिकारी बीमा एजेंट होते हैं जो ग्रुप ए / ग्रुप बी अधिकारियों सहित सेवानिवृत्त केंद्र / राज्य सरकार के अधिकारियों में से चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष एजेंट खुले बाजार से जुड़े बीमा एजेंट होते हैं जिन्हें डाक विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उनके द्वारा उपार्जित किये गए पी एल आई / आर पी एल आई व्यवसाय के लिए उपार्जन / नवीनीकरण कमीशन का भुगतान किया जाता है।

16 सर्किलों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (अप्रैल 2022 से नवंबर 2022) से पता चला कि डाक परिमंडल 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान बिक्री बल को भुगतान किये गए कमीशन पर रिवर्स चार्ज के आधार पर 18 प्रतिशत की दर से जी एस टी प्राधिकारियों को ₹42.48 करोड़ की जी एस टी का सही ढंग से भुगतान करने में विफल रहे। (अनुलग्नक 2.2)

<sup>10</sup> पोस्टल सर्कल कार्यालय

<sup>11</sup> यू आई डी ए आई से प्राप्त वित्तीय सहायता पर जी एस टी की गैर / कम कटौती के कारण ₹9 करोड़ तथा पी एल आई / आर पी एल आई के बिक्री बल को भुगतान किये गये कमीशन पर जीएसटी की गैर उगाही के कारण ₹42.48 करोड़।

<sup>12</sup> रिवर्स चार्ज आधार से अभिप्राय ऐसी वस्तु अथवा सेवाओं के पूर्तिकार के बजाय वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर भुगतान करने की देयता है।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

लेखापरीक्षा में इस मुद्दे को इंगित किए जाने पर, डाक परिमंडलों ने अपने उत्तर में कहा (सितंबर 2022 - नवंबर 2022) कि डाक जीवन बीमा निदेशालय से पॉलिसियों<sup>13</sup> की खरीद के लिए पी एल आई क्षेत्रीय अधिकारियों / प्रत्यक्ष एजेंट को भुगतान किए गए कमीशन पर जी एस टी लगाने के लिए कोई निर्देश / दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए थे। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2023) कि डाक जीवन बीमा / ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसियों की खरीद के लिए सीधे एजेंट और क्षेत्रीय कार्यालयों को भुगतान किए गए कमीशन पर जी एस टी की प्रयोज्यता के संबंध में निर्देश सितंबर 2022 में जारी किए गए थे। इसके अलावा केरल परिमंडल ने जी एस टी के लिये देय ₹8.75 करोड़ में से ₹8.39 करोड़ का भुगतान किया था। शेष राशि ₹36.00 लाख का भुगतान शीघ्र ही कर दिया जाएगा।

इस प्रकार, सी जी एस टी अधिनियम, 2017 के खंड के अनुसार जी एस टी के प्रेषण पर परिमंडलों को समय पर निर्देश जारी करने में पी एल आई निदेशालय की विफलता के परिणामस्वरूप 2018-19 से 2021-22 की अवधि के लिए ₹42.48 करोड़ की जी एस टी राशि का गैर भुगतान हुआ जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले शास्ति प्रावधानों को आकर्षित करता है।

### (ख) आधार सेवाओं पर डी ओ पी द्वारा ₹9 करोड़ की राशि के माल और सेवा कर (जी एस टी) का गैर-भुगतान / कम भुगतान

डाक विभाग (डी ओ पी) ने सितंबर 2010 में यू आई डी परियोजना को लागू करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) के साथ समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए और रजिस्ट्रार<sup>14</sup> के रूप में कार्य करना शुरू किया। जुलाई 2017 से, देश भर के विभिन्न डाक सर्किलों के तहत विभिन्न डाकघरों में आधार नामांकन और अद्यतनीकरण सुविधाएं स्थापित की गई थीं। यू आई डी ए आई प्रत्येक सफल आधार निर्माण और अनिवार्य बायोमेट्रिक्स अद्यतन के लिए समय-समय पर संशोधित निर्धारित दर पर रजिस्ट्रारों<sup>15</sup> को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एक महीने के दौरान प्रदान किए गए आधार के सफल निर्माण और अद्यतन के प्रति इस तरह की सहायता राशि यू आई डी ए आई द्वारा संबंधित रजिस्ट्रार के बैंक खातों में सीधे जमा की जाती है। किसी भी कमी<sup>16</sup> / विचलन के लिए लगाई गई वित्तीय शास्ति जारी की गई सहायता राशि से काट लिया जाता है।

यू आई डी ए आई ने रजिस्ट्रार को उनके सहायतार्थ भुगतान की गई राशि पर जीएसटी के प्रभाव के सम्बंध में स्पष्ट किया (22 मार्च 2018) और कहा कि यू आई डी ए आई द्वारा रजिस्ट्रार को आधार बनाने के लिए जारी की गई वित्तीय सहायता में माल एवं सेवा कर (जी एस टी) 01 जुलाई 2017 से 18 प्रतिशत की दर से शामिल था। इसे यू आई डी ए आई द्वारा

<sup>13</sup> डाक विभाग के अंतर्गत पी एल आई निदेशालय सभी नीतियों के निर्माण, डाकघर बीमा कोष के उत्पाद और प्रशासन के लिए सर्वोच्च निकाय है।

<sup>14</sup> केन्द्र सरकार के मंत्रालय / विभाग तथा अन्य एजेन्सियां जो अपने प्रोग्राम, कार्यकलापों अथवा निवासियों के साथ सक्रिय बातचीत के कार्यान्वयन की सामान्य प्रक्रिया में हैं।

<sup>15</sup> डाक विभाग के प्रकरण में पोस्टल सर्किल

<sup>16</sup> नामांकन एजेन्सियों को सूचीबद्ध करने के अनुरोध का अनुच्छेद 11.3



समय-समय पर विभाग / मंत्रालय को और मंत्रालय<sup>17</sup> द्वारा अपने डाक परिमंडलों को सूचित / स्पष्ट किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पोस्टल परिमंडल यू आई डी ए आई द्वारा जारी वित्तीय सहायता को स्वयं के राजस्व और जी एस टी घटक के बीच सही ढंग से अलग करने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप 21 परिमंडलों के संबंध में मई 2018 से जुलाई 2022 के लिए क्रमशः ₹8.71 करोड़ और ₹0.29 करोड़ का जी एस टी का गैर भुगतान<sup>18</sup> और कम भुगतान<sup>19</sup> हुआ जैसा कि **अनुलग्नक 2.3** में दिया गया है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह भी पता चला कि मंत्रालय ने फरवरी 2020 में ही पोस्टल परिमंडलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि सफल आधार निर्माण / अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन पर प्राप्त सहायता के संबंध में 18 प्रतिशत की दर से जी एस टी का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाना है। सफल आधार निर्माण / अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन के लिये यू आई डी ए आई से विगत में प्राप्त राशि पर जी एस टी के भुगतान के संबंध में परिमंडलों को अगले आदेशों की प्रतीक्षा करने के लिए कहा गया था।

मंत्रालय ने लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार करते हुये बताया (अगस्त 2022) कि आधार निर्माण के लिये रजिस्ट्रार को जारी की गई वित्तीय सहायता में 01 जुलाई 2017 से 18 प्रतिशत की दर से जी एस टी शामिल है तथा जी एस टी की गणना सहायता की सकल राशि पर, न कि सहायता की निवल राशि पर की जानी अपेक्षित थी। इसके अलावा, मंत्रालय ने (सितंबर 2022) सभी परिमंडलों के अध्यक्षों को पूरी देय जी एस टी राशि को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश जारी किए।

जी एस टी अधिसूचना और यू आई डी ए आई से प्राप्त वित्तीय सहायता पर जी एस टी की प्रयोज्यता के संबंध में मंत्रालय के आदेशों का पालन करने के लिए निदेशालय स्तर के साथ-साथ डाक परिमंडल स्तर पर डाक विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप 21 पोस्टल सर्किल के संबंध में ₹9.00 करोड़ की राशि का गैर / कम भुगतान हुआ, जिससे न केवल परिमंडलों / विभागों के राजस्व आंकड़े बढ़े, बल्कि इससे जी एस टी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत शास्ति के लिए विभाग / परिमंडलों को भी उत्तरदायी बना दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के पश्चात ही डी ओ पी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए और बकाया जी एस टी का भुगतान किया।

<sup>17</sup> मंत्रालय के अन्तर्गत कारोबारी विकास व विपणन निदेशालय कारोबारी विकास व विपणन गतिविधियों की सभी पॉलिसि व प्रशासन के निर्माण हेतु सर्वोच्च निकाय है।

<sup>18</sup> यू आई डी ए आई से प्राप्त वित्तीय सहायता से जी एस टी को न तो अलग किया गया और न ही कटौती की गई थी।

<sup>19</sup> यद्यपि यू आई डी ए आई से प्राप्त वित्तीय सहायता से जी एस टी को अलग किया गया था तथा कटौती की गई थी, इसका परिकलन वित्तीय शास्ति / जुर्माना के जारी निवल वित्तीय सहायता पर किया गया था।

### 3.1 अजमेर में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना पर व्यर्थ व्यय

मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी) के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) बड़े क्षेत्र के सौर फोटो वोल्टाइक पैनल और दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने से पहले अजमेर और उसके आस-पास औद्योगिक विकास का सर्वेक्षण करने में विफल रहा। खराब / अकुशल योजना के साथ-साथ अप्रभावी निगरानी के कारण अजमेर में इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर (ई टी डी सी) की स्थापना पर ₹21.83 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी आई टी) (अब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय), भारत सरकार ने बड़े क्षेत्र के सौर फोटो वोल्टाइक पैनल और दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए अजमेर में उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना हेतु अगस्त 2011 में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के एक संलग्न कार्यालय, मानकीकरण परीक्षण व गुणवत्ता प्रमाणन (एस टी क्यू सी), को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जिसे तीन वर्षों की अवधि में अर्थात् अगस्त 2014 तक ₹37.50 करोड़<sup>20</sup> के पूंजीगत व्यय व ₹12.30 करोड़ के राजस्व व्यय सहित कुल ₹49.80 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ पूरा किया जाना था। केन्द्र का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एंड डेवलपमेंट सेंटर (ई टी डी सी) अजमेर किया जाना था।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं:

- क) राजस्थान में विकास की पहल को पूरा करने के लिए एस टी क्यू सी नैटवर्क का विस्तार।
- ख) नए क्षमता केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रों में परीक्षण / अंशांकन आवश्यकताओं को पूरा करना।
- ग) राजस्थान में उद्योग को नियमित गुणवत्ता और विश्वसनीय सेवाएं और विकास सहायता।
- घ) सरकारी खरीद के लिए गुणवत्ता आश्वासन सेवाओं सहित राज्य स्तरीय नियामक प्रमाणन, और अनिवार्य अनुपालन गतिविधियों के लिए समर्थन।

योजना आयोग ने प्रस्ताव के तकनीकी भाग को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2011) स्थान के बारे में आपत्ति व्यक्त की थी और कहा था कि जयपुर केंद्र के पास ही परीक्षण के लिए पर्याप्त काम नहीं है, अजमेर में तो मांग और भी कम होगी क्योंकि यह औद्योगिक रूप से जयपुर क्षेत्र की तुलना में कम विकसित था। उसने यह भी सुझाव दिया कि डी आई टी को अजमेर में एक नई प्रयोगशाला शुरू करने की बजाय अतिरिक्त उत्पाद परीक्षण करने के लिए जयपुर केंद्र

<sup>20</sup> भूमि और भवन के लिए ₹18.00 करोड़ और मशीनरी और उपकरण के लिए ₹19.50 करोड़

को मजबूत करने की आवश्यकता है और एस टी क्यू सी को भी सलाह दी थी कि उसे टुकड़ों में परियोजनाओं का प्रस्ताव देने के बजाय अपने विस्तार के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की आवश्यकता है। स्थायी वित्त समिति (एस एफ सी) द्वारा चर्चा के बाद योजना आयोग की टिप्पणियों के अनुपालन के अधीन प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच (अक्टूबर 2021) से पता चला कि एस टी क्यू सी ने योजना आयोग की टिप्पणियों के जवाब में, अजमेर में प्रस्तावित स्थान के लिए औचित्य बताते हुए (फरवरी 2011) कहा कि प्रयोगशाला के लिये 30000 वर्ग फुट के अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता है। राजस्थान औद्योगिक विकास और निवेश निगम (रीको), राज्य सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम अजयमेरु औद्योगिक क्षेत्र, पालरा, अजमेर में ₹1 के टोकन पर 20,000 वर्ग मीटर की भूमि प्रदान करने के लिए सहमत हुआ था। एस टी क्यू सी ने कहा कि अजमेर, जयपुर व अन्य स्थानों जैसे दिल्ली, कोटा, उदयपुर और गुजरात के कुछ हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। एस टी क्यू सी ने एक नए स्थान पर एक अलग समर्पित केंद्र की आवश्यकता पर भी बल दिया।

प्रयोगशाला के लिए भवन का निर्माण कार्य सी पी डब्ल्यू डी, अजमेर को दिया गया था और सितंबर 2012 में ₹5 करोड़ की राशि जारी की गई थी। सी पी डब्ल्यू डी ने ₹14.23 करोड़ रुपये व्यय करने के बाद जून 2015 में फाल्स सीलिंग और सेंट्रल एयर कंडीशनर से संबंधित कार्य पूर्ण किए बिना ही भवन को एस टी क्यू सी को सौंप दिया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एस टी क्यू सी ने अजमेर में ई टी डी सी की स्थापना करने का निर्णय भूमि का एक बड़ा हिस्सा निःशुल्क उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की सम्मति के आधार पर लिया। उसने उस क्षेत्र और उसके आसपास में जहां भूमि आवंटित करने की पेशकश की गई थी औद्योगिक परिदृश्य का आकलन नहीं किया। अजयमेरु में अधिकांश उद्योग मार्बल प्रोसेसिंग और स्क्रैप आयरन स्मेल्टिंग से संबंधित थे। इसके अलावा, ई टी डी सी, अजमेर की जनशक्ति की पुनः तैनाती पर विचार करने के लिए एस टी क्यू सी के महानिदेशक द्वारा गठित समिति ने 05 सितंबर 2018 को आयोजित अपनी बैठक के दौरान स्वीकार किया कि अजमेर में ई टी डी सी की स्थापना का निर्णय इस धारणा पर आधारित था कि अजमेर में प्रस्तावित परीक्षण प्रयोगशाला का उपयोग अनुमोदित परीक्षण एजेंसी के रूप में राजस्थान सरकार की विभिन्न खरीद और कार्यक्रमों के लिए प्रभावी ढंग से किया जाएगा। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि अजमेर प्रयोगशाला के लिए आवंटित भूमि खराब कनेक्टिविटी के साथ दुर्गम और दूरस्थ स्थान पर थी और यहां तक कि प्रयोगशाला के प्रचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी की कमी थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने यह भी बताया कि मशीनरी और उपकरण के लिए ₹19.50 करोड़ के अनुमोदित व्यय के विपरीत, आज तक, बड़े क्षेत्र के सौर फोटो वोल्टाइक पैनल और दूरसंचार उपकरण के परीक्षण और अंशांकन से संबंधित मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए कोई भी व्यय नहीं किया गया। इस प्रकार, ई टी डी सी अजमेर द्वारा परीक्षण / अंशांकन / प्रमाणन / आई टी सेवाओं से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया था और इसलिए, परीक्षण और अंशांकन गतिविधि से वर्ष 2021-22 तक राजस्व सृजन शून्य था। यही नहीं, वर्ष 2015-16 से वर्ष

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

2021-22 की अवधि के दौरान, ई टी डी सी अजमेर में तैनात कर्मचारियों पर वेतन और कार्यालय व्यय के रूप में ₹7.60 करोड़ का निष्फल व्यय किया गया था।

मंत्रालय ने स्वीकार किया (अक्टूबर, 2022) कि अजमेर केन्द्र को इसकी उद्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू नहीं किया जा सका। मंत्रालय ने बताया कि इस तरह की परीक्षण और अंशांकन सुविधा की आवश्यकता को देखते हुए मौजूदा ई टी डी सी जयपुर में सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। तथापि, ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए जयपुर में अतिरिक्त भूमि के आवंटन हेतु राज्य सरकार का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं किया जा सका। राज्य सरकार ने अजमेर जिले में अपेक्षित आकार की भूमि निःशुल्क आवंटित करने की सम्मति व्यक्त की। वहां ई टी डी सी अजमेर की स्थापना इस धारणा के साथ की गई थी कि उस क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक / सौर पैनल उद्योगों का विकास होगा।

मंत्रालय का तर्क मान्य नहीं था। बड़े क्षेत्र के सौर फोटो वोल्टाइक पैनल (एस पी वी), अन्य एस पी वी आधारित उत्पादों और दूरसंचार उपकरणों के परीक्षण और अंशांकन के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई टी डी सी अजमेर की स्थापना का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि इसे परियोजना स्थल के आस-पास के क्षेत्र में व्यवसाय के अवसरों की उपलब्धता का कोई तथ्य-आधारित विश्लेषण किए बिना, अजमेर में दूरस्थ स्थल पर निःशुल्क भूमि की पूरी तरह से उपलब्धता के बल पर स्थापित किया गया था।

मंत्रालय का यह उत्तर कि ई टी डी सी अजमेर में तैनात कर्मचारियों ने एस टी क्यू सी की अन्य सेवाओं / गतिविधियों जैसे ऑन-साइट गुणवत्ता लेखापरीक्षा, वेब-साइट परीक्षण, प्रयोगशाला प्रबंधन प्रणाली पर प्रशिक्षण, आंतरिक लेखापरीक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक गतिविधियों / आई टी अधिनियम 2000 की धारा 79ए के तहत लेखापरीक्षा में योगदान दिया था तथा केंद्र ने वर्ष 2020-21 के लिए ₹9.00 लाख और वर्ष 2021-22 के लिए ₹1.49 लाख का राजस्व अर्जित किया था, स्वीकार्य नहीं था। ई टी डी सी द्वारा अर्जित राजस्व परीक्षण और अंशांकन गतिविधियों के कारण नहीं था बल्कि प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए भवन के उपयोग के परिणामस्वरूप था।

मंत्रालय ने आगे उत्तर दिया कि लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों, जनशक्ति और प्रशिक्षण के संबंध में विभिन्न आवश्यकताओं, उपकरण और वर्तमान और भविष्यवादी परिदृश्य में सौर और दूरसंचार उत्पाद परीक्षण के लिए धन की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए सौर और दूरसंचार उपकरण परीक्षण पर एक समिति का गठन किया जाएगा। तथापि, प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए आवश्यक किसी भी उपकरण के ना होने से, मंत्रालय का उत्तर असमर्थनीय प्रतीत होता है।

इस प्रकार, तथ्य यह रहा कि नए उत्कृष्टता केंद्र के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के उभरते हुए क्षेत्रों में परीक्षण / अंशांकन आवश्यकताओं को पूरा करने का प्राथमिक उद्देश्य, परियोजना की अनुचित योजना और निष्पादन के कारण पूरा नहीं हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भवन / प्रयोगशाला के निर्माण एवं ई टी डी सी अजमेर की स्थापना पर ₹21.83 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ, जिसमें वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान वेतन और कार्यालय व्यय के कारण हुआ ₹7.60 करोड़ का व्यय शामिल है।

### 3.2 स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद चित्रण (आई एम आर आई) परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब

कम लागत वाले एम आर आई स्कैन प्रदान करने का परियोजना उद्देश्य अभी तक परियोजना आयोजन और निष्पादन में कमियों के कारण प्राप्त नहीं हुआ।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) [तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी ई आई टी वाई)] ने ₹38.50 करोड़ की कुल लागत पर “स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद चित्रण (आई एम आर आई)” - एक राष्ट्रीय मिशन<sup>21</sup> परियोजना के निष्पादन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (दिसंबर 2014)। परियोजना को साढ़े चार वर्षों में अर्थात्: जून 2019 तक पूरा किया जाना था। इस परियोजना को सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च (एस ए एम ई ई आर)<sup>22</sup> मुंबई द्वारा चार सहयोगी एजेंसियों: (i) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी- डी ए सी) त्रिवेंद्रम ii) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी- डी ए सी) कोलकाता iii) इंटर- यूनिवर्सिटी एक्सेलेरेटर सेंटर (आई यू ए सी), नई दिल्ली और iv) दयानंद सागर इंस्टीट्यूशंस- मेडिकल इमेजिंग रिसर्च सेंटर (डी एस आई- एम आई आर सी), बेंगलोर, के साथ संयुक्त रूप से नोडल एजेंसी के रूप में कार्यान्वित किया जाना था। “परियोजना को तकनीकी के साथ-साथ वित्तीय पहलुओं से संचालित करने के लिए ”परियोजना को मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति (एन एस सी) द्वारा संचालित किया जाना था।

परियोजना का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा इमेजिंग के लिए स्वदेशी 1.5 टेस्ला एम आर आई प्रणाली को डिजाइन व उसका विकास और परीक्षण करना था। इसका उद्देश्य ₹3 करोड़ की लागत में एम आर आई स्कैनर, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य ₹7 से ₹8 करोड़ है और कम लागत वाले एम आर आई स्कैन प्रदान करना था।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से परियोजना आयोजना और निष्पादन में कमियों का पता चला जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए, प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसियों में चुंबकीय अनुनाद (एम आर) विशेषज्ञ की उपलब्धता सर्वोपरि थी। राष्ट्रीय संचालन समिति (एन एस सी) ने अपनी पहली बैठक (30 अप्रैल 2015) में पाया कि डी एस आई - एम आई आर सी को छोड़कर एस ए एम ई ई आर या किसी अन्य प्रतिभागी संस्थान में कोई चुंबकीय अनुनाद (एम आर) विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि यह इस परियोजना की यथोचित दिशा में प्रगति के लिए बाधा बन सकता है। 17 दिसंबर 2018 को आयोजित एन एस सी की सातवीं बैठक के कार्यवृत्त की संवीक्षा से पता चला कि डी एस आई - एम आई आर सी बंगलोर को छोड़कर किसी भी सम्बन्धित एजेंसियों में एम आर विशेषज्ञ नहीं थे तथा सहयोगी एजेंसियों द्वारा तब तक (दिसंबर 2018) किसी भी एम आर विशेषज्ञ की भर्ती नहीं की गई थी।

<sup>21</sup> (स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद चित्रण - एक राष्ट्रीय अभियान एस सी ए एन - ई आर ए)

<sup>22</sup> एस ए एम ई ई आर, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत मुंबई में एक सवायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, जिसे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करने का व्यापक शासनाधिकार प्राप्त है।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

प्रस्तावित चुंबक के डिजाइन की वैधता के लिए सलाहकार की नियुक्ति में देरी के कारण चुंबक के निर्माण से सम्बन्धित प्रगति में काफी देरी हुई। परियोजना के अनुमोदन (दिसंबर 2014) के लगभग छह साल बाद, मैसर्स साइंटिफिक मैग्नेटिक्स को अक्टूबर 2020 में परामर्श कार्य सौंपा गया। इससे परियोजना की प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे परियोजना की अवधि को दो वर्षों के लिए अर्थात् जून 2021 तक बढ़ाया (26 सितम्बर 2019) गया तथा परियोजना लागत में ₹7.74 करोड़ की परिणामी वृद्धि की गई।

इसके अलावा, चूंकि चुंबक का विकास न होने के कारण उप-प्रणालियों का एकीकरण अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका था, एन एस सी ने परियोजना की अवधि को और दो वर्ष के लिए अर्थात् जून 2023 तक बढ़ाने की सिफारिश (07 जून 2021), परियोजना लागत में अतिरिक्त ₹6.30 करोड़ की वृद्धि के साथ की थी। संशोधित परियोजना अनुमान ₹52.54 करोड़ था।

जुलाई 2022 तक इस परियोजना पर ₹46.55 करोड़ का व्यय किया गया था। समग्र चुंबक विकास उन्नत चरण में था और विकसित किए जा रहे चुंबक के साथ उप-प्रणालियों का एकीकरण अभी शुरू होना था (अगस्त 2022)।

मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2021 / फरवरी 2022) कि परियोजना में डी एस आई - एम आई आर सी, बेंगलूर के पास एम आर भौतिक विज्ञानी / विशेषज्ञ मौजूद था जो सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता दे रहा था। इस प्रकार सभी प्रतिभागी एजेंसियों में एम आर विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण व्यावहारिक रूप से कोई विलंब नहीं हुआ। इसके अलावा, वैरियेबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (वी ई सी सी) से चुंबक विकास के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा प्रत्येक बैठक में, परियोजना के सुचारु निष्पादन के लिए प्रत्येक प्रतिभागी एजेंसी में एम आर विशेषज्ञ के होने की बात पर बार-बार जोर देने के मद्देनजर, मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं था।

मंत्रालय ने यह भी कहा था (दिसंबर 2021) कि अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की प्रगति की तुलना किसी अन्य परियोजना जैसे अवसंरचना विकास परियोजना जहां प्रौद्योगिकी, सामग्री और जनशक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और पथ और लक्ष्य दोनों अच्छी तरह से परिभाषित और ज्ञात हैं, से नहीं की जा सकती है। यह भी कहा गया था (अप्रैल 2021 / फरवरी 2022) कि विशेषज्ञ की भर्ती में कुछ देरी हुई थी, क्योंकि चुंबक के डिजाइन और विकास के दौरान, चुंबक के विकास के लिए दृष्टिकोण में हुए बदलाव के कारण, विशेषज्ञ द्वारा डिजाइन को मान्य कराने की आवश्यकता महसूस की गई थी और एन एस सी को वर्ष 2017 में इससे अवगत कराया गया था। एन एस सी की सिफारिशों के बाद, सलाहकार के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2017 में शुरू की गई थी और तीन असफल प्रयासों के बाद, वैश्विक निविदा के माध्यम से अक्टूबर 2020 के दौरान सलाहकार की नियुक्ति की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि चुंबक के निर्माण और वाइंडिंग के समय विफलता की संभावना को रोकने के लिए सलाहकार द्वारा चुंबक डिजाइन का मान्यकरण महत्वपूर्ण था और सामान्य वित्तीय नियमों (जी एफ आर) का पालन करने में और भारत में विशेषज्ञता की

उपलब्धता का आकलन करने में मंत्रालय की विफलता के कारण, सलाहकार की भर्ती के लिए निविदा प्रक्रिया में देरी हुई थी।

अप्रैल 2021 में मंत्रालय ने यह भी उत्तर दिया कि लागत में वृद्धि पहले प्रस्तावित एक प्रणाली की जगह दो एम आर आई प्रणालियों के विकास के कारण हुई थी, जिसमें उप-प्रणालियों का एक अतिरिक्त सेट भी था।

मंत्रालय का उत्तर अस्वीकार्य था क्योंकि लागत की वृद्धि का अधिकांश भाग अर्थात्: ₹14.04 करोड़ की कुल वृद्धि में से ₹10.52 करोड़ 'जनशक्ति' और 'उपभोज्य' पर व्यय के लिए था, न कि एम आर आई प्रणालियों के लिए। इसके अलावा, जैसा कि एन एस सी द्वारा अपनी छठी बैठक (जून 2018) में पाया गया कि, आर एफ काँइल्स और प्रतिभागी एजेंसियों द्वारा विकसित पल्स अनुक्रम और अधिग्रहण विधियों के परीक्षण के लिए स्टाप-गैप व्यवस्था के रूप में एक नवीनीकृत चुंबक की खरीद की गई थी।

इस प्रकार, मंत्रालय परियोजना के निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण, एम आर विशेषज्ञों और सलाहकारों की आवश्यकता पर विचार करने में विफल रहा। नतीजतन, कम लागत वाले एम आर आई स्कैन प्रदान करने का परियोजना उद्देश्य, परियोजना अवधि से तीन वर्ष अधिक समय बीतने और अनुमानित परियोजना लागत में ₹14.04 करोड़ की वृद्धि के बावजूद भी आज तक (अगस्त 2022) प्राप्त नहीं किया गया।





# खंड - ख

मंत्रालयों के अधीन  
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम



## अध्याय

## IV

## संचार मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

## 4.1 भारत संचार निगम लिमिटेड में संपदा प्रबंधन

व्यापक संपदा प्रबंधन नीति की अनुपस्थिति और प्रशासनिक मंत्रालय से समय पर दिशा-निर्देशों की कमी के परिणामस्वरूप भूमि / संपत्तियों का गैर उपयोग, खाली भूमि का अतिक्रमण, बकाया देयों की गैर वसूली और कंपनी की खाली संपत्तियों के मुद्दीकरण में निराशजनक निष्पादन हुआ।

## 4.1.1 प्रस्तावना

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल)<sup>23</sup> ने 01 अक्टूबर 2000 से दिल्ली और मुंबई को छोड़कर देश में दूरसंचार सेवाएं प्रदान<sup>24</sup> करने के लिये अपना व्यावसायिक प्रचालन शुरू किया। अब तक इन सेवाओं का प्रबंधन पूर्ववर्ती दूरसंचार सेवा विभाग (डी टी एस) और दूरसंचार प्रचालन विभाग (डी टी ओ) द्वारा किया जाता था।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिये, कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार बी एस एन एल में दूरसंचार विभाग से विरासत तथा बाद में प्राप्त भूमि और भवनों के बड़े भाग हैं जिनका बुक वैल्यू क्रमशः ₹63,921.88 करोड़ व ₹3,574.39 करोड़ हैं। भूमि एवम् भवन के रूप में बी एस एन एल की संपत्ति में भूमि खंडो, दूरसंचार कारखाने, टेलीफोन एक्सचेंज, स्टाफ क्वार्टर, स्टोर और डिपो शामिल है। बी एस एन एल 2009-10 से घाटे में चल रहा है और इसके वित्तीय निष्पादन के आधार पर, दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) ने बी एस एन एल को प्रारंभिक रुग्ण केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी पी एस ई) के रूप (सितंबर 2017) में वर्गीकृत किया है।

## 4.1.1.1 बी एस एन एल में संपदा प्रबंधन

बी एस एन एल द्वारा विरासत में मिली / अधिग्रहीत परिसम्पत्तियों का प्रबंधन बी एस एन एल के सिविल विंग द्वारा किया जाता है, जिसके प्रमुख कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में मुख्य महाप्रबंधक - भवन निर्माण (सी जी एम - बी डब्ल्यू) है। भूमि प्रबंधन संबंधी मुद्दों से निपटने के लिये जून-2021 में भूमि प्रबंधन प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। कॉर्पोरेट कार्यालय में सी जी एम - (बी डब्ल्यू) के सहायता हेतु दो महाप्रबंधकों (जी एम) अर्थात् जी एम (भूमि प्रबंधन-1) और जी एम (भूमि प्रबंधन-2) हैं।

सी जी एम (बी डब्ल्यू) कॉर्पोरेट कार्यालय में निदेशक (एच आर) को रिपोर्ट करता है। परिमंडल स्तर पर, मुख्य महाप्रबंधक (सी जी एम), जो परिमंडलों के अध्यक्ष भी होते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र के तहत भूमि और भवनों का प्रबंध करते हैं।

<sup>23</sup> भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी को 15 सितंबर 2000 को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत शामिल किया गया था।

<sup>24</sup> सेवाओं में लैंडलाइन, मोबाइल-2जी, 3जी, 4जी (सीमित क्षेत्रों), इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, वाई-फाई, डेटा सेंटर, एंटरप्राइज डेटा, राष्ट्रीय लंबी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवाएं शामिल हैं।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

बी एस एन एल में भूमि प्रबंधन 2014 की सी ए जी की रिपोर्ट संख्या 17 में दर्शाया गया था। जिन मुद्दों पर प्रकाश डाला गया था वे भूमि-डेटा के गैर-अद्यतन, भूमि के गैर-नामांतरण, भूमि रिकॉर्ड की अनुपलब्धता, खाली भूखंडों के वाणिज्यिक दोहन का अभाव और अतिक्रमण से संबंधित थे। 16 वीं लोकसभा की 2016-17 (53 वीं रिपोर्ट-मूल रिपोर्ट) और 2017-18 (83 वीं रिपोर्ट में की गई कार्रवाई रिपोर्ट) के दौरान लोक लेखा समिति (पी ए सी) द्वारा रिपोर्ट पर चर्चा की गई थी।

बी एस एन एल ने की गई कार्रवाई रिपोर्ट में और उपरोक्त आडिट रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विभिन्न मुद्दों पर पी ए सी को प्रति प्रतिबद्धता जताई थी।

### 4.1.1.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और पद्धति

34 टेलीकॉम परिमंडलों के सी जी एम के कार्यालयों और बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय में सी जी एम (बी डब्ल्यू) के कार्यालय में (2016-17 से 2020-21 की अवधि को शामिल करते हुये (मार्च 2022 तक अद्यतन) लेखापरीक्षा की गयी थी। निम्नलिखित की समीक्षा करने के उद्देश्य से अगस्त से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी:

- ❖ क्या व्यापक संपदा प्रबंधन नीति मौजूद थी।
- ❖ संपदा प्रबंधन की वर्तमान स्थिति।
- ❖ सी ए जी की 2014 की रिपोर्ट संख्या 17 में पी ए सी की जातिगत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई।
- ❖ परिसंपत्ति के मुद्रीकरण की स्थिति

लेखापरीक्षा ने कॉर्पोरेट कार्यालय, परिमंडलों और माध्यमिक स्विचिंग क्षेत्रों (एस एस ए) में भूमि प्रबंधन से संबंधित कंपनी के अभिलेखों, फाइलों, निदेशक बोर्ड की बैठकों के कार्यसूची और कार्यवृत्त की जांच की। लेखापरीक्षा ने बी एस एन एल के कार्यकारियों के साथ विभिन्न एस एस ए में परिसंपत्तियों का संयुक्त सत्यापन किया। लेखापरीक्षा ने डी ओ टी और निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी आदेशों / निर्देशों और डी ओ टी / दीपम की बैठक के कार्यवृत्त की भी जांच की।

### 4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 4.1.2.1 संपदा अभिलेखों के डेटाबेस में भिन्नता

किसी भी अर्थपूर्ण संपदा प्रबंधन के लिये कंपनी के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों का डेटाबेस एक पूर्व आवश्यकता होती है। बी एस एन एल परिसंपत्ति के लिये एक साथ तीन डेटाबेस रखता है। प्रारंभ में परिसंपत्तियों का डेटाबेस संबंधित परिमंडलों द्वारा मैनुअल रूप से सिविल एम आई एस सॉफ्टवेयर में मैनुअली (हस्तचालित) रखा गया था। भूमि और भवनों के विवरण रिकार्ड करने के लिये एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (नवंबर 2015) (ई आर पी - एस ए पी) की शुरुआत के बाद, रियल एस्टेट मॉड्यूल (आर ई एम) विभिन्न परिमंडलों में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया और परिमंडलों ने ई आर पी सिस्टम के आर ई एम में डेटाबेस को रखना शुरू कर दिया। इसके अलावा, फीको (वित्त और नियंत्रण) मॉड्यूल में फिक्सड एसेट रजिस्टर भी

संबंधित परिमंडलों द्वारा लेखांकन उद्देश्यों के लिये उनकी सभी मूर्त और गैर-मूर्त परिसंपत्तियों के लिये रखा जाता है।

बी एस एन एल द्वारा आर ई एम का उपयोग सिविल विंग बी एस एन एल की सभी परिसंपत्तियों के अद्यतन रिकार्ड रखने के प्राथमिक स्रोत के रूप में करता है जबकि फीको मॉड्यूल का उपयोग बाहरी रिपोर्टिंग अर्थात् वित्तीय विवरण, तैयार करना, परिसंपत्ति लेखांकन आदि के लिये किया जाता है। फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड दोनों भूमि पार्सलों का विवरण फीको के साथ-साथ आर ई एम माड्यूल में भी उपलब्ध है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी को उन सभी अचल संपत्ति (भूमि खंडों) का विवरण प्रदान करना होगा, जिनके टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है। इसलिये, यह आवश्यक हो जाता है कि फीको के साथ-साथ आर ई एम मॉड्यूल में डेटा प्रामाणिक और सटीक हो।

विभिन्न डेटाबेस में दर्ज किए गए डेटा के संबंध में, लेखापरीक्षा को एक ही तारीख या एक ही समय पर बी एस एन एल द्वारा रखे गये विभिन्न डेटाबेस में संपदा रिकॉर्ड की विसंगतियों का पता चला, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है-

- i. कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने विभिन्न वर्षों के वार्षिक लेखों को प्रमाणित करते हुये उचित राय दी, परिसंपत्ति के व्यक्तिगत सत्यापन के लिये नियमित प्रोग्रामन होने और विरासत प्रणालियों से एस ए पी (सिस्टम, एप्लिकेशन और डेटा प्रोसेसिंग उत्पादों) में पुरानी शेष राशि के पारगमन पर निगरानी नियंत्रण की अपर्याप्ता पर प्रकाश डाला जिससे कंपनी के वित्तीय विवरणों में परिसंपत्ति का गलत विवरण हो सकता है।
- ii. फीको मॉड्यूल में उपलब्ध भूमि का विवरण जिसमें गणना, विवरण, मात्रा, माप की इकाई और संपत्तियों का स्थान शामिल है, आर ई एम मॉड्यूल और इसके विपरीत में उपलब्ध विवरण से मेल नहीं खाता है। अभिलेखों के भिन्नता के विवरण **अनुलग्नक-4.1** में दिया गया है। जनवरी 2022 तक, फीको और आर ई एम मॉड्यूल के अनुसार भूमि खंड कमशः 15,591 और 16,348 है, जिसमें रिकार्ड के दो सेटों में 757 भूमि खंड का स्पष्ट अंतर है। मध्य प्रदेश परिमंडल में अधिकतम अंतर 641 (1,717 की आर ई एम गणना की तुलना में 2,358 की फीको गणना), इसके बाद तेलंगाना परिमंडल में 298 (727 की फीको गणना की तुलना में 1,025 की आर ई एम गणना) था।
- iii. दो मॉड्यूलों में डेटाबेस के अंतर के अलावा, डेटा की रिकॉर्डिंग में कई अन्य चूक / विसंगतियां निम्नानुसार थीं
  - क. गुजरात परिमंडल में, भूमि के विवरण, खरीद मूल्य और बाजार मूल्यों को दर्ज नहीं किया गया था और ई आर पी के आर ई एम मॉड्यूल में मूल्य शून्य दिखाया गया था।
  - ख. झारखंड परिमंडल में, सिविल एम आई एस और आर ई एम मॉड्यूल में भूमि खंडों की संख्या के लेखांकन, इसके मूल्यांकन और लीजहोल्ड और फ्रीहोल्ड के द्विभाजन में अंतर था।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

- ग. कोल्हापुर, व्यवसायिक क्षेत्र (बी ए) में अभिलेखों को अद्यतन न करने के परिणामस्वरूप सात भूमि अभिलेखों को अधिक बताया गया। ये संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पहले ही वापस ले लिए गए / जब्त कर लिए गए थे और बी एस एन एल के कब्जे में नहीं थे। हालाँकि, वे अभी भी आर ई एम और फीको मॉड्यूल में मौजूद थे।
- घ. आर टी टी सी वी के आई एरिया रोड नंबर 14 जयपुर स्थित क्षेत्रीय प्रशिक्षण भवन की ₹5.63 करोड़ की लागत राजस्थान परिमंडल में आर ई एम मॉड्यूल में दो बार प्रविष्टी गयी।
- ङ. हिमाचल प्रदेश परिमंडल में प्लॉट के क्षेत्रफल में अंतर था जैसा कि डेटाबेस में दर्ज किया गया था और संबंधित फाइल के रिकार्ड में उपलब्ध था।

प्रबंधन ने कहा (जुलाई 2022) कि बी एस एन एल को दूरसंचार सेवा विभाग (डी टी एस) और दूरसंचार प्रचालन विभाग (डी टी ओ) से भूमि और भवन परिसम्पतियाँ विरासत में मिली थी। हस्तांतरण के समय, भूमि परिसम्पतियों और उनके स्वामित्व के रिकार्ड का कोई केंद्रीय डेटाबेस नहीं था। प्रत्यक्ष रिकार्ड अपूर्ण थे और अलग-अलग माध्यमिक स्विचिंग क्षेत्रों (एस एस ए) में थे। बी एस एन एल के गठन के पहले 10-12 वर्षों के लिए यह आशा की गई थी कि अपनी सेवाओं और भविष्य के विस्तार के लिए भूमि परिसंपत्ति की आवश्यकता होगी। इसलिए मुद्दीकरण या भू-अभिलेखों की संवीक्षा की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। अब काफी सोच-विचार के बाद ई आर पी सिस्टम के रियल एस्टेट मॉड्यूल (आर ई एम) में भूमि और भवन परिसम्पतियों का प्रमुख डेटाबेस बनाया गया।

लेखापरीक्षा ने पी ए सी रिपोर्ट (2016-17) के अनुसार और जुलाई 2022 में मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार भूमि खंडों के आंकड़ों के बीच असंगतता देखी, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:-

**तालिका 4.1: भूखंडों के आंकड़ों में विसंगति**

विवरण	विरासत में मिली संपत्ति	अधिग्रहीत संपत्ति	कुल (प्लॉटों / भूखण्डों की संख्या)
पी ए सी मूल रिपोर्ट (2016-17) के अनुसार भूमि खंड	12,194	2,788	14,982
मंत्रालय के उत्तर के अनुसार भूमि खंड (जुलाई 2022)	12,131	3,345	15,476

लेखापरीक्षा टिप्पणी स्वीकार करते समय बी एस एन एल के प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि आर ई एम मॉड्यूल में भूमि खंडों की कुल संख्या 15,476 थी। दूरसंचार विभाग से बी एस एन एल में स्थानांतरण के समय से भवन भूमि से अलग नहीं थे और हस्तांतरित भूमि का हिस्सा थे। यह कहा गया था कि आंकड़े अनंतिम थे और परिवर्तन के अधीन थे क्योंकि परिमंडलों द्वारा आर ई एम मॉड्यूल में डेटा शोधन हो रहा था।

विभिन्न डेटाबेसों<sup>25</sup> के बीच असामान्य भिन्नता पर लेखापरीक्षा अवलोकन का जवाब देते हुए मंत्रालय ने कहा था (फरवरी 2013) कि एम आई एस साइट पर डेटा शोधन अभी भी पूरा नहीं

<sup>25</sup> बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय के सिविल विंग और कंपनी के लेखापरीक्षित खातों द्वारा अनुरक्षित

हुआ था जैसा कि 2014 की सी ए जी रिपोर्ट संख्या 17 में दिखाया गया था। इस प्रकार, लेखापरीक्षा रिपोर्ट में और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा बार-बार इंगित किये जाने पर संपदा डेटा में भिन्नता का मुद्दा रहता है और डेटा शोधन अभी भी पूर्ण नहीं हुआ था।

बी एस एन एल को अपनी प्रमुख वास्तविक सम्पदा की प्रभावी निगरानी को सक्षम करने के लिए त्रुटियों को सुधारने और डेटा की प्रमाणिकता के लिए डेटाबेस में आकड़ों को अद्यतन करने के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता है।

#### 4.1.2.2 व्यापक संपदा प्रबंधन नीति का अभाव

सम्पदा प्रबंधन नीति एक ऐसी कंपनी के लिए मूलभूत आवश्यकता है जिसके पास प्रमुख स्थानों पर भूमि खंडों सहित ₹67,000 करोड़ का वास्तविक संपदा है। बी एस एन एल में भूमि प्रबंधन पर सी ए जी की 2014 की रिपोर्ट संख्या 17 के बाद, पी ए सी ने (2016-17 की 53वीं रिपोर्ट सोलहवीं लोकसभा) वर्ष 2000 के दौरान डी ओ टी से भूमि के बड़े हिस्से को विरासत में लेने के बावजूद भी मई 2013 तक भूमि प्रबंधन नीति तैयार करने में कंपनी की अक्षमता पर अप्रसन्नता व्यक्त की थी।

पी ए सी ने सिफारिश की थी कि कंपनी भूमि के अपने अमूल्य भागों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक मजबूत भूमि प्रबंधन नीति तैयार करने के लिए तत्काल कदम उठाये। कंपनी ने आश्वासन दिया था (नवम्बर 2016) कि भूमि प्रबंधन नीति निश्चित की जाएगी। बी एस एन एल ने 2012 में रेटिंग दिशानिर्देश / पद्धति, 2016 में रेटिंग आउट नीति और 2020 में एक व्यापक रेटिंग-आउट पॉलिसी (सी आर ओ पी) जारी की गई। इसके अलावा, दिसंबर 2020 में बी एस एन एल के लिये पुर्नजीवन हेतु योजना के लिए मंत्री समूह के बैठक के सन्दर्भ में दूरसंचार विभाग ने भूमि व भवन परिसम्पत्ति के मुद्रिकरण के लिये नीति तैयार की (जून 2021) ताकि परिसम्पत्ति के मुद्रिकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। हालांकि, ये दिशानिर्देश और नीतियाँ अधूरी थी और विशिष्ट उद्देश्यों तक सीमित थे, जैसे आवासीय आवास और कंपनी की अन्य निर्मित सुविधाओं या मुद्रिकरण सहित भवन स्थान को किराये पर देना। संपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक व्यापक नीति अभी भी प्रतीक्षित है।

बी एस एन एल ने कहा (जुलाई 2022) कि मंत्रालयों को ₹100 करोड़ से कम मूल्य की संपत्तियों के मुद्रिकरण की अनुमति केवल अक्टूबर 2020 में दी गई थी। जून 2021 में, एकमुश्त बिक्री / हस्तांतरण के माध्यम से भूमि और भवन परिसंपत्तियों के मुद्रिकरण के लिए एक नीति लागू की गई थी जिसमें संपदा प्रबंधन के साथ संरक्षण का प्रावधान भी शामिल था। इस प्रकार, सरकार द्वारा मुद्रिकरण की अनुमति दिए जाने के बाद बी एस एन एल द्वारा अपनी भूमि और भवन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के प्रयासों में कोई देरी या कमी नहीं थी।

हालांकि, तथ्य यह है कि नवंबर 2016 में पी ए सी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के विपरीत कंपनी के पास मई 2021 तक कोई व्यापक भूमि और संपदा प्रबंधन नीति नहीं थी।

दो दशकों से अधिक की लंबी अवधि के लिये व्यापक संपदा प्रबंधन नीति के न होने से भूमि और भवनों के संरक्षण, सर्वोत्तम उपयोग व मुद्रिकरण हेतु कार्रवाई को पर्याप्त प्रभावित किया।

#### 4.1.2.3 कंपनी द्वारा संपत्तियों का गैर नामान्तरण

बी एस एन एल को अपने गठन के समय दूरसंचार विभाग से 382.69 लाख वर्ग मीटर के 12,131 भूमि खंड विरासत में मिले थे। दूरसंचार विभाग ने (सितंबर 2000) बी एस एन एल को अपने नाम पर इन संपत्तियों के हस्तांतरण / नामांतरण / अन्य संक्रामण के लिए प्राधिकृत किया। दूरसंचार विभाग ने निर्देश दिया कि कार्य को 31 दिसंबर 2000 तक पूरा किया जाना था। बी एस एन एल ने, हालांकि, सितंबर 2011 में प्रक्रिया शुरू की। बी एस एन एल व दूरसंचार विभाग की ओर से सम्बंधित नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए) द्वारा कार्य संयुक्त रूप से संचालित किया जाना था ताकि परिसंपत्तियों का शीघ्र हस्तांतरण सुनिश्चित किया जा सके। यह काम 30 सितंबर 2011 तक पूरा किया जाना था।

2014 की सी ए जी रिपोर्ट संख्या 17 में भूमि के स्वामित्व / गैर नामांतरण और अभिलेखों की अनुपलब्धता के मुद्दों को चिह्नित किया गया था। पी एस सी ने सिफारिश की (नवंबर 2016) जल्द से जल्द भूमि के नामांतरण / स्थानांतरण के निष्पादन की प्रक्रिया इसके अधिग्रहीत करने के बाद बिना देरी के सुव्यवस्थित की जाये। कंपनी ने पी ए सी को नामांतरण की पूरी प्रक्रिया को मार्च 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य का आश्वासन दिया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2022 तक 12,131 भूमि खंडों में से केवल 4,734 भूमि खंड (स्पष्ट राजस्व रिकार्ड के 7,576 भूमि खंडों का 62 प्रतिशत) बी एस एन एल के नाम पर नामांतरित किये गये थे। यह दूरसंचार विभाग से बी एस एन एल द्वारा अधिग्रहीत कुल भूमि खंडों (12,131) का मात्र 39 प्रतिशत था। बी एस एन एल कंपनी के गठन की तारीख से 20 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी शेष का नामांतरण होना बाकी था। यह मुख्य रूप से संपत्ति के दस्तावेजों की अनुपलब्धता, अधूरे दस्तावेजों, राजस्व प्राधिकारियों के साथ अप्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई और आवंटन पत्रों में प्रतिबंधात्मक शर्तों जैसे कारणों से था।

लेखापरीक्षा ने नामांतरण की तुलना में निम्नलिखित मुद्दे देखे:

क. 42 परिमंडलों में से, केवल तीन परिमंडल (1-2 भूमि खंड वाले) ने मार्च 2019 तक भूमि खंड का नामांतरण पूरा किया। तीन परिमंडलों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (25 भूमि खंड वाले), जम्मू और कश्मीर (40 भूमि खंड के साथ) और टेलीकॉम स्टोर कोलकाता (एक भूमि खंड के साथ) परिमंडलों में, इस तिथि तक किसी परिसंपत्ति का नामांतरण नहीं किया गया था जबकि 17 परिमंडलों में नामांतरण की प्रगति लगभग<sup>26</sup> 50 प्रतिशत थी। यू पी (पूर्व) परिमंडल 308 लैंड भूमि खंडों में से केवल छह को नामांतरण किया, उड़ीसा ने 165 भूमि खंडों से 19 को नामांतरण किया और एन टी आर (नॉर्डन टेलीकॉम रीजन) ने 97 भूमि खंडों में से 16 का नामांतरण किया।

<sup>26</sup> पूर्वी दूरसंचार क्षेत्र (21 में से चार भूमि पार्सल), यू पी (ई) (308 में से छह), असम (14 में से तीन), चेन्नई टेलीकॉम जिला (75 में से 20), कलकत्ता दूरसंचार जिला (24 में से छह) झारखंड (43 में से 15), कर्नाटक (605 में से 287), एन ई-2 (83 में से 31), उत्तरी दूरसंचार परियोजना (10 में से तीन), उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र (97 में से 16), ओडिशा (165 में से 19), टेलीकॉम फैक्ट्री जबलपुर (14 में से 06) यू पी (वेस्ट) (159 में से 70), उत्तराखंड (39 में से 15), पश्चिम बंगाल (19 में से 10) वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट (आठ में से चार), पश्चिमी दूरसंचार क्षेत्र (69 में से 28)।



ख. कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन (सी एन टी एक्स) वेस्ट परिमंडल (पूर्ववर्ती डब्ल्यू टी आर) में सभी भूमि खंडों को नामांतरित बताया गया था। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि 1989 में अधिग्रहित 1000 वर्गमीटर (कांदली में) भूमि खंड का आज तक नामांतरण नहीं किया गया था क्योंकि 7/12 का सार<sup>27</sup> अभी भी दूरसंचार विभाग के नाम पर था। इंगित किए जाने पर, प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2021) कि मामले के सत्यापन के लिए संबंधित प्राधिकरण को भेज दिया जाएगा और आगे की प्रगति से अवगत कराया जाएगा।

ग. केरल परिमंडल में, राज्य सरकार / अन्य संगठनों (एन एच ए आई) द्वारा चार भूमि खंडों<sup>28</sup> का अधिग्रहण किया गया था। राज्य सरकार ने बी एस एन एल को मुआवजा जारी करने के लिये नामांतरण प्रमाण पत्र, पंजीकृत बिक्री विलेख, टाइटल डीड, कब्जा प्रमाण पत्र जैसे स्वामित्व रिकॉर्ड जमा करने का कहा था। हालांकि, बी एस एन एल भूमि का नामांतरण न होने, बिक्री विलेख का पंजीकरण न होने या संपत्ति के दस्तावेजों की अनुपलब्धता जैसे कारणों से आवश्यक स्वामित्व रिकॉर्ड / दस्तावेज उपलब्ध कराने में विफल रहा। नतीजतन, बी एस एन एल अधिग्रहण करने वाले प्राधिकारियों से ₹1.34 करोड़ के मुआवजे की वसूली नहीं कर सका।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुये उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि बी एस एन एल के नाम पर कुल 5,363 भू-खण्डों का नामांतरण किया गया था। नामांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। परिमंडल कार्यालयों को कार्य पूरा करने के लिये लगातार निर्देशित किया गया था और भूमि को अतिक्रमण और विवादों से बचाने के लिये बी एस एन एल समयबद्ध तरीके से बी एस एन एल के नाम पर भूमि के स्थानांतरण / नामांतरण के लिये सभी प्रयास कर रहा था।

उत्तर से यह स्पष्ट है कि पिछली सी ए जी रिपोर्ट और पी ए सी की सिफारिशों के बावजूद, बी एस एन एल ने अभी तक विरासत में मिली सभी भूमि का नामांतरण पूरा नहीं किया है, जो अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण के बाद मुआवजे की वसूली न होने का मुख्य कारण है। बी एस एन एल के नाम पर भूमि के टाइटल डीड के अभाव में, यह अपनी संपत्तियों का अतिक्रमण और कानूनी विवादों, यदि कोई हो, से बचाने में सक्षम नहीं होगा। प्रशासनिक मंत्रालय होने के नाते दूरसंचार विभाग ने भू-स्वामित्व विलेखों के निष्पादन की प्रभावी ढंग से निगरानी भी नहीं की थी।

#### 4.1.2.4 परिसंपत्तियों की बिक्री / हस्तांतरण के माध्यम से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

दूरसंचार विभाग ने (जुलाई 2019) बी एस एन एल के पुनर्गठन / पुनः संचालित करने की योजना को तैयार करने की लिये प्रक्रिया शुरू की। सरकार ने “बी एस एन एल के पुनरुद्धार करने” के लिये दूरसंचार विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी (अक्टूबर 2019), जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, दीपम दिशानिर्देशों का पालन करते हुये भूमि / भवन का मुद्रीकरण शामिल था। परिसंपत्ति मुद्रीकरण से प्राप्त आय बी एस एन एल को अपने ऋण, पूंजीगत व्यय और अन्य

<sup>27</sup> 7/12 अर्क या रिकॉर्ड आफ राइट्स महाराष्ट्र सरकार के राजस्व विभाग द्वारा रखे गये भूमि रिकॉर्ड रजिस्टर से उद्धरण है।

<sup>28</sup> समाक्षीय पुनरावर्तक स्टेशन अट्टिगंल, और पल्लीचल, त्रिवेन्द्रम में, दो भूमि भूखण्ड गांधी नगर, कोच्चि और चावरा, कोल्लम में।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जमा की जाएगी। केबिनेट नोट में बी एस एन एल के लिये परिकल्पित परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लक्ष्यों का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण का वर्षवार लक्ष्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
लक्ष्य	200	6,000	8,000	6,000	20,200

अक्टूबर 2020 में, दीपम ने निर्णय लिया कि ₹100 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों को दीपम द्वारा तैयार रूपरेखा के अनुसार मुद्रीकृत किया जाएगा और ₹100 करोड़ से कम की परिसंपत्तियों को बी एस एन एल / दूरसंचार विभाग द्वारा मुद्रीकृत किया जाएगा।

### 4.1.2.4 (क) ₹100 करोड़ की सीमा मूल्य से कम परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने सितंबर 2011, नवंबर 2017 और नवंबर 2020 में परिमंडलों को भूमि खंडों का वाणिज्यिक रूप से दोहन करने का निर्देश दिया क्योंकि उनमें से कई संपत्ति कर, निगरानी और मरम्मत आदि के रूप में कंपनी के विशाल वित्तीय संसाधनों का उपयोग करते हुये पूरी तरह या आंशिक रूप से खाली थे। परिमंडलों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे खाली भूमि का उपयोग या तो भूमि उपयोग के परिवर्तन के माध्यम से करें या अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिये अन्य विभागों को अधिशेष स्थान पट्टे पर दें।

सी ए जी की 2014 की रिपोर्ट संख्या 17 के अनुसार, कंपनी के पास 29 परिमंडलों में 1,953 भूमि खंड थे, जिनके फ्री होल्ड अधिकार 32.46 लाख वर्ग मीटर थे जो देश भर में पूरी तरह से खाली पड़े थे। पी ए सी ने बी एस एन एल से सिफारिश की कि वह खाली पड़ी जमीन के वाणिज्यिक दोहन के प्रस्तावों को तेजी से प्रस्तुत करके अपनी खाली जमीन से अधिक राजस्व अर्जित करने में सक्रिय बने। मंत्रालय ने लोक लेखा समिति (पी ए सी) की 2016-17 की 53वीं रिपोर्ट के जवाब में कहा कि बी एस एन एल की खाली पड़ी जमीनों का वाणिज्यिक दोहन और इसके प्रस्ताव पर विचार प्रारंभिक चरण में था।

लेखापरीक्षा ने कंपनी में रिकॉर्ड से देखा कि जनवरी 2021 तक बी एस एन एल के पास कुल 15,121 भूमि खंड में से 30 परिमंडलों में 2,483 भूमि खंड प्रत्येक का मूल्य ₹100 करोड़ से कम (कुल भूमि का 16 प्रतिशत) पूरी तरह से खाली पड़े थे (अनुलग्नक-4.2)। दक्षिणी दूरसंचार परियोजनाओं (एस टी पी) में 90 प्रतिशत भूमि खाली थी, इसके बाद दक्षिणी दूरसंचार क्षेत्र (एस टी आर) में 48 प्रतिशत और हिमाचल प्रदेश में 37 प्रतिशत भूमि खाली थी। इसके विपरीत कंपनी ने मुद्रीकरण के उद्देश्य से अतिरिक्त भूमि के रूप में केवल 317 भूमि खंडों की पहचान की। तदनुसार, अक्टूबर 2019 से फरवरी 2023 के दौरान बिक्री / हस्तांतरण के माध्यम से ₹188.50 करोड़ की संपत्ति का मुद्रीकरण किया गया। यह भी पाया गया कि उड़ीसा परिमंडल के बेरहामपुर जिले में विरासत में प्राप्त चार अनुपयोगी खाली प्लॉट होने के बावजूद, 2003 में उसी जिले में 13 और भूमि खंडों (दो फ्री होल्ड और 11 लीज होल्ड संपत्ति) का अधिग्रहण किया, जो अधिग्रहण के बाद से खाली पड़े थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि उक्त परिसंपत्ति या तो दूरसंचार विभाग से विरासत में मिली थी या बी एस एन एल द्वारा टेलीफोन एक्सचेंज बी टी एस टावर या प्रशासनिक भवन के निर्माण के उद्देश्य से अधिग्रहीत की गई थी। लेकिन प्रौद्योगिकी में बदलाव और धन की कमी के कारण जिस उद्देश्य के लिए भूमि प्राप्त की गई, उसे प्राप्त नहीं की जा सकी। बड़े भूमि खंड से प्रारंभ करके भूमि खंडों के उपयोग अथवा वाणिज्यिक दोहन के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे।

कंपनी के अपने रिकॉर्ड में विसंगति इस बात की पुष्टि करती है कि बी एस एन एल द्वारा वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भूमि खंड की पहचान करने के लिए उचित प्रयास नहीं किए गए थे। उच्च मौद्रिक मूल्य वाली खाली भूमि के कुछ निदर्शी मामलें नीचे स्टडी के रूप में दिए गए हैं:-

#### केस स्टडी 1

##### दिलशाद गार्डन, सी जी एम टी एक्स (एन), दिल्ली में ₹9.71 करोड़ मूल्य का खाली प्लॉट

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी डी ए) ने महाप्रबंधक (दूरभाष) को ₹1,36,397 की लागत पर दिलशाद गार्डन, दिल्ली में 920 वर्ग मीटर की भूमि विभागीय टेलीग्राफ कार्यालय भवन के निर्माण के लिए आवंटित की (दिसंबर 1984)। सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन के अनुसार, जुलाई 2019 तक भूमि का मूल्य ₹9.71 करोड़ था। आवंटन पत्र की शर्तों में निर्धारित किया गया था कि दिल्ली टेलीफोन इस प्रकार आवंटित भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा, सिवाय जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है और विभाग से अपेक्षा की गई थी कि वह भूमि का कब्जा सौंपे जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर निर्माण पूरा करेगा। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, यह संपत्ति लीजडहोल्ड है और अभी भी दूरसंचार विभाग के नाम पर है। बी एस एन एल डी डी ए की पूर्व अनुमति के बिना किसी अन्य पार्टी को जमीन बेचने, गिरवी रखने या किराये पर देने में सक्षम नहीं होगा। नतीजन, प्रमुख स्थान पर भूमि वर्षों से अप्रयुक्त रही और बेकार पड़ी रही।

#### केस स्टडी 2

##### महाराष्ट्र परिमंडल के विरार में ₹ 2.40 करोड़ का निष्फल निवेश

बी एस एन एल ने महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एम एच ए डी ए) से सुख सुविधायें देने के उद्देश्य से विरार में 6,596 वर्ग मीटर (2004) जमीन ₹2.40 करोड़ में ₹2.11 लाख प्रति वर्ष के पट्टा किराये के साथ पट्टे पर ली। आवंटन शर्तों के अनुसार, निर्माण कब्जे के तीन वर्ष के भीतर पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बी एस एन एल द्वारा निर्माण शुरू नहीं किया गया था। इसके अलावा, जब बी एस एन एल ने 2010 में कार्यालय प्रयोजन के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अनुरोध किया, तो समय सीमा के भीतर निर्माण न होने के कारण इसे मंजूर नहीं किया गया था। जैसा कि मंत्रालय द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2022), इस संपत्ति को मुद्रीकरण के माध्यम से राजस्व सृजन के लिए माना जा रहा है।

केस स्टडी 3

मुवत्तुपुझा पुराना टेलीफोन एक्सचेंज परिसर-केरल

केरल में मुवत्तुपुझा पुराना टेलीफोन एक्सचेंज परिसर के साथ स्टाफ क्वार्टर का कुल क्षेत्रफल 1,115 वर्ग मीटर है। यह जमीन दूरसंचार विभाग से विरासत में मिली है। भूमि घनी वनस्पतियों से युक्त है तथा खाली पड़ी है और टेलीफोन एक्सचेंज और स्टाफ क्वार्टर खंडहर हो गये हैं। आगे बी एस एन एल के पास एक स्केच को छोड़कर कोई भूमि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था।

उत्तर दिया गया (अक्टूबर 2021) कि भूमि का नामांतरण बी एस एन एल के नाम पर नहीं किया गया है तथा कब्जा एवं नामांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए राजस्व प्राधिकारियों से भू-अभिलेखों को एकत्रित / पहचानने की कार्रवाई की गई है।

मंत्रालय और प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि कंपनी के गठन के बाद खरीदे गए खाली भूखंड उस समय की अनुमानित/प्रत्याशित आवश्यकताओं के अनुसार थे लेकिन प्रौद्योगिकी में उन्नति और उपकरणों के लघुकरण के कारण, बाद में स्थापनाओं के लिए इसी स्थान की आवश्यकता में कमी आई। अन्य कारकों जैसे कि धन की अनुपलब्धता या वित्तीय व्यवहार्यता से भी भू-खंड के गैर-उपयोग को और बढ़ावा मिला, जिस उद्देश्य से वे शुरू में खरीदे गए थे। वर्तमान में, बी एस एन एल के पास खाली भूखंडों को किराए पर देने या पट्टे पर देने का कोई अधिकार नहीं है आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन के (अनुच्छेद 144(3)<sup>29</sup> के अनुसार)। बी एस एन एल ने अप्रैल 2022 में दूरसंचार विभाग को अनुच्छेद 144(3) में संशोधन के लिए खाली भूमि को किराए पर देकर उसका उपयोग करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके लिए मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार था।

बी एस एन एल के संस्था के आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन (ए ओ ए) में प्रतिबंधों के कारण भूमि के उपयोग पर किसी भी सीमा को शुरू में ही बता देना चाहिए था। इस प्रकार, बी एस एन एल द्वारा धारित भूमि के बेहतर उपयोग / मुद्रीकरण के संबंध में पी ए सी को आश्वासन इस मुद्दे की समग्रता में जांच किए बिना दिया गया था क्योंकि प्रबंधन ने केवल अप्रैल 2022 में दूरसंचार विभाग से संबद्ध संस्था के अंतर्नियमों में संशोधन के लिए अनुरोध किया था।

अनुपयोगी पड़ी भूमि / भवनों की निगरानी मरम्मत व रखरखाव में बिना किसी लाभ के कंपनी के दुर्लभ वित्तीय और मानवीय संसाधनों का दोहन हो रहा था। इसके अलावा, बिक्री के समय देयों / स्थानीय प्राधिकरण करों, हस्तांतरण शुल्क और स्टांप शुल्क आदि के निपटान के संदर्भ में वित्तीय निहितार्थ से कंपनी पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस प्रकार, बी एस एन एल के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी खाली भूमि / भवन परिसंपत्तियों को किराए पर / पट्टे पर देकर या मुद्रीकरण के लिए एक ठोस योजना बनाकर अतिरिक्त भूमि की बिक्री करके

<sup>29</sup> बी एस एन एल के आर्टिकल ऑफ एशोसियेशन के अनुच्छेद 144(3) के अनुसार, कंपनी को (क) किसी भी भूमि की बिक्री, पट्टे या निपटान (ख) किसी भी इमारत की बिक्री या निपटान (ग) भवन की विरल क्षमता का 10 वर्ष से अधिक की अवधि का पट्टा या उसके विस्तार / किराये के संबंध में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

राजस्व अर्जित करने की संभावनाओं का पता लगाए और कंपनी की घटती वित्तीय स्थिति को देखते हुए अधिक महत्व प्राप्त करे।

#### 4.1.2.4 (ख) दीपम रुपरेखा के माध्यम से परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण

दूरसंचार विभाग ने नवंबर 2019 में 14 संपत्तियों (अनुलग्नक 4.3) के मुद्रीकरण के लिए कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन अनुमोदन दिया। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि बोली लगाने के लिए केवल चार परिसंपत्तियों को प्रस्तुत किया जा सका क्योंकि शेष संपत्तियों में अतिक्रमण, दस्तावेजीकरण में कमियां और परिसंपत्तियों के उपयोग पर प्रतिबंध जैसे मुद्दे थे। वास्तव में, जिन चार संपत्तियों के लिए नवम्बर 2021 में बोलियां लगाई गई थी, उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला क्योंकि इन परिसंपत्तियों के लिए कोई सफल बोली प्राप्त नहीं हुई थी। नतीजन, जुलाई 2022 तक इनमें से किसी भी संपत्ति का मुद्रीकरण नहीं किया जा सका। इस प्रकार, संपत्तियों के अनुचित चयन और संपत्तियों के नामांतरण के लिए दस्तावेजीकरण को पूरा करने के प्रयासों की कमी के परिणामस्वरूप मुद्रीकरण के प्रयास विफल रहे।

प्रबन्धन (जुलाई 2022) ने लक्ष्यों की प्राप्ति न होने के विभिन्न कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि लक्ष्यों पर पुनः विचार किया जा रहा था तथा उन सम्पत्तियों को पहले मुद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा था जो निजी पार्टियों से खरीदी गई हैं तथा जिनके लिये राज्य सरकार की अनुमति शामिल नहीं थी। हालांकि, ऐसी संपत्तियों की संख्या और कुल मूल्य काफी कम है। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया। इसके अलावा, प्रबन्धन ने (फरवरी 2023) कहा कि सफल बोलियां प्राप्त न होने के संभावित कारण उच्च आरक्षित मूल्य, सख्त भुगतान शर्तें, कोविड-19 वायरस का प्रकोप आदि थे।

इस प्रकार, यथोचित सावधानी की कमी के कारण, बी एस एन एल परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

#### 4.1.2.5 (क) पट्टे के माध्यम से परिसंपत्ति का मुद्रीकरण

बिक्री के अलावा, संपत्तियों को पट्टे पर देना और अतिरिक्त जगह को किराए पर देना बी एस एन एल सम्पदाओं के वाणिज्यिक दोहन के लिए पहचाने गए अन्य तरीके थे। 2016 की रेंटिंग पॉलिसी और क्रॉप 2020 उपयुक्त संपत्तियों पट्टे पर देने के माध्यम से बहुत आवश्यक संसाधन उत्पन्न करने के लिए तैयार की गई थी। बी एस एन एल ने अक्टूबर 2019 से फरवरी 2023 के दौरान पट्टे पर दी गई संपत्तियों के मुद्रीकरण के माध्यम से 689.79 करोड़ की राशि अर्जित की।

बी एस एन एल ने अगस्त 2020 में व्यापक रेंटिंग आउट पॉलिसी (क्रॉप-2020) जारी की थी, जिसमें आवासीय आवास और अन्य निर्मित सुविधाओं सहित अतिरिक्त स्थान को अधिकतम दस वर्षों की अवधि के लिए किराए पर देने के लिए पहले की मौजूदा नीतियों को बदल दिया गया था। इसका उद्देश्य अपने सभी भवनों जैसे प्रशासनिक कार्यालय भवन, तकनीकी भवन, स्टाफ क्वार्टर और प्रशिक्षण केंद्रों में खाली जगह की पहचान करना और किराया राजस्व को अधिकतम करने के लिए नीति में वर्णित पद्धति के अनुसार किराए पर देना था।

बी एस एन एल की किराये की नीतियों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2022 तक, स्टाफ क्वार्टर (कुल 54,984) का केवल 43 प्रतिशत (23,882)

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

भरा हुआ था और 31,162 क्वार्टर खाली थे। इसके अलावा, कुल खाली क्वार्टरों में से 11,855 (खाली क्वार्टरों का 38 प्रतिशत) अनुपयोगी स्थिति में थे। समय पर किराए पर देकर, बी एस एन एल क्रॉप 2020 में अनुमोदित दरों के अनुसार रुढ़िवादी आधार पर प्रति माह ₹10 करोड़<sup>30</sup> कमा सकता था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2016 और 2020 की नीति में जल आपूर्ति और स्वच्छता के संबंध में न्यूनतम रखरखाव का प्रावधान किया गया था, लेकिन मरम्मत और संरचनात्मक संशोधनों की आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया था। एन ई-1 और ओडिशा परिमंडलों को छोड़कर लगभग सभी परिमंडलों में क्वार्टरों के रखरखाव पर खर्च या तो शून्य था या कम हो रहा था। यह देखा गया था कि मुख्य रूप से उनकी जर्जर स्थिति के कारण क्वार्टरों को किराए पर नहीं दिया जा सका। साथ ही, क्रॉप 2020 में तय किया गया किराया मौजूदा बाजार दरों की तुलना में अधिक था।

परिमंडलों को ज्ञात हुआ कि बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय स्थानीय बाजार शर्तों के आधार पर किराये के मूल्य को तय करने में उन्हें लचीला बनाने में समर्थ करें ताकि खाली स्टाफ क्वार्टरों को पट्टे पर दिया जा सके और कम से कम स्टाफ क्वार्टरों के रखरखाव और मरम्मत को शामिल करने के लिए राजस्व अर्जित किया जा सके। स्थानों और स्टाफ क्वार्टरों को किराए पर देने में देरी का कारण यह भी था कि किरायेदारों ने तैयार किये गये में कब्जे की मांग की थी जबकि क्रॉप में कब्जा करार को निष्पादित करने के बाद मरम्मत के लिए प्रावधान किया था। इसलिए, अधिकांश क्वार्टर संभावित किरायेदारों द्वारा अस्वीकार किए जा रहे थे।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि बी एस एन एल में वित्तीय संकट के कारण अधिकांश भवनों में पिछले दस वर्षों से नियमित रखरखाव, बाहरी / आंतरिक पेंटिंग नहीं की गई थी और क्वार्टरों की स्थिति धीरे-धीरे खराब हो गई थी। इसके अलावा, जनवरी 2020 में बी एस एन एल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) के कारण कर्मचारियों द्वारा बड़ी संख्या में स्टाफ क्वार्टर को अचानक खाली कर दिया गया था, जिसके बाद पिछले दो वर्षों में कोविड-19 अनिश्चित लॉक-डाउन की स्थिति थी। बी एस एन एल को अपने निरंतर प्रयासों के कारण स्टाफ क्वार्टरों को पट्टे पर देने से वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2021-22 में क्रमशः ₹77.43 करोड़ और ₹93.26 करोड़ के किराये की आय प्राप्त हुई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बी एस एन एल में वी आर एस 31 जनवरी 2020 से प्रभावी था। इस अवधि से पहले स्टाफ क्वार्टर लगातार खाली थे क्योंकि बी एस एन एल किराया राजस्व को अधिकतम करने के लिए समयबद्ध तरीके से प्रभावी कार्रवाई करने में असमर्थ था।

### 4.1.2.5 (ख) बकाया किराया देय राशि की वसूली न होना

जबकि बी एस एन एल अपने अतिरिक्त आवासीय क्वार्टरों को किराए पर देने में असमर्थ था, 13 परिमंडलों में रिकार्ड की नमूना जांच से पता चला कि इसके कार्यालय के स्थान किराए पर दिए गए थे और विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों द्वारा उपयोग किए जा रहे थे। हालांकि, एम टी एन एल, डो ओ पी, दूरसंचार विभाग, बी बी एन एल, इसरो, एस बी आई, पी एन बी, आई ई टी ई आदि जैसे कई विभागों से किराए, संपत्ति कर और उनके द्वारा कब्जा किए गए

<sup>30</sup> क्रॉप पालिसी के दिशा-निर्देशों के आधार पर बी एस एन एल द्वारा किए गए अनुमान।

स्थान के रखरखाव शुल्क के कारण बी एस एन एल के भवन और बी एस एन एल के स्टाफ क्वार्टरों के रहने वालों से ₹2,481.21 करोड़ की वसूली (दिसंबर 2021) लंबित थी। 2013-14 से 2020-21 की अवधि के लिए कुल बकाया राशि में से ₹2,413.44 करोड़ एम टी एन एल से संबंधित है, जो कुल देय का लगभग 97 प्रतिशत है।

लेखापरीक्षा में पाया कि सेवानिवृत्ति के बाद ठहरने की स्वीकार्य अवधि के बाद स्टाफ क्वार्टरों में रहने वाले सेवानिवृत्त बी एस एन एल कर्मचारियों, पट्टा विलेखों के गैर-नवीकरण और गैर निष्पादन और पट्टेदार / विभिन्न विभागों को बिलों के विलम्ब / गैर-जारी होने और पट्टेदार / विभागों द्वारा स्थान खाली करने से पहले देयों की वसूली न करना, जैसे कारणों से देय राशि बकाया रही।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि सेवानिवृत्ति के बाद स्वीकार्य अवधि से अधिक स्टाफ क्वार्टरों में रहने वाले सेवानिवृत्त बी एस एन एल कर्मचारियों से बकाया किराया मौजूदा नियमों के अनुसार वसूल किया जा रहा था। पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। परिमंडल कार्यालयों को ग्राहकों को चालान बनाने और लंबित देयों की वसूली के लिए स्थायी निर्देश दिए गए थे। दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल के उत्तर का समर्थन किया।

लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये जाने के बाद ही प्रबंधन ने पट्टा विलेखों के नवीनीकरण के निर्देश जारी किये। इस प्रकार, बी एस एन एल के प्रयास बाकाया देयों की वसूली के लिए पर्याप्त नहीं थे।

#### 4.1.2.6 संपत्तियों का अतिक्रमण

लेखापरीक्षा ने पाया कि भूखण्ड बिना किसी सुरक्षा के लम्बे समय से खाली पड़े थे जिससे भूखण्डों पर अतिक्रमण का खतरा मंडरा रहा था। बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने भी पुष्टि की (अप्रैल 2022) कि मार्च 2022 तक ई आर पी-आर ई एम माँड्यूल के अनुसार पूरे देश में अतिक्रमण के 137 मामले थे (अनुलग्नक 4.4)। यद्यपि बी एस एन एल द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था ताकि अतिक्रमणों को शीघ्र हटाना सुनिश्चित किया जा सके, कम्पनी अपनी भूमि खंडों को अतिक्रमण से बचाने में विफल रही।

भूमि के 101 भूखंडों के अतिक्रमण के मुद्दे को 2014 की सीएजी की रिपोर्ट संख्या 17 में उजागर किया गया था। पी ए सी ने देखा कि बी एस एन एल की भूमि के अतिक्रमण का मूल कारण भूमि के उचित सर्वेक्षण / सत्यापन की कमी, उचित भूमि के रिकार्ड की अनुपलब्धता, समय पर निरीक्षण करने में बी एस एन एल अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता, कंटीले तारों की बाड़ न होने और समय पर अतिक्रमण गतिविधियों की पहचान और रोकथाम न होना था। इसने मंत्रालय / बी एस एन एल को इन सभी अतिक्रमणों को जल्दी हटाने और भविष्य में अतिक्रमण को रोकने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने की सिफारिश की। मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने परिमंडलों को राजस्व प्राधिकरण के माध्यम से अपनी परिसंपत्ति निर्धारण करने और तदनुसार मुकदमेबाजी से बचाव करने का निर्देश दिया था।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

39 परिमंडलों में भूमि अभिलेखों की नमूना जांच से निम्नलिखित विशेष मामलो का पता चला:

- क.** मध्य प्रदेश (नौ भूमि खंड), कटक (पांच भूमि खंड) और दिल्ली टी एक्स नार्थ (एक भूमि खंड) परिमंडलों में 15 मामलों में भूखंडों की सुरक्षा के लिए कंटीले तार / बाड़ / चारदिवारी नहीं थी।
- ख.** हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और पंजाब परिमंडलों में अतिक्रमित भूमि के संबंध में छह मामलों में कानूनी कार्रवाई लंबित थी, जिनमें से पांच दूरसंचार जिला बी एस एन एल द्वारा अतिक्रमणकारियों के प्रति और एक हिमाचल प्रदेश में भू-राजस्व विभाग के प्रति दायर किया गया था।

गुजरात टेलीकॉम परिमंडल के हिम्मत नगर, सूरत और जूनागढ़ एसएसए में अतिक्रमण के मामले की सूचना सी ए जी की रिपोर्ट में दी गई और माननीय उच्च न्यायालय के भूमि (हिम्मत नगर) के संबंध में बी एस एन एल के पक्ष में निर्णय, (दिसम्बर 2010) के बावजूद कंपनी अतिक्रमण नहीं हटवा पाई। सूरत एस एस ए ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि भूमि का नामांतरण पूरा नहीं हुआ था और आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के तहत थे।

अतिक्रमण हटाने और नए अतिक्रमण की रोकथाम के साथ-साथ खाली और अतिक्रमित भूखंडों के समय पर निरीक्षण के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के लिए पीएसी की सिफारिशों के बावजूद जुलाई 2021 में परिसंपत्तियों के मुद्दीकरण के लिए प्रचालन निर्देश में भूमि के अतिक्रमण के संबंध में दो खंडों (खंड 4.3 और 4.4) को शामिल करने के अलावा बी एस एन एल द्वारा कोई कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए आँकड़ों में विसंगति थी। इससे पता चला कि आर ई एम मॉड्यूल के अनुसार 22 परिमंडलों में अतिक्रमण के 98 मामले थे, जो 6.62 लाख वर्ग मीटर का क्षेत्र था, जिसकी कीमत लगभग ₹ 7.46 करोड़ थी। इसमें आगे कहा गया है कि एक नोडल अधिकारी को लैंड रिकार्ड के संरक्षक (सी एल आर) के रूप में नामित किया गया था, जिसे भविष्य और वर्तमान अतिक्रमणों पर नजर रखने का काम सौंपा गया था। सभी मुख्य महाप्रबंधकों को आवश्यक निर्देश दिए गए थे कि उच्च मूल्य की खाली भूमि और अतिक्रमण सम्भावित भूमि पर तुरंत चारदीवारी का निर्माण करें और अतिक्रमण हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएं। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा अतिक्रमण के तहत 137 भूमि खंडों का आंकड़ा प्रदान किया गया था (अप्रैल 2022)। यह कंपनी के साथ भूमि अभिलेखों के मिलान और मान्य डेटाबेस की कमी का एक और उदाहरण है। अतिक्रमित भूमि खंडों का वर्तमान बाजार मूल्य इन संपत्तियों के खरीद मूल्य से बहुत अधिक होगा।



उच्च मौद्रिक मूल्य की अतिक्रमित भूमि के उदाहरणों पर नीचे चर्चा की गई है-

**केस स्टडी-4**

**मुंबई में भूमि का सीमांकन न होने के कारण अतिक्रमण**



1968 में महाराष्ट्र सरकार से 1,37,623 वर्ग मीटर का भूखंड जुहु तालुक, अंधेरी मुम्बई में पट्टे पर लिया गया था। अधिग्रहण के बाद से इस भूमि का सीमांकन नहीं किया गया था। संवीक्षा (2021) से पता चला कि बी एस एन एल के कब्जे में वास्तविक भूमि 84,113 वर्ग मीटर थी और शेष 53,510 वर्ग मीटर पहले से ही अतिक्रमण के अधीन थी। अधिग्रहण के वर्ष से 1998 तक अतिक्रमण क्षेत्र धीरे-धीरे बढ़ता गया। बी एस एन एल ने सारी भूमि पर पट्टा किराये का भुगतान किया। मुंबई भू-राजस्व प्राधिकारियों ने अतिक्रमित क्षेत्र के अनुपात में पट्टा किराया कम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण मुक्त भूमि सौंप दी थी। इसके बाद 2010 में 11,573 वर्ग मीटर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। बी एस एन एल को उस हिस्से को अपने कब्जे में लेने और भूखंड का सीमांकन करने का निर्देश दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि सीमांकन अभी (जुलाई 2022) तक नहीं किया गया था। अतिक्रमित भूमि का बाजार मूल्य लगभग ₹858.28 करोड़<sup>31</sup> है (मार्च 2021 तक सर्किल रेट- ₹2,04,660 प्रति वर्ग मीटर)। बी एस एन एल के सर्किल कार्यालय ने कॉर्पोरेट कार्यालय को सूचित किया (जून 2011) कि डिप्टी कलेक्टर ने भी शेष अतिक्रमण (53,510 माइनस 11,573 वर्ग मीटर) को हटाने में असमर्थता व्यक्त की थी। इस प्रकार, कई वर्षों से बाड़ / चारदीवारी के साथ उचित सीमांकन न होने से ₹858.28 करोड़ मूल्य की भूमि अतिक्रमण के अधीन थी।

प्रबंधन ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (जुलाई 2022) कि अतिक्रमण को छोड़कर सीमांकन करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों के साथ मामला उठाया गया था।

<sup>31</sup> 41,937 वर्ग मीटर (53,510-11,573) के लिए परिकल्पित

केस स्टडी 5

विरासत में मिली भूमि का अतिक्रमण-हैदराबाद



हैदराबाद टेलीकॉम जिला (एच टी डी) ने हैदराबाद अधिग्रहण अधिकारी से इन्दिरा सेवा सदन, सैदाबाद, हैदराबाद में टेलीफोन एक्सचेंज व सहायक सवाओं के निर्माण के लिए ₹1.34 करोड़ का भुगतान करके 36,102 वर्ग मीटर भूमि अधिगृहीत की (फरवरी 1997)। मई 1995 में विभाग को अग्रिम कब्जा दिया गया और विभाग ने 12,140 वर्ग मीटर क्षेत्र में 123 स्टाफ क्वार्टर का निर्माण किया। लेखापरीक्षा में पाया कि 36,102 वर्ग मीटर भूमि में से 10,000 वर्ग मीटर पर अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1996 में दूरसंचार विभाग द्वारा भूमि सौंपे जाने के समय, साइट पर कुछ अनाधिकृत झुग्गीवासी थे। इन कब्जाधारियों को राजस्व विभाग / नगर निगम द्वारा बिजली/पानी के कनेक्शन, राशन कार्ड जारी किए गए थे। 36,102 वर्ग मीटर का वर्तमान बाजार मूल्य ₹77.72 करोड़ था, जबकि 10,000 वर्ग मीटर की अतिक्रमित भूमि का मूल्य ₹21.52 करोड़ है। 25 वर्षों तक अतिक्रमण के बावजूद, एच टी डी ने न तो पुलिस अधिकारियों के पास कोई प्राथमिकी / शिकायत दर्ज की और न ही अनाधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करने के लिए न्यायालय में कोई मामला दायर किया। आगे, भूमि का स्वामित्व / अधिकार भी बी एस एन एल के नाम हस्तांतरित नहीं किया गया था और राजस्व विभाग के साथ भूमि अभिलेखों का कोई मिलान नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि भूमि का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनिर्णय के माध्यम से किया गया था लेकिन कब्जा लेने से पहले ही साइट में झुग्गियों की अच्छी संख्या थी। हैदराबाद के संपदा अधिकारी सह डी जी एम (प्रशासन) बी एस एन एल द्वारा सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत झुग्गीवासियों को बेदखली नोटिस जारी किया गया था और कानून के अनुसार बेदखली की कार्यवाही की गई थी। तथ्य यह है कि अतिक्रमण को अभी तक हटाया जाना था और भूमि का स्वामित्व / अधिकार भी बी एस एन एल के नाम स्थानांतरित नहीं किया गया था। साथ ही, राजस्व विभाग के साथ भू-अभिलेखों का कोई मिलान कभी नहीं किया गया।

अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने और कंपनी के नाम पर संपत्ति स्थानांतरित करने में देरी न केवल अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के समय कानूनी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, बल्कि परिसंपत्ति के नियोजित मुद्रीकरण में भी बाधा डालती है। बी एस एन एल

को चाहिये कि वह अतिक्रमण हटाने के लिए कड़े कदम उठाये और चारदीवारी आदि खड़ी करके नए अतिक्रमणों पर प्रतिबंध लगाये।

#### 4.1.3 निष्कर्ष

बी एस एन एल में संपदा प्रबंधन की समीक्षा से पता चला कि यद्यपि कंपनी के पास पर्याप्त भूमि और अचल संपदा क्षेत्र था, इसने पी ए सी को आश्वासन देने के बावजूद व्यापक भूमि और संपदा प्रबंधन नीति तैयार नहीं की थी। कंपनी के पास आज तक अपनी अचल संपदा परिसम्पत्तियों का समाधान और मान्य केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं है। पी ए सी का आश्वासन के बावजूद, बी एस एन एल के पास अपनी अचल संपदा के स्वामित्व के अधूरे रिकॉर्ड हैं, जो बिक्री / किराये के माध्यम से अपनी परिसम्पत्तियों के उपयोग में बाधक है। ऐसे मामलों में भी जहां कंपनी के पास स्वामित्व का स्पष्ट अधिकार है, वह अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए अपनी खाली भूमि और निर्मित स्थानों का वाणिज्यिक उपयोग करने में असमर्थ थी। हालांकि इस मुद्दे को पी ए सी द्वारा चिन्हित किया गया था, कंपनी अभी भी अतिक्रमण के खतरे से जूझ रही है और अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए हैं। मुद्दीकरण के लिए संपत्तियों के चयन और प्रस्ताव में उचित सावधानी की कमी होने के कारण लक्षित मुद्दीकरण गंभीर रूप से बाधित हुआ।

#### 4.1.4 सिफारिशें

- ❖ बी एस एन एल विभिन्न डेटा सेटों का मिलान कर सकता है और पूर्ण सम्पदा का सटीक डेटा की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता है।
- ❖ बी एस एन एल उन एजेंसियों के साथ कानूनी अधिकारों और करार को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्य बिन्दुओं के साथ एक समयबद्ध योजना बना सकता है, जिन्होंने कंपनी की भूमि को लीजहोल्ड पर लिया है या प्रतिकूल कब्जे में है।

### 4.2 बी एस एन एल ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना

#### 4.2.1 परिचय

दूरसंचार आयोग ने अप्रैल 2016 में भारतनेट नेटवर्क में आउटडोर सार्वजनिक वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट (ओ पी ए पी) प्रदान करने का निर्णय लिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में अंतिम लाभार्थी तक कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। आयोग ने दूरसंचार विभाग (डी ओ टी) (सितंबर 2016) को भारतनेट के भाग के रूप में ब्लॉक स्तर तक बी एस एन एल द्वारा बिछाए गए फाइबर का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इस परियोजना को वैश्विक सेवा दायित्व निधि (यू एस ओ एफ) से वित्तपोषित किया जाना था। चूंकि बी एस एन एल के लगभग 25,000 एक्सचेंज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित थे, दूरसंचार आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में बी एस एन एल के टेलीफोन एक्सचेंजों के अवसंरचना ढांचे का उपयोग कर के भुगतान पर सेवाएं प्रदान करने के लिए 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए दिसम्बर 2016 में डी ओ टी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी जिसमें कहा गया था कि सुविधा मुफ्त नहीं दी जानी चाहिए और परीक्षण के बाद परीक्षण और सशुल्क उपयोग की सुविधा के लिए एक नीति होनी

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

चाहिए। योजना के अनुसार, प्रचालन व्यय (ओपेक्स) समर्थन राशि एवं उपयोगकर्ताओं से अर्जित राजस्व का अंतर था।

बी एस एन एल, वैश्विक सेवा प्रदाता (यू एस पी) ने (जून 2017) प्रशासक, यू एस ओ एफ के साथ एक करार किया, जोकि करार की तारीख से ही प्रभावी होगा, जिसमें डिलिवरेबल्स, तकनीकी, प्रचालन और वाणिज्यिक स्थितियां, हॉटस्पॉट के स्थानों की सूची, समय-सीमा, वित्तीय सहायता की अनुसूची, सब्सिडी के दावे और परियोजना के प्रभाव का अध्ययन सहित 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना और रखरखाव की रूपरेखा शामिल है। बी एस एन एल को स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे लक्षित अंतिम उपयोगकर्ता उपकरणों के लिए वाई-फाई पर ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना था। करार के अनुसार, परियोजना की अनुमानित लागत ₹942.34 करोड़<sup>32</sup> थी। करार के मुख्य खंड इस प्रकार थे:

- i. यह करार प्रभावी तिथि से 42 महीने यानी दिसंबर 2020 तक वैध था, जब तक कि किसी भी कारण से इसे पूर्व में रद्द नहीं किया गया हो। हालांकि प्रशासक, यू एस ओ एफ लोक हित में परस्पर सहमत नियमों और शर्तों पर करार की वैधता को बढ़ा सकता था। 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना के लिए रोल आउट अवधि करार पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह महीने यानी दिसंबर 2017 तक थी।
- ii. बी एस एन एल इस परियोजना के तहत निर्मित सभी अवसंरचना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, चालू किये जाने, प्रचालन और रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था।
- iii. बी एस एन एल को कम से कम 2 एम बी पी एस की बैंडविड्थ के साथ अपने स्वयं के बैकहॉल<sup>33</sup> नेटवर्क का उपयोग करके प्रत्येक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए एक एक्सेस प्वाइंट स्थापित करना था और प्रति माह प्रति डिवाइस 4 जी बी की डाउनलोड सीमा तय करनी थी।
- iv. रोल आउट अवधि के अन्तर्गत वाई-फाई हॉटस्पॉट प्रदान न करने की स्थिति में, प्रत्येक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए चालू करने में प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके भाग की देरी के लिए कैपेक्स सब्सिडी के 2.5 प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित हर्जाना (एल डी) देय था, जो की अधिकतम 10 प्रतिशत तक था।
- v. 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट को सफलतापूर्वक स्थापित करने और चालू किये जाने पर यू एस ओ एफ द्वारा कैपेक्स सब्सिडी का वित्तपोषण किया जाना था।
- vi. यू एस ओ एफ द्वारा पहले वर्ष में बी एस एन एल द्वारा किये गये 100 प्रतिशत ओपेक्स, दूसरे वर्ष में 75 प्रतिशत और तीसरे वर्ष में 50 प्रतिशत का समर्थन करना था। उसके बाद बी एस एन एल यू एस ओ एफ के समर्थन के बिना सेवाएं प्रदान करेगा।
- vii. यह सुविधा मुफ्त नहीं दी जानी चाहिए और परीक्षण के बाद परीक्षण और सशुल्क उपयोग की सुविधा के लिए एक नीति होनी चाहिए। बी एस एन एल को चाहिये कि

<sup>32</sup> कैपेक्स ₹544.50 करोड़ और ओपेक्स ₹397.84 करोड़

<sup>33</sup> बैकहॉल उपग्रह नेटवर्क के उस भाग को संदर्भित करता है जो अन्य छोटे चैनलों के वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य नेटवर्क और छोटे नेटवर्क के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।

वह परीक्षण अवधि के बाद सशुल्क उपयोग के लिए टैरिफ तय करे जो सामान्यतः छः महीने से अधिक नहीं हो।

- viii. बी एस एन एल को वाई-फाई नेटवर्क का अपटाइम 99.99 प्रतिशत बनाए रखना चाहिए। यू एस ओ एफ के पास 99.99 प्रतिशत नेटवर्क अपटाइम का पालन न करने की स्थिति में देय कुल ओपेक्स सब्सिडी में कटौती करके जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है।
- ix. बी एस एन एल द्वारा करार पर हस्ताक्षर करने के 6-12 महीनों के भीतर मूल्यांकन / प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए और यू एस ओ एफ को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- x. बी एस एन एल को सभी पूर्व और बाद की संयोजन गतिविधियों जैसे बुकिंग, प्रावधान और शिकायतों से निपटने के लिए ग्राहकों को सिंगल विंडो इंटरफेस प्रदान करना चाहिए।

रोलआउट अवधि दिसंबर 2019 तक बढ़ा दी गई थी और तदनुसार करार की वैधता भी दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी। यू एस ओ एफ ने बी एस एन एल को अक्टूबर 2022 तक ₹524.26 करोड़ (कैपेक्स के रूप में ₹371.36 करोड़ और ओपेक्स के रूप में ₹152.90 करोड़) वितरित किए हैं।

2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्ष की अवधि को शामिल करते हुए सितंबर से दिसंबर 2021 तक परियोजना के कार्यान्वयन और निष्पादन की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा में बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय, इसके 25 परिमंडल में से 24 परिमंडल (पूर्वतर II सर्किल को छोड़कर), डी ओ टी मुख्यालय और संबंधित नियंत्रक संचार लेखा (सी सी ए / प्रधान सी सी ए) के कार्यालयों में उपलब्ध परियोजना से संबंधित डेटा की जांच शामिल थी। लेखापरीक्षा टीम ने 23<sup>34</sup> दूरसंचार परिमंडल में भी 957 साइटों का व्यक्तिगत सत्यापन किया।

## 4.2.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 4.2.2.1 उचित सावधानी के बिना 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट का चयन

प्रस्ताव के समय बी एस एन एल में लगभग 25,000 ग्रामीण दूरभाष एक्सचेंज थे। इस प्रकार, बी एस एन एल ने 25,000 हॉटस्पॉट स्थापित करने के लिए दूरसंचार आयोग (अक्टूबर 2016) को प्रस्ताव दिया। इस अनुमान के आधार पर, आयोग ने दिसंबर 2017 तक 25,000 ग्रामीण दूरभाष एक्सचेंजों में 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दी। तकनीक को निर्बाध 2जी / 3जी / 4जी डेटा ऑफलोड का समर्थन करना चाहिए। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि बी एस एन एल तकनीक केवल 2जी और 3जी डेटा ऑफलोड का समर्थन कर सकती थी जबकि 4जी देश में 2012 से प्रचालन में था।

बी एस एन एल ने समय-समय पर, मई 2018 में नवीनतम, निर्देश जारी किए थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडलाइन ग्राहकों की संख्या में कमी और इन एक्सचेंजों को संचालित करने और चलाने

<sup>34</sup> आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, चेन्नई दूरसंचार जिला, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र पूर्वतर-1, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उ प्र पूर्व, उ प्र पश्चिम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

की अक्षमता के कारण 20 से कम सीधी एक्सचेंज लाइन (डी ई एल) वाले ग्रामीण एक्सचेंजों को बंद कर दिया जाए। ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने का प्रस्ताव देते समय, बी एस एन एल ने इन एक्सचेंजों की निरंतर व्यवहार्यता की जांच नहीं की। अव्यवहार्य ग्रामीण एक्सचेंजों को बंद करने और साइटों को अन्य 2जी या बी टी एस (बेस ट्रांसीवर स्टेशन) स्थान पर स्थानांतरित करने जैसे कारणों से अगस्त 2021 में बी एस एन एल के 2,000 साइटों के स्थानांतरण के प्रस्ताव से यह स्पष्ट है, जिसे यू एस ओ एफ द्वारा सहमति दी गई थी। पुनः नवंबर 2022 में, यू एस ओ एफ ने बी एस एन एल के अनुरोध पर 776 साइटों के स्थानांतरण के लिए स्वीकृति जारी की। 15 परिमंडल में सभी 548 साइटों में व्यक्तिगत निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि 156 साइटों में 20 से कम डी ई एल कार्यरत थे। इसका अभिप्राय है कि व्यक्तिगत रूप से सत्यापित 28.5 प्रतिशत साइट बी एस एन एल के अपने आंतरिक मानदंडों के अनुसार बंद करने के लिए उपयुक्त थीं। दौरा किये गये इन 156 साइटों में, 88 साइटों में वाई-फाई हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहे थे।

इस प्रकार, बी एस एन एल ने ग्रामीण एक्सचेंजों में वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना के लिए अपना प्रस्ताव तैयार करने और दूरसंचार आयोग (अक्टूबर 2016) को प्रस्तुत करने के दौरान आवश्यक उचित सावधानी नहीं बरती। परिणामस्वरूप 13.77 प्रतिशत साइटों को बंद कर दिया गया था या स्थानांतरित कर दिया गया और इन एक्सचेंजों में हॉटस्पॉट स्थापित करने पर किया गया खर्च निष्फल रहा।

### 4.2.2.2 ₹1.15 करोड़ की ओपेक्स सब्सिडी की हानि

करार दिसंबर 2020 तक वैध था। बी एस एन एल के कहने पर रोल आउट अवधि को दो बार (30 नवंबर 2018 तक और उसके बाद 31 दिसंबर 2019 तक) बढ़ाया गया था और यू एस ओ एफ द्वारा परिनिर्धारित हर्जाने की वसूली के बिना अनुमोदित किया गया था। इसलिए, करार की वैधता भी 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दी गई थी। हालांकि, करार के खंड 3.4 और 6.1.2 के अनुसार, केवल 31 दिसंबर 2019 को या उससे पहले चालू की गई साइट प्रथम वर्ष के लिये पूर्ण ओपेक्स सब्सिडी की पात्र होंगी।

जबकि 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट और संबंधित उपकरणों की स्थापना / खरीद की प्रक्रिया प्रगति पर थी, करार के अनुसार रोलआउट में तेजी लाने के लिए, बी एस एन एल ने 1,500 वाई-फाई हॉटस्पॉट का उपयोग करने का निर्णय लिया (जून 2017) जो कि मौजूदा वाई-फाई मोबाइल डेटा ऑफलोड (एम डी ओ) प्रोजेक्ट के तहत पहले से ही खरीदे गए थे। बी एस एन एल ने एक महीने के भीतर अर्थात् जुलाई 2017 के अंत तक सभी परिमंडलों को 1,500 वाई-फाई हॉटस्पॉट शुरू करने का लक्ष्य सौंपा (जून 2017)। आगे यह देखा गया कि 25,000 वाई-फाई हॉटस्पॉट में से, बी एस एन एल ने अंततः 24,333 हॉटस्पॉट चालू करने का निर्णय लिया, ग्राहक आधार कम होने और ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों के प्रचालन व्ययों का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त राजस्व सृजन के कारण 667 हॉटस्पॉट को शीघ्र बंद कर दिया। डी ओ टी द्वारा इसका अनुमोदन दिया गया था।

वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना और चालू करने के संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया

- i. एक महीने के समय में 1,500 वाई-फाई हॉटस्पॉट चालू करने के लक्ष्य के प्रति, बी एस एन एल केवल 27 वाई-फाई हॉटस्पॉट चालू कर सका, यह कंपनी के पास हार्डवेयर पहले से ही उपलब्ध होने के बावजूद निर्धारित लक्ष्य का 1.8 प्रतिशत था।
- ii. 24,333 हॉटस्पॉट में से 23,625 वाई-फाई हॉटस्पॉट को रोलआउट अवधि से पहले अर्थात् 31 दिसम्बर 2019 तक स्थापित / चालू किया गया था, रोलआउट अवधि के बाद 700 चालू किये गये और आठ साइटों को करार की वैधता (दिसंबर 2022) की समाप्ति तक चालू नहीं किया गया था। इस प्रकार, करार के खंड 6.1.2 के अनुसार, रोल-आउट अवधि के बाद स्थापित / शुरू की गई साइट के लिए, बी एस एन एल शेष अवधि (दिसंबर 2022 तक) के लिए ओपेक्स की केवल आनुपातिक राशि का दावा कर सकता है। सब्सिडी की हानि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

तालिका 4.3: ओपेक्स सब्सिडी की हानि का विवरण

परिमंडल	वाई-फाई हॉटस्पॉट	ओपेक्स की हानि @ ₹38,280 <sup>35</sup> प्रति साइट प्रति वर्ष (₹ लाख में)			कुल
		पहले वर्ष के लिए @ 100%	दूसरे वर्ष के लिए @ 75%	तीसरे वर्ष के लिए @ 50%	
10 <sup>36</sup>	700 (विलंबित कमीशन)	0.11	11.12	97.13	108.36
	8 (गैर-कमीशन)	3.06	2.29	1.53	6.88
	कुल				115.24

स्रोत: बी एस एन एल के परिमंडल से एकत्र की गई जानकारी से एकत्रित और संकलित डेटा

इस प्रकार बी एस एन एल को दिसंबर 2022 तक ₹1.15 करोड़ (700 साइटों को देरी से शुरू करने के कारण ₹108.36 लाख और आठ वाई-फाई हॉटस्पॉट को चालू नहीं करने के कारण ₹6.88 लाख) की ओपेक्स सब्सिडी का नुकसान हुआ।

#### 4.2.2.3 वाई-फाई हॉटस्पॉट को शुरू करने में देरी के कारण ₹81.84 लाख के परिनिर्धारित हर्जाने की उगाही

दस दूरसंचार परिमंडलों में 700 वाई-फाई हॉटस्पॉट को चालू करने में 790 दिनों (26 महीने तक) तक की देरी हुई थी। ऐसा बी एस एन एल के कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा उपकरणों के खरीद आदेश देने में लगभग एक वर्ष की देरी के कारण हुआ। रोलआउट अवधि के बाद (31 दिसंबर 2019) चालू की गई साइटों पर यू एस ओ एफ ने बी एस एन एल पर ₹81.84 लाख राशि का परिनिर्धारित हर्जाना लगाया, जिसमें से ₹58.38 लाख परिमंडलों को देय कैपेक्स सब्सिडी से कटौती करके वसूल किए गए थे। यह इस तथ्य के बावजूद था कि रोलआउट अवधि को दो बार (31 दिसंबर 2019 तक) बढ़ाया गया था और लक्ष्य कम किये गए थे। यह पहले से ही नकदी की कमी वाले संगठन के लिए व्यवसाय उत्पन्न करने और राजस्व अर्जित करने के अवसर की हानि थी।

<sup>35</sup> @ ₹9570 प्रति तिमाही

<sup>36</sup> बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट-II, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

ओपेक्स सब्सिडी की हानि और परिनिर्धारित हर्जाने की उगाही के संबंध में, प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि जून 2017 में डी ओ टी के साथ करार करने पर, जून 2017 में निविदा जारी की गई थी और मई 2018 में खरीद आदेश देने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस देरी को ध्यान में रखते हुए, जुलाई 2017 में बी एस एन एल ने सक्रिय रूप से अपने मौजूदा एम डी ओ प्रोजेक्ट की सामग्री को हस्तांतरित किया और 1,500 साइटों का प्रारंभिक आंतरिक लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसने वाई - फाई हॉट स्पॉट के बिलंब अथवा चालू न किये जाने के लिए तकनीकी के साथ-साथ बाजार परिदृश्य में परिवर्तन तथा 2017 में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा (टी एस पी) 4 जी युक्त मोबाइल सेवाओं के प्रवेश को जिम्मेदार ठहराया जिससे कई ग्रामीण एक्सचेंज व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य हो गए। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध से भी साइटों को चालू करने में देरी हुई। बी एस एन एल ने आगे बताया कि करार के अनुसार, परिनिर्धारित हर्जाने (एल डी) को घटाने के बाद परिमंडलों ने ऐसी सभी विलंबित साइटों के लिए यू एस ओ एफ से कैपेक्स और अनुवर्ती ओपेक्स सब्सिडी का दावा किया था। बी एस एन एल के प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए आगे उत्तर दिया कि तीन वर्ष के ओपेक्स अवधि को पूर्ण करने के लिए करार का विस्तार स्थापना और कमीशनिंग (31 दिसंबर 2022 तक समझौते की इसी वैधता) के लिए 31 दिसंबर 2019 की संशोधित परियोजना समय सीमा को यू एस ओ एफ ने पहले ही स्वीकृति दे दी थी। इसने यह भी बताया कि बी एस एन एल देरी से चालू किये गये हॉटस्पॉट को शामिल करने के लिये यू एस ओ एफ से पुनः करार की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध करेगा ताकि किसी ओपेक्स सब्सिडी हानि से बचा जा सके। मंत्रालय ने बी एस एन एल के उत्तर का समर्थन किया।

इस प्रकार प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया कि खरीद आदेश देने में लगभग एक वर्ष की प्रक्रियात्मक देरी हुई थी जिससे वाई-फाई हॉटस्पॉट को चालू करने में समग्र देरी हुई। इसके अलावा, यू एस ओ एफ ने दिसंबर 2022 के आगे करार की वैधता का विस्तार नहीं किया था। यदि नकदी घाटा वाले बी एस एन एल को आवश्यक सब्सिडी नहीं मिली तो हॉटस्पॉट की सर्विसिंग और रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा, देशव्यापी लॉकडाउन और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध की घोषणा मार्च 2020 में की गई थी, जो दिसंबर 2019 में रोलआउट अवधि समाप्त होने के बाद थी।

मंत्रालय और कंपनी ने पैसे के मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की योजना के दौरान तकनीकी बाजार में अप्रचलन का संज्ञान नहीं लिया।

### 4.2.2.4 वाई-फाई हॉटस्पॉट के खराब प्रदर्शन और रखरखाव के परिणामस्वरूप ₹60.71 करोड़ का डाउनटाइम जुर्माना लगाया गया।

करार के खंड 4.16 के अनुसार, यू एस पी को 99.99 प्रतिशत का वाई-फाई नेटवर्क अपटाइम बनाए रखना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी दूरसंचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था। निर्धारित अपटाइम का रखरखाव योजना के प्रदर्शन को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण पैरामीटर था। यू एस ओ एफ के पास इस खंड का अनुपालन न करने के लिए बी एस एन एल को देय कुल ओपेक्स सब्सिडी में साइट के अनुसार यथानुपात कटौती के साथ जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित है। इसके अलावा, करार के खंड 2.4.1 में कहा गया है कि बी एस एन एल इस परियोजना के तहत बनाए गए सभी अवसंरचना की आपूर्ति, स्थापना,



परीक्षण, कमीशनिंग, प्रचालन और रखरखाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बी एस एन एल द्वारा सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के विक्रेताओं के साथ दिए गए खरीद आदेश में अवसंरचना के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सात वर्षों के लिए ए एम सी का प्रावधान शामिल था। ए एम सी शुल्क का भुगतान विक्रेताओं को प्रत्येक तिमाही के लिए ए एम सी अवधि के सफल समापन के बाद हर्जाना, यदि कोई हो, के उचित समायोजन करने के बाद किया जाना था। बी एस एन एल ने मार्च 2022 तक ए एम सी विक्रेताओं को ₹33.08 करोड़ का भुगतान किया था।

2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान स्थापित हॉटस्पॉट्स की संख्या, उत्पन्न यातायात, निर्मित उपयोगकर्ता पहुंच और अपटाइम के गैर-रखरखाव के लिए लगाए गए जुर्माने के आधार पर, योजना का निष्पादन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.4: ग्रामीण वाई-फाई हॉटस्पॉट का प्रदर्शन

क्र.सं.	वर्ष	(संख्या) तक स्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट	उत्पन्न ट्रैफिक (जीबी)	अर्जित राजस्व (₹)	उपयोगकर्ता पहुंच (संख्या)	डाउनटाइम के लिए जुर्माना (₹)	डाउनटाइम में % वृद्धि/ (कमी)
1	2017-18	2,653	7,84,47,089	0	25,68,139	25,36,544	-
2	2018-19	10,612	10,23,60,483	6,840	30,11,265	2,16,91,987	755.18
3	2019-20	23,753	17,26,59,947	74,867	73,24,349	20,21,60,848	831.96
4	2020-21	24,318	16,82,20,741	1,76,879	37,56,003	23,20,41,476	14.78
5	2021-22	24,333	4,09,41,926	50,009	20,17,720	14,86,33,349	(35.95)
	कुल		56,26,30,186	3,08,595	1,86,77,476	60,70,64,204	

(स्रोत: बी एस एन एल के परिमंडलों से एकत्र की गई जानकारी से एकत्रित और संकलित डेटा)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान स्थापित हॉटस्पॉट की संख्या, कुल उत्पन्न ट्रैफिक और उपयोगकर्ताओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई थी। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि उस समय तक अधिकतम संख्या में हॉटस्पॉट स्थापित किए गए थे, योजना के प्रदर्शन में 2020-21 के बाद से इन मापदंडों के संदर्भ में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई। लेखापरीक्षा ने देखा कि बी एस एन एल ने लक्षित आबादी के बीच रियायती वाई-फाई की उपलब्धता के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा नहीं की। प्रमुख स्थानों पर साइन बोर्ड जैसा पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किया गया। नतीजतन, लोग योजना से अनभिज्ञ बने रहे। इसने योजना के प्रदर्शन में गिरावट में भी योगदान दिया। साइटों के रखरखाव के लिए, अक्टूबर 2021 के दौरान 23 दूरसंचार परिमंडलों (कुल साइटों का लगभग चार प्रतिशत) में 25,000 साइटों में से 957 चयनित साइटों का व्यक्तिगत सत्यापन करने के साथ-साथ परिमंडलों में रिकॉर्ड की जांच की। लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार हैं-

क) महाराष्ट्र परिमंडल में जांचे गए रिकॉर्ड से यह देखा गया कि 1,818 गैर-कार्यशील वाई-फाई हॉटस्पॉट में से 1,759 मामलों में पावर बैकअप नहीं था। चयनित साइटों के व्यक्तिगत सत्यापन से यह भी पता चला कि दस परिमंडल<sup>37</sup> में 957 वाई-फाई हॉटस्पॉट में से 232 (24.24 प्रतिशत) में अप्रत्याप्त पावर बैकअप था।

<sup>37</sup> बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तरपूर्व-1, राजस्थान, यू पी पश्चिम और पश्चिम बंगाल

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

- ख) व्यक्तिगत सत्यापन के दौरान 12 परिमंडल<sup>38</sup> में 957 (22.25 प्रतिशत) में से 213 वाई-फाई हॉटस्पॉट काम नहीं कर रहे थे। 11 टेलीकॉम<sup>39</sup> परिमंडल में रिकोर्डों की संवीक्षा (अक्टूबर 2021) से पता चला कि स्थापित किए गए 14,109 वाई-फाई हॉटस्पॉट में से 6,659 (47.20 प्रतिशत) वाई-फाई हॉटस्पॉट दोषपूर्ण थे। वर्षवार विश्लेषण से पता चला कि 63.67 प्रतिशत साइट एक वर्ष तक की अवधि तक दोषपूर्ण थे, 22.48 प्रतिशत एक से दो वर्ष के बीच की अवधि के लिये दोषपूर्ण थे और 13.85 प्रतिशत दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिये दोषपूर्ण थे।
- ग) करार के खंड 4.8 के अनुसार छः दूरसंचार परिमंडल<sup>40</sup> ने आवश्यक आवधिक परीक्षण नहीं किया था।
- घ) बी एस एन एल द्वारा चार दूरसंचार परिमंडल में उच्च लागत-लाभ के कारण वार्षिक अनुरक्षण संविदा (ए एम सी)<sup>41</sup> करार दूरसंचार परिमंडल<sup>42</sup> में परिचालन में नहीं थे / समाप्त कर दिए गए थे। बी एस एन एल ए एम सी की लागत को पूरा करने के लिये पर्याप्त राजस्व अर्जित करने में असमर्थ था और इस प्रकार वाई-फाई हॉटस्पॉट के रखरखाव के लिये उन्हें जारी रखने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने यह देखा कि वाई-फाई हॉटस्पॉट की स्थापना 2017-18 से 2019-20 तक बढ़ गई (31 दिसंबर 2019 से पहले 96 प्रतिशत साइटों को चालू कर दिया गया था), डाउनटाइम जुर्माना भी कई गुना बढ़ गया। बी एस एन एल ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान ₹60.71 करोड़ (जो मार्च 2022 तक ₹642.58 करोड़ की संशोधित परियोजना लागत का लगभग 9.45 प्रतिशत है) का भारी जुर्माना अदा किया, यह ओपेक्स सब्सिडी का प्रत्यक्ष नुकसान है जिसे बी एस एन एल को भुगतान की गई ओपेक्स सब्सिडी से काट लिया गया था। उपयोगकर्ताओं की संख्या में गिरावट भारी डाउनटाइम को एक और परिणाम था जैसा कि ऊपर तालिका में बताया गया है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बी एस एन एल की ओर से ए एम सी को निष्पादित करने और उसके बाद समय पर सुधार और साइटों की बहाली सुनिश्चित करने के लिए ए एम सी विक्रेताओं की निगरानी में चूक हुई थी, जिसके कारण जुर्माना लगाया गया। हालांकि बी एस एन एल ने ए एम सी विक्रेताओं से डाउनटाइम के कारण ₹3.43 करोड़ की वसूली की, तथ्य यह है कि बी एस एन एल वांछित अपटाइम को बनाए रखने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, कंपनी ने ए एम सी विक्रेताओं से वसूली योग्य राशि से अधिक डाउनटाइम जुर्माना का भुगतान किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मई 2022) कि यू एस ओ एफ ने दिसंबर 2018 में कैपेक्स दावों पर कार्यवाही करना बंद कर दिया था और जून 2019 में इसे बहाल कर दिया था। इस अवधि के दौरान, बी एस एन एल को गंभीर नकदी संकट की कमी का सामना करना पड़ा था और इस

<sup>38</sup> बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी पूर्व, यूपी पश्चिम और पश्चिम बंगाल

<sup>39</sup> गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, सीटीडी, ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान, हरियाणा, यूपी पूर्व, महाराष्ट्र और झारखंड

<sup>40</sup> बिहार, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी पूर्व, यूपी पश्चिम और उत्तराखंड

<sup>41</sup> ए एम सी समझौता वारंटी के पूरा होने पर शुरू होता है जो साइट के चालू होने के एक वर्ष है।

<sup>42</sup> गुजरात, झारखंड, केरल और उ प्र पश्चिम

प्रकार, परियोजना के लिये निधि हस्तांतरित नहीं कर सका। बिजली गिरने, बाढ़ ग्रामीण एक्सचेंजों पर उच्च वोल्टेज वृद्धि और यू पी एस और बैटरी चोरी की घटनाओं के कारण यू पी एस (निर्बाध विद्युत आपूर्ति) को नुकसान हुआ। ऐसे नुकसान वारंटी या ए एम सी के अंतर्गत कवर नहीं किए गए थे। लंबे समय से लंबित दोष के संबंध में बी एस एन एल ने कहा कि परिचालन और रखरखाव प्राथमिक रूप से कोविड-19 लॉकडाउन के प्रभाव के कारण प्रभावित हुआ। विक्रेताओं ने भी परिचालन और रखरखाव करने में असमर्थता व्यक्त की और फोर्स मेज्योर क्लॉज लागू करके राहत की मांग की। बी एस एन एल ने कोविड-19 लॉकडाउन के मद्दे नजर यू एस ओ एफ से डाउनटाइम जुर्माना की छूट के लिये भी अनुरोध किया लेकिन यू एस ओ एफ द्वारा सहमति व्यक्त नहीं की गई। दूरसंचार विभाग ने बी एस एन एल के उत्तर का समर्थन किया।


प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बी एस एन एल ने डेटा स्पीड बढ़ाने के लिये वाई-फाई उपयोगकर्ताओं हेतु बैकहॉल बैंडविड्थ को 2 एम बी पी एस से 10 एम बी पी एस तक बढ़ाने के लिये परिमंडल को निर्देश (अगस्त 2018) दिया था। यू एस ओ एफ ने साइटों के स्थानांतरण की मंजूरी मांगने में देरी के कारण बी एस एन एल के दावों पर कार्यवाही बंद कर दी। जैसा कि ऊपर तालिका 4.4 में चर्चा की गई है, बी एस एन एल ने डाउनटाइम के लिये भारी जुर्माना अदा की थी जो 2018-19 से 2020-21 तक बढ़ गयी। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से संबंधित उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि साइटों के व्यक्तिगत सत्यापन के दौरान देखी गई चूकें अक्टूबर-नवंबर 2021 की अवधि से संबंधित हैं जो कि कोविड-19 प्रतिबंधों को हटाने के बाद की थी।

उक्त अवधि के दौरान-डाउनटाइम में वृद्धि, रियायती वाई-फाई के बारे में प्रचार की कमी, उपयुक्त बैंडविड्थ की कमी, अपर्याप्त पावर बैकअप और दोषपूर्ण उपकरण योजना के गिरते प्रदर्शन के लिये प्रमुख योगदान कारक थे, जिसके परिणामस्वरूप उपयोगकर्ता पहुंच में और राजस्व में कमी आई।

इस प्रकार, योजना के तहत अनुबंधित दायित्व के बावजूद, बी एस एन एल ने अपटाइम में सुधार करने और डाउनटाइम के लिये जुर्माना के भुगतान से बचने के लिये पर्याप्त उपाय नहीं किए। योजना की सफलता और व्यावसायिक व्यवहार्यता वाई-फाई कनेक्टिविटी की निरंतर उपलब्धता पर सीधे निर्भर थी जो ए एम सी के गैर-संस्थागत होने और बी एस एन एल द्वारा अपर्याप्त निगरानी के कारण प्रभावित हुई थी।

#### 4.2.2.5 राजस्व अर्जन और योजना की स्थिरता

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान इन वाई-फाई हॉटस्पॉट्स के माध्यम से बी एस एन एल द्वारा अर्जित राजस्व नीचे ग्राफ में दिया गया है



बी एस एन एल कॉर्पोरेट ऑफिस ने वर्ष 2018-19 के लिये परिमंडल वार राजस्व लक्ष्य ₹75.00 करोड़ निर्धारित किया था। इसके विपरीत बी एस एन एल ने 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान केवल ₹3.09 लाख का राजस्व अर्जित किया, जबकि 2020-21 के दौरान अधिकतम ₹1.77 लाख था। 2018-19 के बाद राजस्व का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

करार की वाणिज्यिक शर्तों के अनुसार, सुविधा मुफ्त में नहीं दी जानी चाहिए और परीक्षण एवं परीक्षण के बाद सशुल्क उपयोग की सुविधा के लिए एक नीति होनी चाहिए। बी एस एन एल को परीक्षण अवधि के बाद सशुल्क उपयोग के लिये टैरिफ तय करना चाहिए, जो आमतौर पर छः महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

अनुपालन में, बी एस एन एल ने दिसंबर 2017 में वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिये एक टैरिफ संरचना पेश की, जिसे पहले सितंबर 2018 में और फिर जनवरी और सितंबर 2019 में संशोधित किया गया। वाई-फाई हॉटस्पॉट का मुद्रीकरण करने के लिये, नवंबर 2019 में बी एस एन एल ने वॉक-इन ग्राहकों को एक घंटे की एक बार की मुफ्त ब्राउजिंग देने का निश्चय किया। इसके बाद ग्राहक को निरंतर ब्राउजिंग के लिये पे टी एम या बी एस एन एल पोर्टल के माध्यम से वाउचर खरीदने के लिये सूचित / प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्येक उपयोगकर्ता को प्रति माह चार जी बी मुफ्त उपयोग प्रदान किया गया था और मुफ्त उपयोग की समाप्ति के बाद, उपयोगकर्ता टैरिफ वाउचर का उपयोग करके प्रीमियम वाई-फाई मोड में प्रवेश कर सकता था। दिसंबर 2019 से मुफ्त उपयोग के समय को संशोधित कर 30 मिनट प्रति दिन कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि करार के उल्लंघन में, बी एस एन एल ने दिसंबर 2022 तक डी ओ टी से अनुमोदन मांगे बिना चालू किए गए सभी हॉटस्पॉट के लिये मुफ्त उपयोग जारी रखा था। इससे बी एस एन एल के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

बी एस एन एल ने जवाब दिया (नवंबर 2021) कि 30 मिनट की एक बार की मुफ्त ब्राउजिंग की अनुमति दी गई और उसके बाद ग्राहकों को वाउचर खरीदने के लिये प्रोत्साहित किया गया। करार के अनुसार वाई-फाई नेटवर्क आपरेटिंग सेंटर (एन ओ सी) द्वारा मुफ्त सुविधा वापिस ले ली गई थी। वाई-फाई के उपयोग में भारी गिरावट के बाद, मुफ्त सुविधा बहाल कर दी गई

ताकि इंटरनेट के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के सरकारी उद्देश्य को पूरा किया जा सके। यू एस ओ एफ ने उत्तर दिया (फरवरी 2022) कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई सेवाएं प्रदान करना था न कि अधिकतम राजस्व अर्जित करना। मंत्रालय / बी एस एन एल ने यह भी आगे कहा (मई 2022) कि बदलते दूरसंचार परिदृश्य और बहुत सस्ते मूल्य पर 4जी मोबाइल गति की उपलब्धता के साथ (2017-2020 के दौरान) के दौरान हॉटस्पॉट के लिये 2 एम बी पी एस बैकहॉल वाली ग्रामीण वाई-फाई सेवाएं ग्राहकों के लिये लोकप्रिय सशुल्क सेवा नहीं थी।

सस्ती कीमतों पर उन्नत तकनीकी की उपलब्धता के संबंध में मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है। टेलीकॉम सांख्यिकी रिपोर्ट 2019 से पता चलता है कि 2014 से 2016 की अवधि के दौरान इंटरनेट सेवाओं के उपयोग में (233.09 मिलियन से 322.21 मिलियन उपयोगकर्ता) वृद्धि हुई। उच्च गति और सस्ती सेवाओं का आसन्न रोलआउट मंत्रालय और कंपनी के लिये एक अज्ञात तथ्य नहीं था। इसलिये बी एस एन एल को दूरसंचार विभाग को प्रस्ताव देने से पहले अपनी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए था। इससे यू एस ओ की निधियों का अधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित होता।

इसके अतिरिक्त, छह महीने से अधिक मुफ्त उपयोग का विस्तार करार के खंड 3.5 का उल्लंघन था। यह खंड यह सुनिश्चित करने के लिये महत्वपूर्ण था कि बी एस एन एल की वाई-फाई सेवाएं आत्मनिर्भर और स्व-वित्तपोषित रहे और बी एस एन एल पर बोझ न पड़े जो पहले से ही भारी नुकसान उठा रहा था। दूसरे, सब्सिडी की अवधि समाप्त होने के बाद, बी एस एन एल को ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य के लिए प्रचलनात्मक व्ययों को पूरा करने के लिये धन की आवश्यकता होगी। चूंकि 2017-18 से 2021-22 के दौरान सेवा से नगण्य राजस्व अर्जित किया गया था। इसलिये करार की वैधता अवधि के अतिरिक्त योजना की स्थिरता संदिग्ध है।

इस प्रकार, बी एस एन एल को यह सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय रूप से उपाय करने की आवश्यकता है कि डूबती हुई लागत बर्बाद न हो और योजना के अभीष्ट उद्देश्यों को पूरा किया जाए।

#### 4.2.2.6 मूल्यांकन / प्रभाव आकलन

करार के खंड 2.4.8 और 2.5.2 के अनुसार, बी एस एन एल को मूल्यांकन / प्रभाव आकलन करने के लिये एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करनी थी और करार पर हस्ताक्षर करने से 6-12 महीनों के भीतर यू एस ओ एफ को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। अनुपालन में, बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने अपने 17 परिमंडल<sup>43</sup> को चार प्रतिशत यानी 1000 ग्रामीण वाई-फाई हॉटस्पॉट के नमूने के प्रभाव का आकलन करने के लिये निर्देश (जनवरी 2020) जारी किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि बी एस एन एल ने ऐसा कोई प्रभाव आकलन नहीं किया। यू एस ओ एफ और बी एस एन एल कॉर्पोरेट ऑफिस ने भी इस बात को स्वीकार किया (मई 2022)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बी एस एन एल सर्कल ने नवंबर 2022 तक 806 साइटों में प्रभाव का आकलन पूरा कर लिया।

<sup>43</sup> हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, उ प्र पूर्व और उत्तराखंड को छोड़कर सभी टेलीकॉम परिमंडल

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

तथ्य यह है की बी एस एन एल ने करार के अनुसार समय पर मूल्यांकन / प्रभाव आकलन नहीं किया। परिणामस्वरूप, बी एस एन एल राजस्व क्षमता व प्रचालन व रखरखाव के लिये इष्टतम व्यावसायिक मॉडल निर्धारित करने में सेवा की गुणवत्ता, समर्थन अवसंरचना तथा योजना की स्थिरता का मूल्यांकन करने में विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप योजना का प्रदर्शन निरंतर कम हुआ और ग्रामीण आबादी नेटवर्क कनेक्टिविटी तक पहुँचने से वंचित हो गयी।

इस प्रकार बी एस एन एल को

- ❖ किसी भी योजना के कार्यान्वयन के मुद्दों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिये एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिये प्रस्ताव तैयार करते समय लोक निधि का लाभकारी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके;
- ❖ पहचान किए गये वाई-फाई हॉटस्पॉट्स को जरूरत पड़ने पर उन्हें नवीनतम तकनीक में अपग्रेड करके आत्मनिर्भर बनाने के लिये एक स्थिर राजस्व सृजन मॉडल तैयार करना चाहिए;
- ❖ स्थापित वाई-फाई हॉटस्पॉट के प्रभावी प्रदर्शन और रखरखाव की ओर ध्यान देना चाहिए, प्रभावी प्रभाव मूल्यांकन करना चाहिए और इस तरह डाउनटाइम जुर्माना को कम करना चाहिए।

### 4.3 बी एस एन एल के आधार नामांकन केंद्रों में आधार नामांकन किट की अनुपयोगिता

2018-19 के दौरान बी एस एन एल ने ₹77.88 करोड़ मूल्य के 6,000 आधार नामांकन किट की खरीद की। उनमें से 3,941 किट दिसंबर 2022 तक गैर-प्रचालन में रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹51.15 करोड़ की सरकारी निधि अवरूद्ध रही। इसके अलावा, यू आई डी ए आई ने बी एस एन एल पर ₹0.65 करोड़ का जुर्माना लगाया।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू आई डी ए आई) ने सितंबर 2018 में बी एस एन एल के सभी ग्राहक सेवा केंद्रों में आधार नामांकन और अद्यतन सुविधाएं स्थापित करने के लिए बी एस एन एल सहित राज्य सरकारों या राज्य नियंत्रित एजेंसियों को 15 अक्टूबर 2018 तक वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। आधार नामांकन किट (ए ई के) के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई सी टी) अवसंरचना की दिशा में सहायता के लिए यू आई डी ए आई के दिशानिर्देशों (सितंबर 2018) में कहा गया था कि ए ई के<sup>44</sup> की खरीद और तैनाती के लिए पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) यू आई डी ए आई द्वारा प्रदान किया जाएगा। बी एस एन एल आधार नामांकन और अद्यतन से उत्पन्न आय से प्रचालन व्यय (ओपेक्स) को पूरा करेगा। दिशानिर्देशों के खंड 6.3 के अनुसार, बी एस एन एल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बी एस एन एल के लिए नोडल अधिकारी होंगे जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे और संबंधित यू आई डी ए आई क्षेत्रीय कार्यालयों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे। तदनुसार, बी एस एन एल (कंपनी) (अक्टूबर 2018) ने मौजूदा जनशक्ति का उपयोग करके 28 परिमंडलों में 3,000 ग्राहक सेवा केन्द्रों में प्रत्येक केंद्र में दो के दर से 6,000 ए ई के

<sup>44</sup> ए ई के में सफल आधार नामांकन और अद्यतन करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर उपकरणों का एक सेट होता है। ये हैं कंप्यूटर, मॉनिटर, मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, आईआरआईएस स्कैनर, कैमरा, स्लैप स्कैनर, जी पी एस डिवाइस, व्हाइट लाइट, फोकस लाइट और दिए गए विनिर्देशन के सर्ज प्रोटेक्टर स्पाइक हैं।

लगाने का प्रस्ताव दिया। बी एस एन एल के अनुमानों के आधार पर, यू आई डी ए आई ने (नवंबर 2018) ए ई के की खरीद के लिए ₹90 करोड़ की संस्वीकृति दी। बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने मार्च 2019 में सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जी ई एम) के माध्यम से ₹77.88 करोड़ की कुल लागत पर 6,000 ए ई के खरीदे और शेष राशि (₹12.12 करोड़) यू आई डी ए आई को अगस्त 2022 में वापस कर दी।

बी एस एन एल में रिकॉर्ड की संवीक्षा से पता चला कि यू आई डी ए आई ने उस अवधि को जिसमें ए ई के की स्थापना को पूरा किया जाना था, निर्दिष्ट नहीं किया था। मार्च 2019 में बी एस एन एल द्वारा खरीदे गए 6,000 ए ई के में से केवल 2,059 किट (34 प्रतिशत) 28 परिमंडलों में स्थापित किए गए थे। शेष 3,941 किट स्थापित नहीं किए गए थे और इसलिए दिसम्बर 2022 तक गैर-प्रचालन में थे। बी एस एन एल ने स्थापित नहीं किए गए किट पर तीन वर्ष का वारंटी लाभ भी खो दिया। इसके अलावा 14 परिमंडलों में, यह देखा गया कि 10 परिमंडलों में 483 प्रचालन<sup>45</sup> किट में से, 209 ए ई के (43.27%) ने शून्य लेनदेन दर्ज किया।

व्यावसायिक अनुमान लगाते समय, बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय (सितंबर 2018) ने प्रति वर्ष ₹220 करोड़ के संभावित राजस्व अर्जन की परिकल्पना की। यद्यपि बी एस एन एल ने समग्र रूप से कंपनी के लिए राजस्व अनुमान लगाया था, इसने परिमंडलों को किट वितरित करते समय परिमंडल-वार राजस्व लक्ष्यों को निर्धारित नहीं किया था। अनुमानों के प्रति, बी एस एन एल वर्ष 2019-20, 2020-21, और 2021-22 के दौरान केवल ₹14.09 करोड़ का सकल राजस्व अर्जित कर सका, जो अनुमानित सकल आय का मुश्किल से दो प्रतिशत है।

आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016 को लागू करने के लिए नीति के विनियम 26 के अनुसार, रजिस्ट्रार / नामांकन एजेंसी / सेवा प्रदाता द्वारा किसी प्रक्रिया, मानक, दिशानिर्देशों या आदेश के उल्लंघन के मामले में, यू आई डी ए आई ऐसे रजिस्ट्रार / नामांकन एजेंसी / सेवा प्रदाता पर वित्तीय जुर्माना लगाने के लिए कदम उठा सकता है। यू आई डी ए आई ने बी एस एन एल पर दोषपूर्ण आधार नामांकन / अद्यतन के लिए ₹0.65 करोड़ का जुर्माना लगाया। अगस्त 2019 से दिसम्बर 2021 की अवधि के लिए ₹0.65 करोड़ के कुल जुर्माना में से अकेले उत्तर प्रदेश (पूर्वी) परिमंडल पर ₹0.24 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था।

बी एस एन एल ने आई सी टी दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित परियोजना की निगरानी की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया। इसने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए ए ई के की स्थापना हेतु परिमंडल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए और न ही इसने अलग-अलग परिमंडलों द्वारा अर्जित राजस्व के डेटा बेस को बनाए रखने के लिए कोई तंत्र तैयार किया। कार्य की प्रगति और अर्जित राजस्व की निगरानी के लिए कोई केंद्रीकृत तंत्र नहीं था। जब भी आवश्यक होता था ये विवरण परिमंडल से एकत्र किये जाते थे। किसी भी केंद्रीकृत निगरानी तंत्र के न होने और कार्यान्वयन स्तर पर पर्याप्त जाँच और नियंत्रण की कमी होने के कारण, बी एस एन एल का काम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ जैसा कि खरीदी गई किटों की स्थापना न करने और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि से स्पष्ट है। लेखापरीक्षा के आग्रह पर केवल वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व अर्जन के लक्ष्य परिमंडल-वार निर्धारित किए गए थे।

<sup>45</sup> ऑपरेशनल किट वे किट होती हैं जिन पर मैनपावर भी तैनात होता है

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

बी एस एन एल ने अन्य आधार सेवा केंद्रों में समय पर स्थापित नहीं किए गए किट को फिर से लगाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए ये किट वारंटी लाभ के नुकसान के साथ सी एस सी में बेकार पड़े थे।

लेखापरीक्षा टिप्पणियों के जवाब में, प्रबंधन ने स्वीकार किया (सितंबर 2022) कि कंपनी ने पर्याप्त राजस्व अर्जित करने का अवसर खो दिया। प्रबंधन ने इसके लिए 2019 के दौरान कोविड-19 महामारी और बी एस एन एल में बड़ी संख्या पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी आर एस) को जिम्मेदार ठहराया, जिसने बी एस एन एल के सी एस सी के आउटसोर्सिंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था, इसके अलावा पहले से काम कर रहे आधार सेवा केंद्रों पर लोग कम आये या बिल्कुल नहीं आये | प्रबंधन ने यह भी बताया कि उन्होंने वी आर एस चरण और कोविड महामारी के बाद पूरे भारत में और अधिक आधार सेवा केंद्र खोलकर राजस्व अर्जित करने के लिए बहुत आक्रामक तरीके से काम करना शुरू कर दिया था। इसने आगे कहा कि आधार सेवाएं न तो राजस्व या लाभ के लिए चलाई जा रही थीं और न ही यह बी एस एन एल का मुख्य व्यवसाय था। यह भारत सरकार की एक अनिवार्य सेवा थी और राजस्व अर्जित करना केवल 'किसी भी संगठन के लिए उपोत्पादन' था। इसके अलावा, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी परिमंडलों हेतु राजस्व लक्ष्य निर्धारित किए थे और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ई आर पी) प्रणाली के माध्यम से इसकी निगरानी कर रही थी। कंपनी ने अप्रैल 2022 से जून 2022 के दौरान ₹6 करोड़ का राजस्व अर्जित किया था और वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक अनुमानित लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित कर रही थी।

मामले के तथ्यों से प्रबंधन के उत्तर को समर्थन नहीं मिला। महामारी के दौरान अद्यतनों / नामांकनों में बी एस एन एल की हिस्सेदारी बहुत कम थी, जो 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की अवधि के दौरान सेवाओं से उत्पन्न राजस्व से स्पष्ट है। यू आई डी ए आई ने बी एस एन एल को पूंजीगत लागत के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जो केवल ए ई के की खरीद के लिए थी। प्रचालन व्यय कंपनी द्वारा आधार नामांकन गतिविधियों से उत्पन्न राजस्व से वहन किये जाने थे। किसी तदनुरूपी राजस्व अर्जन के न होने से यह स्पष्ट नहीं था कि आधार गतिविधियों को चलाने के लिए बी एस एन एल अपनी प्रचालन लागत को कैसे पूरा करेगा। रिकॉर्ड की लेखापरीक्षा जाँच से पता चलता है कि जून 2021 में महामारी के समय में, यू आई डी ए आई ने कहा कि आधार सेवाओं विशेष रूप से आधार में मोबाइल नंबर अद्यतन करने की भारी आवश्यकता को देखते हुए, भले ही एक केंद्र प्रतिदिन कम से कम 40 मोबाइल अद्यतन करे तो, प्रति माह ₹30 करोड़<sup>46</sup> और प्रति वर्ष ₹360 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्राप्य था। इस अनुमान के आधार पर, कंपनी द्वारा अनुमानित ₹220 करोड़ के राजस्व अर्जन का लक्ष्य प्राप्य था। हालांकि, जैसा कि बी एस एन एल ने इसे एक सेवा राजस्व स्रोत के रूप में नहीं देखा और कोई परिमंडल-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था, जिसकी वह निगरानी कर सके, मार्च 2022 तक केवल ₹14.09 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था। इसके अलावा, कंपनी का तर्क है कि आधार सेवाएं सरकार की अनिवार्य सेवा थीं और राजस्व अर्जित करना किसी भी संगठन के लिए केवल एक उपोत्पादन था, यह मान्य नहीं है क्योंकि बी एस एन एल कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है और अपने शेयरधारकों के लिए राजस्व अर्जित करने

<sup>46</sup> 40 अद्यतन x 25 दिन x ₹50 प्रति अद्यतन x 6000 किट



की जिम्मेदारी है। कंपनी को विशेष रूप से अपनी बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए अपने मार्ग में आने वाले सभी व्यावसायिक अवसरों का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए था।

2019-20 में बड़ी संख्या में वी आर एस के कारण ए ई के की स्थापना की असफलता के संबंध में, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि बी एस एन एल अक्टूबर 2019 में, 31 जनवरी 2020 से वी आर एस के कार्यान्वयन के बारे में अच्छी तरह से अवगत था। करोड़ों रुपए के ए ई के की स्थापना के उत्तरदायित्व से पूर्णतः जागरूक होने के बावजूद इसने कर्मचारियों की कमी के लिए योजना नहीं बनाई और समय पर आउटसोर्सिंग कार्रवाई शुरू नहीं की। जैसा कि प्रबंधन ने कहा है, बी एस एन एल ने इस प्रक्रिया को जनवरी-फरवरी 2020 में ही शुरू किया था। इस प्रकार, जबकि ए ई के मार्च 2019 में खरीदे गए थे और जून 2019 तक वितरित किए गए थे, सी एस सी की आउटसोर्सिंग शुरू करने में अनावश्यक देरी के परिणामस्वरूप ए ई के के उपयोग में कमी आई और राजस्व की हानि हुई इसके अलावा लॉक डाउन प्रतिबंध केवल मार्च 2020 में लगाए गए थे। इसलिए ए ई के की स्थापना और कमीशनिंग के लिए, बी एस एन एल के पास कोविड-19 प्रतिबंध से पहले एक पूर्ण वर्ष था।

कंपनी ने आगे कहा (सितंबर 2022) कि निष्क्रिय ए ई के का हस्तांतरण / अभ्यर्पण यू आई डी ए आई के निर्देश पर ही किया जा सकता था और कंपनी ने 318 ए ई के<sup>47</sup> को यू आई डी ए आई के निर्देश पर अन्य रजिस्ट्रारों को भेज दिया था। दिसम्बर 2022 के अंत तक 2,059 ए ई के चालू हो गए जो की मार्च 2022 में 1,278 थे | तीन वर्ष के वारंटी लाभ के नुकसान के मुद्दे के संबंध में, यह कहा गया कि लगभग सभी ए ई के अपनी खरीद के तीन वर्ष बाद भी पूरी तरह से काम कर रहे थे।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं था जैसा कि लेखापरीक्षा के कहने पर बी एस एन एल ने अगस्त 2022 में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये सभी परिमंडलों को निर्देश दिए कि अनुपयोगी ए ई के हस्तांतरित किये जाये तथा राजस्व लक्ष्यों का निर्धारण किया जाये। इसके अलावा, कंपनी दिसंबर 2022 तक 2,059 ए ई के को प्रचालन कर सकी, जिसके परिणामस्वरूप ₹51.15 करोड़ की राशि अवरुद्ध हो गई।

जुर्माना लगाने के संबंध में, बी एस एन एल ने कहा कि यू आई डी ए आई द्वारा लगाई गई अधिकांश जुर्माना अनिवार्य रूप से बी एस एन एल के आउटसोर्स ग्राहक सेवा केंद्र (ओ सी एस सी) के भागीदारों को हस्तांतरित की जा रही थी। इसलिए जुर्माना के कारण बी एस एन एल को होने वाली राजस्व हानि कम हो सकती है। कार्य की प्रगति और राजस्व अर्जन की निगरानी के संबंध में, प्रबंधन ने उत्तर दिया कि आधार नामांकन और अद्यतनीकरण ऑनलाइन गतिविधि थी और ए ई के की सभी गतिविधियां यू आई डी ए आई के सर्वर के माध्यम से की जाती थीं। यू आई डी ए आई के क्षेत्रीय कार्यालय ए ई के के उपयोग की ऑनलाइन निगरानी करने और उनके पोर्टल से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने में सक्षम थे। बी एस एन एल आधार गतिविधियों की त्रैमासिक निगरानी कर रहा था और वही रिपोर्ट संबंधित यू आई डी ए आई क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी जा रही थी।

<sup>47</sup> दिसंबर 2021 में एनई-1 सर्कल में 50 निष्क्रिय ए ई के, जून 2022 में चेन्नई में 36, जुलाई 2022 में कर्नाटक में 130 और जुलाई 2022 में केरल में 102 हस्तांतरित किए गए।

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

प्रबंधन का यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि बी एस एन एल ने जुर्माना की समीक्षा के लिए यू आई डी ए आई अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए दिसंबर 2022 तक कार्रवाई शुरू नहीं की थी। हालांकि बी एस एन एल ने 6,000 ए ई के के लिए धन की मांग करते हुए यू आई डी ए आई को ए ई के की राजस्व क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण दावे किए, इसके बाद कार्रवाई की कमी, जैसाकि ए ई के उपयोग में लापरवाही के दृष्टिकोण से स्पष्ट हो गया, जिसके परिणामस्वरूप न केवल ₹51.15 करोड़ की राशि अवरुद्ध हुई बल्कि बी एस एन एल को राजस्व अर्जन के अवसर की परिणामी हानि भी हुई।

### 4.4 संशोधित टैरिफ दरें लागू न करने के कारण राजस्व की हानि

बी एस एन एल ने इंटरमीडिएट डेटा रेट शुल्कों की संशोधित टैरिफ दरों को लागू नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप ₹5.03 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) एक विशिष्ट अवधि के लिए ग्राहकों को एक शहर के भीतर विभिन्न साइटों और विभिन्न शहरों में उनके कार्यालयों के बीच आंतरिक संचार के लिए समर्पित दूरसंचार लिंक के रूप में बिंदु से बिंदु के आधार पर पट्टे पर दी गई लाइन / सेवाएं प्रदान करता है। पट्टे पर दी गई लाइनें पट्टा अवधि के दौरान 'सर्किट' कहे जाने वाले संयोजी दिशा या चैनलों के माध्यम से सक्रिय होती हैं। ये सर्किट फाइबर, ऑप्टिक, रेडियो, कॉपर वायर और सैटेलाइट माध्यम या इन मीडिया के संयोजन पर उपलब्ध हैं। बहुतायत में बी एस एन एल के संसाधन बेस में इन सेवाओं के कारण राजस्व होने के बावजूद भी कंपनी के पास बिलिंग प्रक्रिया की सटीकता की निगरानी के लिए प्रभावी प्रणाली नहीं है। 2012, 2015, 2016 और 2021 की सी ए जी की रिपोर्ट<sup>48</sup> में गैर-बिलिंग / विलंबित / कम-बिलिंग पर टिप्पणियों को शामिल किया गया है।

बी एस एन एल ने 01 जून 2012 से इंटरमीडिएट डेटा रेट (आई डी आर) सैटेलाइट लिंक पर पट्टे पर दिये गये सर्किट के लिए टैरिफ आरम्भ किया। इसने ऑप्टिकल फाइबर केबल और कॉपर मीडिया के लिए लागू सामान्य पट्टा लाइन चार्ज का उपयोग करके सैटेलाइट लिंक चार्ज करने की पुरानी प्रणाली को बदल दिया। यह बी एस एन एल द्वारा सैटेलाइट लिंक पर पट्टे पर दिये गये सर्किट प्रदान करने में शामिल उच्चतर सैटेलाइट बैंडविड्थ लागत को ध्यान में रखते हुए था। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जून 2012 में बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें निर्देश दिए गए थे कि आई डी आर सैटेलाइट लिंक पर प्रदान की गई सभी मौजूदा और साथ ही पट्टे पर दी गई नई लाइनें निर्धारित टैरिफ दर पर चार्ज की जाएंगी, विशेष मामलों को छोड़कर जिनके लिए अलग टैरिफ संरचना निर्धारित की गई थी। बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय ने उपरोक्त सर्किट के किराए में मई 2013 से और फिर जून 2018 से संशोधन किया।

उद्यम ग्राहकों से पट्टे पर दिये गये सर्किट राजस्व का सही प्रावधान, बिलिंग और संग्रह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बी एस एन एल ने वर्ष 2009-10 से त्वरित प्लस प्रणाली (पहले

<sup>48</sup> 2021 की रिपोर्ट संख्या 03 में दर्शाई गई वार्षिक वृद्धि शुल्क की शॉर्ट-बिलिंग 2016 की रिपोर्ट संख्या 29 में मल्टी-प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एम पी एल एस) लिंक में बिलिंग में देरी, 2015 की प्रतिवेदन संख्या 20 में पट्टे पर दी गई सर्किट / एस टी एम सिस्टम के लिए किराये के शुल्क की गैर / कम बिलिंग, 2011-12 की प्रतिवेदन संख्या 03 में बिलों को जारी करने में देरी पर टिप्पणी की गई।

के त्वरित बिलिंग पैकेज का उन्नत संस्करण) का पालन किया। इस प्रणाली में परिमंडल / माध्यमिक स्विचिंग क्षेत्र (एस एस ए) स्तर पर टैरिफ दरों को मैनुअली अद्यतन किया जाता था। बी एस एन एल ने 2016 में कॉल डिटेल् रिकॉर्ड्स (सी डी आर) आधारित बिलिंग प्रणाली पर चले गये, जो लैंडलाइन ब्रॉडबैंड और पट्टे पर दिये गये सर्किट सेवाओं के लिए वाणिज्यिक संचालन, ग्राहक सेवा और बिलिंग संचालन को संभालने के लिए एक एकीकृत प्रणाली थी।

इस प्रणाली में, सी डी आर आधारित बिलिंग प्लेटफॉर्म में संशोधित दरों को अद्यतन करने के लिए संबंधित दूरसंचार परिमंडलों / एस एस ए के वाणिज्यिक विंग की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह अन्य बातों के साथ-साथ दर में परिवर्तन, छूट की अनुमति कार्य आदेश आदि के विवरण भरने के लिए निर्धारित टेम्पलेट में एक डॉकेट तैयार करें। परिमंडलों / एस एस ए द्वारा टैरिफ दरों में संशोधन के लिए इस प्रकार बनाए गए डॉकेट के आधार पर, आई टी प्रोजेक्ट सर्कल (आई टी पी सी) पुणे और चंडीगढ़ संशोधित दरों के अनुसार बिल बनाने के लिए सी डी आर आधारित बिलिंग प्लेटफॉर्म में संशोधित दरों को अद्यतन करने के लिए अधिकृत करते हैं। यदि संबंधित परिमंडलों / एस एस ए द्वारा टैरिफ की दरों में संशोधन के उद्देश्य से डॉकेट नहीं बनाया जाता है तो सी डी आर बिलिंग प्लेटफॉर्म पहले से मौजूद पुरानी दरों पर बिल तैयार करेगा। इस प्रकार, बी एस एन एल के संबंधित परिमंडलों / एस एस ए की यह जिम्मेदारी थी कि व बिल बनाने के लिए प्रणाली में संशोधित दरों को तदनुसार अद्यतन करें।

मुख्य महाप्रबंधक, बी एस एन एल, कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रीक्ट और उड़ीसा दूरसंचार सर्कल के कार्यालय में अभिलेखों की लेखापरीक्षा (मार्च-अप्रैल 2021) से पता चला कि बी एस एन एल ने कोलकाता व पोर्ट-ब्लेयर के बीच पांच आई डी आर लिंक (सैटेलाइट लिंक) और एक पी2पी सैटेलाइट लिंक सर्किट पोर्ट - ब्लेयर दक्षिण अंडमान में कार्यरत के संबंधित परिमंडलों / एस एस ए द्वारा बिलिंग प्रणाली में संशोधित दर लागू न करने से कम बिल बनाये थे। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार इन छः सर्किटों के लिए कुल राशि ₹4.26 करोड़ का कम बिल बनाया गया (₹0.77 करोड़ का कर शामिल नहीं)।

तालिका 4.5 आई डी आर लिंक्स की कम बिलिंग का विवरण

क्र.सं.	ग्राहक का नाम	सी डी आर के अनुसार कमीशन की तारीख	आई डी आर शुल्क बिल अवधि	आई डी आर शुल्क के कम बिल बनाये (₹ करोड़ में)
1	पूर्वी रेलवे	22-01-1996	01-06-2012 से 31-03-2020 तक	0.44
2	इलाहाबाद बैंक	21-06-2009	01-06-2012 से 30-06-2018 तक	0.57
3	महाप्रबंधक पूर्वी रेलवे	17-01-2008	01-06-2012 से 31-03-2020 तक	0.44
4	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	20-11-2008	01-06-2012 से 31-03-2017 तक	0.27
5	यूको बैंक	08-12-2012	08-12-2012 से 31-03-2019 तक	0.36
6	चाँदीपुर	23-08-2012	01-05-2013 से 31-03-2021 तक	2.18
<b>कुल</b>				<b>4.26</b>

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कलकत्ता टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट ने इन सर्किटों के लिए आई डी आर लिंक के लिए निर्धारित शुल्क लागू करने के बजाय सामान्य पट्टे पर दी गई लाइन दरों जो ओ एफ सी / कॉपर मीडिया के लिए लागू है उस पर बिल जारी रखा। इसी तरह, उड़ीसा टेलीकॉम

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

सर्किल ने समय-समय पर बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा संशोधन के बाद वार्षिक किराये के बिलों को संशोधित नहीं किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितंबर 2022) कि ये सरकारी ग्राहक थे जो विभिन्न पैन इंडिया स्तर की विशेष परियोजनाओं के तहत बी एस एन एल के साथ जुड़े हुए थे। निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि के कारण उच्च मूल्य वाले ग्राहकों को प्रदान किए जाने वाले प्रत्येक सर्किट में कार्ड दर टैरिफ लागू करना लगभग असंभव था। ग्राहकों ने अलग से आई डी आर शुल्क का भुगतान करने से भी मना कर दिया क्योंकि वे मौजूदा करार से बाध्य थे। मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया।

प्रबंधन और मंत्रालय के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि सरकारी ग्राहकों को बी एस एन एल द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए लागू टैरिफ के भुगतान से छूट प्रदान करने के लिए बी एस एन एल कॉर्पोरेट कार्यालय से कोई आदेश नहीं था। बी एस एन एल के संबंधित परिमंडल / एस एस ए सही टैरिफ लागू करने और बिलिंग सिस्टम में दरों को अद्यतन करने के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रकार, परिमंडल / एस एस ए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। इन ग्राहकों के साथ कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित सेवा करार भी कंपनी के पास उपलब्ध नहीं थे।

हालांकि इन परिमंडलों ने लेखापरीक्षा के बताये जाने पर ग्राहकों को संशोधित बिल जारी किए थे (जैसा कि फरवरी और जून 2022 में उत्तर दिया गया था), ग्राहकों द्वारा संशोधित बिलों का स्वीकार न किये जाने एवम् इन ग्राहकों के बिलिंग खाते संशोधित बिलों भुगतान न होने के कारण निष्क्रिय होने से इस राशि की वसूली की संभावना कम है। इस प्रकार, दो बी एस एन एल टेलिकॉम परिमंडलों / एस एस ए की ओर से इंटरमीडिएट डाटा रेट (आई डी आर) शुल्कों की सही टैरिफ दर लागू करने की सुनिश्चितता में विफलता के कारण ₹4.26 करोड़ की कम बिलिंग हुई। इसके कारण ₹0.77 करोड़ के कर का कम उदग्रहण भी हुआ।

विशेष रूप से उच्च मूल्य ग्राहकों से राजस्व सृजन की निगरानी की लगातार कमी के कारण बी एस एन एल के लिए राजस्व की हानि के बार-बार उदाहरण सामने आते हैं। मंत्रालय और कंपनी ने इसी तरह के मुद्दों पर पिछले सी ए जी रिपोर्ट पैरा में की गई कार्रवाई की टिप्पणी में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया था और और कम बिल वाली राशियों की मांग उठाई थी। हालांकि, उपरोक्त कमी कंपनी की और से प्रणालीगत चूक और आंतरिक नियंत्रण की विफलता को दर्शाती है।

अतः इस सुझाव पर बल दिया जाता है कि बी एस एन एल, जो घाटे में चलने वाला उद्यम है, राजस्व की हानि से बचने के लिए सही टैरिफ दरों के आवेदन को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता पर अपने निगरानी तंत्र की समीक्षा करे।

## 5.1 सुरक्षा धागा (चुंबकीय) की खरीद पर व्यर्थ व्यय

एस पी एम होशंगाबाद ने ₹7.82 करोड़ मूल्य का 7.5 मीट्रिक टन अतिरिक्त सुरक्षा धागा (चुंबकीय) खरीदा, जो पांच साल से अधिक समय से स्टोर में बेकार पड़ा हुआ था और बाद में ₹1 के निवल वसूली योग्य मूल्य पर अनुपयोगी वस्तु घोषित किया गया।

1968 में स्थापित सिक्योरिटी पेपर मिल (एस पी एम, होशंगाबाद) 2006 में निगमीकरण के समय सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल) की एक इकाई बन गई। एस पी एम होशंगाबाद उच्च गुणवत्ता वाले बैंक पेपर नोट व अन्य सुरक्षा पेपर बनाती है जो कि करेंसी नोट प्रेस (सी एन पी), नासिक व बैंक नोट प्रेस (बी एन पी), देवास द्वारा करेंसी नोट की छपाई के लिये प्रयुक्त किया जाता है।

एस पी एम सी आई एल खरीद नियमावली का पैरा 6.2 वर्ष के प्रारंभ में वार्षिक आवश्यकता को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न मानदंड प्रदान करता है। उक्त पैरा 6.3 वार्षिक खरीद योजना की मध्य-वर्ष समीक्षा का भी प्रावधान करता है।

बैंक नोटों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा पहलू चुंबकीय सुरक्षा धागा (एम एस टी) होता है जिसे कागज उत्पादन प्रक्रिया के दौरान सिलेंडर मोल्ड में कागज में डाला जाता है और कागज की सतह पर दिखाई देता है। एस पी एम होशंगाबाद ने 23 जुलाई 2013 को एम एस टी के 15 एम टी (मीट्रिक टन) की आपूर्ति के लिए एक निविदा जारी की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि एस पी एम होशंगाबाद (सितंबर 2013) में निदेशक (तकनीकी), एस पी एम सी आई एल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें अगले दो वित्तीय वर्षों के लिए केवल 1200 मीट्रिक टन कम मूल्यवर्ग के कागज का उत्पादन किया जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके लिए 8.4 मीट्रिक टन सुरक्षा धागे की मात्रा पर्याप्त थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि इस निविदा के प्रति, यूनिट ने सी डब्ल्यू बी एन<sup>49</sup> पेपर के उत्पादन के लिए संशोधित आवश्यकता को जानने के बावजूद मार्च 2014 में क्रमशः दो विक्रेताओं से छः मीट्रिक टन और नौ मीट्रिक टन एम एस टी की खरीद की जिसका उपयोग कम मूल्यवर्ग के बैंक नोटों की छपाई के लिए किया जाना था। इसके अलावा, सुरक्षा धागे की शेल्व लाइफ का पता लगाये बिना खरीद की गई थी। सुरक्षा धागे की शेल्व लाइफ निविदा दस्तावेज के तकनीकी विनिर्देश का हिस्सा नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप एम एस टी की अधिक खरीद हुई जिसका बाद के उत्पादन में उपयोग नहीं किया जा सका इसके परिणामस्वरूप एम एस टी की राशि ₹7.82 करोड़ का उपयोग नहीं हुआ।

<sup>49</sup> सी डब्ल्यू बी एन - सिलेंडर मोल्ड वैट मोड वॉटरमार्क वाला बैंक नोट

## वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

यह स्टॉक पांच साल से अधिक समय से स्टोर में बेकार<sup>50</sup> पड़ा हुआ था और इस स्टॉक रजिस्टर में ₹1<sup>51</sup> रुपये के निवल वसूली योग्य मूल्य (एन आर वी) के साथ अनुपयोगी वस्तु के रूप में वर्गीकृत किया गया था जो यह दर्शाता है कि कच्चे माल का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है।

जनवरी 2022 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर, एस पी एम होशंगाबाद ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि सुरक्षा धागे जैसी सुरक्षा वस्तुओं की खरीद में अधिक समय लगने के कारण, कॉर्पोरेट कार्यालय से दो वर्ष की उत्पादन योजना हेतु एम एस टी जैसी सुरक्षा सुविधाओं की खरीद करने का निर्देश था और तदनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए प्रारंभिक मांग योजना के अनुसार खरीद की गई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के इंडेंट (उत्पादन लक्ष्य) में परिवर्तन और नई पेपर मशीन-5 को चालू करने में देरी और मशीन के लंबे समय तक रुकने के परिणामस्वरूप एम एस टी का स्टॉक जमा हो गया, जिससे अनुपयोगी स्टॉक और अवरुद्ध इन्वेंट्री एकत्रित हो गयी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एस पी एम होशंगाबाद ने सितंबर 2013 में आयोजित समीक्षा बैठक में निर्धारित संशोधित लक्ष्यों पर विचार किए बिना एम एस टी के 15 मीट्रिक टन की खरीद के लिये सहमति दे दी। पेपर मशीन-5 पर कम मूल्यवर्ग के बैंक नोट का उत्पादन किया जाना था जिसके लिए अक्टूबर 2013 में नई सी डब्ल्यू बी एन पेपर मशीन स्थापित और चालू की जानी थी। मशीनरी के चालू होने में देरी और खराब होने के कारण इस पर अप्रैल 2015 में ही व्यावसायिक रूप से काम करना शुरू किया जा सका। ऐसे परिदृश्य में, समीक्षा समिति द्वारा सम्पादित घटी हुई मांग पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए थी। यूनिट ने स्वीकार किया (नवंबर 2022) कि उसे इस वस्तु की शेल्फ लाइफ के बारे में जानकारी नहीं थी और न ही यह शेल्फ लाइफ निविदा दस्तावेज के तकनीकी विनिर्देश का हिस्सा थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, कॉर्पोरेट प्रधान कार्यालय ने आर बी आई के परामर्श से भविष्य की खरीद के लिए निविदा दस्तावेजों में एम एस टी के शेल्फ लाइफ के विनिर्देशों को शामिल करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए (जनवरी 2022)। इसके बाद, आर बी आई ने निविदा / अनुबंध दस्तावेज में शिपमेंट की तारीख से न्यूनतम 12 महीने की शेल्फ लाइफ निर्दिष्ट करने की भी सलाह दी (जून 2022)।

इस प्रकार, एस पी एम होशंगाबाद मार्च 2014 में समीक्षा बैठक के अनुसार पुनर्मूल्यांकन मात्रा पर विचार किए बिना एम एस टी की अधिक खरीद के लिये सहमति दे दी और इस तथ्य को

<sup>50</sup> यूनिट ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि खरीदे गए सुरक्षा धागे की शेल्फ लाइफ पहले ही समाप्त हो चुकी है और इसे आगे उपयोग नहीं किया जा सकता है।

<sup>51</sup> 31 मार्च 2020 को धीमी गति से चलने वाली और न चलने वाली वस्तुओं की सूची में क्रम संख्या 2264

भी अनदेखा कर दिया कि उत्पादन के लिए नई मशीन अभी स्थापित की जानी है। इसके परिणामस्वरूप स्टॉक एकत्रित हो गया और ₹7.82 करोड़ का व्यर्थ व्यय हुआ।

एस पी एम सी आई एल और मंत्रालय के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2023)।



(रोली शुकला माल्गे)

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा  
वित्त एवं संचार

नई दिल्ली

दिनांक: 19 जुलाई 2023

प्रतिहस्ताक्षरित



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक: 21 जुलाई 2023







परिशिष्ट एवं अनुलग्नक



परिशिष्ट-1

(पैराग्राफ 1.6.1.5, 1.6.2.3, 1.7.3 और 1.8.1.3 का सन्दर्भ लें)

संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई), वित्त मंत्रालय और सांख्यिकीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई) के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विवरण

क्र.सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
<b>संचार मंत्रालय</b>					
<b>दूरसंचार विभाग</b>					
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	100	12,500	19052.59	(6981.62)
2	बी एस एन एल टॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	बी एस एन एल की सहायक कंपनी		0.85	(0.25)
3	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	56.25	354.38	1696.90	(2602.50)
4	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड (एम टी एल)	एम टी एन एल की सहायक कंपनी		0.31	0.20
5	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बी बी एन एल)	100	60	1515.31	(2.48)
6	मिलेनियम इनफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड	परिसमापन के तहत			
7	आई टी आई लिमिटेड	97.80	1204.45	2115.29	121.06
8	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड (टी टी एल)	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		0.02	(10.44)
9	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टी सी आई एल)	100	59.20	1595.69	30.33
10	लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		3.44	(5.20)
11	बीना टोल रोड लिमिटेड	टी सी आई एल की सहायक कंपनी		13.64	0.08
<b>कुल</b>			14,178.03	25,994.35	(9,450.84)
<b>डाक विभाग</b>					
12	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक	100	1455	461.20	(982.49)
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>					
13	नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इन्फॉर्मेटिक्स	100	2.00	1477.64	46.17
14	सी एस सी ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड			1804.92	141.01

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	सी पी एस यू का नाम	प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार के निवेश का प्रतिशत	प्रदत्त शेयर पूंजी निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	राजस्व (₹ करोड़ में)	लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)
15	सी एस सी वाई-फाई चौपाल	सी एस सी की सहायक कंपनी		219.79	13.60
16	एस सी एस ग्रामीण ई स्टोर	सी एस सी की सहायक कंपनी		7.05	0.88
17	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	100	-	143.06	1.43
<b>कुल</b>			<b>2.00</b>	<b>3,652.46</b>	<b>203.09</b>
<b>वित्त मंत्रालय</b>					
<b>आर्थिक कार्य विभाग</b>					
18	सिक्वोरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एस पी एम सी आई एल)	99.99	987.50	4268.12	689.19
19	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (बी एन पी एम आई पी एल)	एस पी एम सी आई एल और बी आर बी एन एम पी एल का संयुक्त उद्यम	800	1023.68	184.40
20	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)	आर बी आई की सहायक कंपनी	1800	2765.48	436.86
21	नेशनल इंवेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड (एन आई आई एफ टी एल )	100	0.02	0.22	0.02
<b>कुल</b>			<b>3,587.52</b>	<b>8,057.5</b>	<b>1,310.57</b>

परिशिष्ट-II

(पैराग्राफ 1.12 का सन्दर्भ लें)

ए टी एन की संक्षिप्त स्थिति

31 जनवरी 2023 तक संचार मंत्रालय (एम ओ सी), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम ई आई टी वाई) और वित्त मंत्रालय के अधीन विभागों से प्रतीक्षित

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	प्राप्त ही नहीं हुए	पत्राचार के तहत
<b>संचार मंत्रालय</b>				
<b>डाक विभाग</b>				
1	2021 की 03	1	-	1
2	2022 की 15	5	1	4
	<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>
<b>दूरसंचार विभाग</b>				
1	2018 की 21	1	-	1
2	2021 की 03	2	-	2
3	2022 की 02	1	-	1
4	2022 की 15	2	-	2
	<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>6</b>
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>				
1	2021 की 03	1	-	1
2	2021 की 24	1	-	1
3	2022 की 15	2	-	2
	<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>4</b>
<b>व्यय विभाग</b>				
1	2018 की 04	1	-	1
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>आर्थिक मामलों का विभाग</b>				
1	2021 की 06	1	-	1
2	2022 की 18	1	-	1
3	2022 की 32	1	1	-
	<b>कुल</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>20</b>	<b>02</b>	<b>18</b>

परिशिष्ट-III

(पैराग्राफ 1.13 का सन्दर्भ लें)

31 जनवरी 2021 तक एम ओ सी, एम ई आई टी वाई और एम ओ एफ के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्रतीक्षित ए टी एन की संक्षिप्त स्थिति

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	प्राप्त ही नहीं हुए	पत्राचार के तहत
<b>संचार मंत्रालय</b>				
<b>भारत संचार निगम लिमिटेड</b>				
1	2000 की 6	2	शून्य	2
2	2001 की 6	2	शून्य	2
3	2002 की 6	1	शून्य	1
4	2003 की 5	5	शून्य	5
5	2004 की 5	2	शून्य	2
6	2005 की 5	2	शून्य	2
7	2006 की 9 (पी ए)	2	शून्य	2
8	2006 की 13	4	शून्य	4
9	2007 की 10 (पी ए)	1	शून्य	1
10	2007 की 12	6	शून्य	6
11	2008 की 9 (पी ए)	1	शून्य	1
12	2008 की 10 सी ए	1	शून्य	1
13	2008 की 12 सी ए	5	शून्य	5
14	2009-10 की 09	1	शून्य	1
15	2009 की 25 सी ए	4	शून्य	4
16	2011-12 की 3	3	शून्य	3
17	2012-13 की 8	2	शून्य	2
18	2015 की 20	1	शून्य	1
19	2016 की 29	1	शून्य	1
20	2018 की 21	1	शून्य	1
21	2021 की 03	1	शून्य	1
22	2022 की 15	1	शून्य	1
	<b>कुल</b>	<b>49</b>	<b>शून्य</b>	<b>49</b>
<b>महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड</b>				
1	1999 की 3	1	शून्य	1
2	2004 की 5	1	शून्य	1
3	2007 की 10 (पी ए)	1	शून्य	1
4	2007 की 12	1	शून्य	1
5	2008 की 12 सी ए	1	शून्य	1
6	2022 की 15	1	1	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संख्या और वर्ष	ए टी एन देय	प्राप्त ही नहीं हुए	पत्राचार के तहत
<b>आई टी आई लिमिटेड</b>				
1	2007 की 10	1	शून्य	1
2	2007 की 12	1	शून्य	1
3	2008 की 12	1	शून्य	1
4	2021 की 03	1	शून्य	1
	<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>शून्य</b>	<b>4</b>
<b>इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय</b>				
<b>नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज़ इन्कॉर्पोरेटेड</b>				
1	2015 की 55	1	शून्य	1
2	2017 की 21	1	शून्य	1
3	2021 की 03	1	1	शून्य
4	2022 की 15	1	1	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>वित्त मंत्रालय</b>				
<b>भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (बी आर बी एन एम पी एल)</b>				
1	2022 की 15	1	1	शून्य
	<b>कुल</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>शून्य</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>64</b>	<b>4</b>	<b>60</b>

परिशिष्ट-IV

(पैराग्राफ 1.14 का सन्दर्भ लें)

वर्ष 2021-22 के लिए स्वायत्त निकायों (ए बी) के संबंध में लेखों का प्रमाणन और प्रस्तुत करने का विवरण

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	लेखे जमा करने की देय तिथि	लेखे जमा करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	मुख्यालय को टिप्पणियाँ भेजने की तिथि	मुख्यालय के अनुमोदन की तिथि	प्रमाणपत्र / एस ए आर की देय तिथि	प्रमाणपत्र / एस ए आर की वास्तविक तिथि	दिनों में कुल विलंब	देरी का कारण	संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख
1	यू आई डी ए आई	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-6-22	7-7-22	04-8-22 से 24-9-22	31-10-22	2-11-22	4-11-22	3-11-22	कोई देरी नहीं		17-3-23
2	एस ई बी आई	वित्त मंत्रालय	30-6-22	15-7-22	25-7-22 से 26-8-22	22-11-22	6-12-22	12-11-22	6-12-22	24	प्रक्रियात्मक विलंब	अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है
3	ट्राई	संचार	30-6-22	11-7-22	18-7-22 से 12-8-22	31-10-22	3-11-22	8-11-22	10-11-22	2	प्रक्रियात्मक विलंब	3-2-23
4	ट्राई-सी पी एफ	संचार	30-6-22	13-6-22	30-6-22 से 06-7-22	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	11-10-22	20-9-22	कोई देरी नहीं		3-2-23
5	आई एफ एस सी ए		30-6-22	24-8-22	27-9-22 से 14-10-22	30-12-22	10-1-22	22-12-22	12-11-22	कोई देरी नहीं		अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है
<b>वर्ष 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) के संबंध में लेखों का प्रमाणन और प्रस्तुत करने का विवरण</b>												
1	बी एस एन एल	संचार	30-6-22	30-5-22	6-6-22 से 19-7-22	02-9-22	16-9-22	29-7-22	16-9-22	49	प्रक्रियात्मक विलंब	
2	बी टी सी एल	संचार	30-6-22	10-6-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			9-8-22	19-7-22	कोई देरी नहीं		



क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	लेखे जमा करने की देय तिथि	लेखे जमा करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	मुख्यालय को टिप्पणियाँ भेजने की तिथि	मुख्यालय के अनुमोदन की तिथि	प्रमाणपत्र / एस ए आर की देय तिथि	प्रमाणपत्र / एस ए आर की वास्तविक तिथि	दिनों में कुल विलंब	देरी का कारण	संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख
3	एम टी एन एल	संचार	30-6-22	9-6-22	20-6-22 से 15-7-22	1-9-22	9-9-22	8-8-22	9-9-22	32	प्रक्रियात्मक विलंब	
4	एम टी एल	संचार	30-6-22	16-6-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			15-8-22	26-7-22	कोई देरी नहीं		
5	सी एस सी ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-6-22	23-9-22	23-9-22 से 10-10-22	20-12-22	27-12-22	22-11-22	30-12-22	38	प्रक्रियात्मक विलंब	
6	सी एस सी वाई-फाई चौपाल	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-6-22	21-6-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			20-8-22	19-7-22	कोई देरी नहीं		
7	आई टी आई	संचार	30-6-22	6-6-22	06-6-22 से 18-6-22	19-7-22	5-8-22	5-8-22	5-8-22	कोई देरी नहीं		
8	टी सी आई एल	संचार	30-6-22	11-8-22	22-8-22 से 26-8-22, 05-9-22 से 14-9-22, 27-9-22 से 03-10-22	18-10-22	9-11-22	10-10-22	9-11-22	30	प्रक्रियात्मक विलंब	
9	टी सी आई एल एल टी आर एल	संचार	30-6-22	4-8-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			3-10-22	30-8-22	कोई देरी नहीं		
10	टी सी आई एल बी टी आर एल	संचार	30-6-22	27-7-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			25-9-22	30-8-22	कोई देरी नहीं		
11	टी टी एल	संचार	30-6-22	25-8-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			24-10-22	31-8-22	कोई देरी नहीं		
12	आई पी पी बी	संचार	30-6-22	5-7-22	12-7-22 से 27-7-22	23-8-22	31-8-22	3-9-22	2-9-22	कोई देरी नहीं		

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र. सं.	संगठन का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	लेखे जमा करने की देय तिथि	लेखे जमा करने की वास्तविक तिथि	लेखापरीक्षा की अवधि	मुख्यालय को टिप्पणियाँ भेजने की तिथि	मुख्यालय के अनुमोदन की तिथि	प्रमाणपत्र / एस ए आर की देय तिथि	प्रमाणपत्र / एस ए आर की वास्तविक तिथि	दिनों में कुल विलंब	देरी का कारण	संसद में प्रस्तुतीकरण की तारीख
13	एन आई सी एस आई	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-6-22	29-7-22	10-8-22 से 06-9-22	27-9-22	29-9-22	27-9-22	29-9-22	2	प्रक्रियात्मक विलंब	
14	बी बी एन एल	संचार	30-6-22	1-8-22	22-8-22 से 02-9-22	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	30-9-22	16-9-22	कोई देरी नहीं		
15	डी आई सी	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-6-22	5-12-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			3-2-23	28-12-22	कोई देरी नहीं		
16	एस पी एम सी आई एल	वित्त	30-6-22	1-7-22	14-7-22 से 11-8-22	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	30-8-22	16-9-22	17	प्रक्रियात्मक विलंब	
17	बी आर बी एन एम पी एल	वित्त	30-6-22	16-9-22	19-9-22 से 07-10-22	31-10-22	9-11-22	15-11-22	10-11-22	कोई देरी नहीं		
18	बी एन पी एम आई पी एल	वित्त	30-6-22	28-7-22	01-8-22 से 05-8-22	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	26-9-22	16-9-22	कोई देरी नहीं		
19	एन आई आई एफ टी एल	वित्त	30-6-22	16-8-22	लेखापरीक्षा नहीं की गई			15-10-22	30-8-22	देरी नहीं		
20	एम आई एस एल	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी			परिसमापन के तहत							
21	सी एस सी ग्रामीण ई स्टोर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी	30-6-22	21-6-22	27-6-22 से 08-7-22	नहीं भेजा गया	लागू नहीं	20-8-22	12-8-22	कोई देरी नहीं		

अनुलग्नक-2.1

(पैराग्राफ 2.1.1.3 का सन्दर्भ लें)

डाक विभाग की विरासत इमारतों का विवरण

क्र.सं	परिमंडल का नाम	विरासत भवन का नाम	निर्माण का वर्ष	डी ओ पी द्वारा पहचान का वर्ष	टिप्पणियां
1	बिहार	जी पी ओ पटना	1912-13	1993	लेखापरीक्षा की गई
2		भागलपुर एच पी ओ	1919	1993	लेखापरीक्षा की गई
3		पी टी सी-दरभंगा	1934	1993	लेखापरीक्षा की गई
4	दिल्ली	नई दिल्ली जी पी ओ	1930	1993	लेखापरीक्षा की गई
5		दिल्ली जी पी ओ	1885	1993	लेखापरीक्षा की गई
6	हिमाचल प्रदेश	मंडी एच पी ओ	1906	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
7		छोटा शिमला पी ओ	1882	1993	लेखापरीक्षा की गई
8		अम्बेडकर चौक पी ओ	1912-13	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
9		कसौली पी ओ	1886	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
10		शिमला जी पी ओ	1882	1993	लेखापरीक्षा की गई
11	कर्नाटक	ब्यूलियू-परिमंडल बेंगलुरु कार्यालय	1872	1993	लेखापरीक्षा की गई
12		पी टी सी मैसूर	1914	1993	लेखापरीक्षा की गई
13		संभाग कार्यालय-बेल्लारी	1870	1993	लेखापरीक्षा की गई
14	केरल	मंडल कार्यालय टी वी एम	1905	1993	लेखापरीक्षा की गई
15	महाराष्ट्र	जी पी ओ नागपुर	1939 से पहले	1993	लेखापरीक्षा की गई
16		डी ए पी नागपुर	1939 से पहले	1993	लेखापरीक्षा की गई
17		पुणे एच पी ओ	1928	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
18		जी पी ओ मुंबई	1913	1993	लेखापरीक्षा की गई
19		एच पी ओ पणजी	1834	1993	लेखापरीक्षा की गई
20	पंजाब	एच पी ओ अमृतसर	1926-27	1993	लेखापरीक्षा की गई
21	उत्तर प्रदेश	सी पी एम जी कार्यालय, लखनऊ	1916-17	1993	लेखापरीक्षा की गई
22		जी पी ओ लखनऊ	1932	1993	लेखापरीक्षा की गई
23		वाराणसी एच पी ओ	1937	1993	लेखापरीक्षा की गई
24		वाराणसी सिटी पोस्ट ऑफिस	1922	1993	लेखापरीक्षा की गई
25		आगरा एच पी ओ	1913	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं	परिमंडल का नाम	विरासत भवन का नाम	निर्माण का वर्ष	डी ओ पी द्वारा पहचान का वर्ष	टिप्पणियां
26	तमिलनाडु	जी पी ओ चेन्नई	1884	1993	लेखापरीक्षा की गई
27		उधगमंडलम एच पी ओ	1826	1993	लेखापरीक्षा की गई
28		नागपट्टिनम एच पी ओ	1920	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
29	पश्चिम बंगाल	कोलकाता जी पी ओ	1864-68	1993	लेखापरीक्षा की गई
30		आर एल ओ, कोलकाता	1890	1993	लेखापरीक्षा की गई
31		बेरहामपुर एच ओ	1767	1993	लेखापरीक्षा की गई
32		बरुईपुर एच पी ओ	1860	1993	लेखापरीक्षा की गई
33		दार्जिलिंग एच ओ	1921	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
34		कूच बहार एच पी ओ	1925	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
35		अलीपोर एच पी ओ	1915	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई
36		डायमंड हार्बर एच पी ओ	1920	1993	लेखापरीक्षा नहीं की गई

**अनुलग्नक-2.2**  
(संदर्भ: पैरा 2.2 (क))

2018-19 to 2021-22 अवधि के लिए प्रत्यक्ष एजेंट / क्षेत्रीय अधिकारियों को भुगतान किये गये कमीशन पर जी एस टी का भुगतान न करने वाला विवरण

क्रं सं	परिमंडल का नाम	क्षेत्रीय अधिकारियों की पी एल आई / आर पी एल आई को कमीशन का भुगतान	प्रत्यक्ष एजेंट की पी एल आई / आर पी एल आई को कमीशन का भुगतान	कुल भुगतान किया गया कमीशन	9% पर देय सी जी एस टी	9% पर देय एस जी एस टी	कुल भुगतान किया जाने वाला जी एस टी	कुल भुगतान जी एस टी	कुल बकाया जी एस टी (₹ में)
1	केरल	30,48,474	4,84,41,578	5,14,90,052	46,34,105	46,34,105	92,68,209	0	92,68,209
2	राजस्थान	16,13,418	1,16,19,194	1,32,32,612	11,90,935	11,90,935	23,81,870	0	23,81,870
3	गुजरात	6,70,79,952	16,89,40,236	23,60,20,188	2,12,41,817	2,12,41,817	4,24,83,634	0	4,24,83,634
4	तमिलनाडु	1,39,42,057	38,71,620	1,78,13,677	16,03,231	16,03,231	32,06,462	0	32,06,462
5	कर्नाटक	93,98,359	81,42,45,995	82,36,44,354	7,41,27,992	7,41,27,992	14,82,55,984	28,30,946	14,54,25,038
6	जम्मू और कश्मीर	8,86,141	4,24,021	13,10,162	1,17,915	1,17,915	2,35,829	0	2,35,829
7	तेलंगाना	61,22,396	12,23,65,679	12,84,88,075	1,15,63,927	1,15,63,927	2,31,27,854	0	2,31,27,854
8	आन्ध्र प्रदेश	17,86,96,471	13,67,94,119	31,54,90,590	2,83,94,153	2,83,94,153	5,67,88,306	0	5,67,88,306
9	मध्य प्रदेश	6,52,85,841	2,55,15,705	9,08,01,546	81,72,139	81,72,139	1,63,44,278	0	1,63,44,278
10	छत्तीसगढ़	55,51,633	2,06,24,472	2,61,76,105	23,55,849	23,55,849	47,11,699	0	47,11,699
11	उड़ीसा	13,15,852	21,22,24,073	21,35,39,925	1,92,18,593	1,92,18,593	3,84,37,187	0	3,84,37,187
12	बिहार सर्कल	24,34,240	3,76,48,478	4,00,82,718	36,07,445	36,07,445	72,14,889	0	72,14,889
13	झारखंड	11,45,478	2,06,55,171	2,18,00,649	19,62,058	19,62,058	39,24,117	0	39,24,117

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्रं सं	परिमंडल का नाम	क्षेत्रीय अधिकारियों की पी एल आई / आर पी एल आई को कमीशन का भुगतान	प्रत्यक्ष एजेंट की पी एल आई / आर पी एल आई को कमीशन का भुगतान	कुल भुगतान किया गया कमीशन	9% पर देय सी जी एस टी	9% पर देय एस जी एस टी	कुल भुगतान किया जाने वाला जी एस टी	कुल भुगतान जी एस टी	कुल बकाया जी एस टी (₹ में)
14	पश्चिम बंगाल	35,65,40,036	0	35,65,40,036	3,20,88,603	3,20,88,603	6,41,77,206	0	6,41,77,206
15	हिमाचल प्रदेश	2,46,75,805	1,07,38,526	3,54,14,331	31,87,290	31,87,290	63,74,580	9,25,956	54,48,624
16	महाराष्ट्र	3,87,84,264	4,30,11,781	8,17,96,045	73,61,644	73,61,644	1,47,23,288	1,31,25,165	15,98,123
	<b>कुल</b>	<b>77,65,20,417</b>	<b>1,67,71,20,648</b>	<b>2,45,36,41,065</b>	<b>22,08,27,696</b>	<b>22,08,27,696</b>	<b>44,16,55,392</b>	<b>1,68,82,067</b>	<b>42,47,73,325</b>

**अनुलग्नक-2.3**  
(सन्दर्भ: पैराग्राफ 2.2 (ख))

माल और सेवा कर (जी एस टी) की गैर / कम कटौती दर्शाने वाला अनुलग्नक

क्र.सं.	परिमंडल का नाम	वर्ष	सकल राशि (करोड़ में)	जी एस टी राशि का भुगतान न करना (करोड़ में)	जी एस टी राशि का कम भुगतान (करोड़ में)	कुल राशि (करोड़ में)
1	असम	जून 2018 से अप्रैल 2022	6.68	0.37	0.06	0.43
2	पश्चिम बंगाल	जून 2018 से अगस्त 2021	5.6	0.38	0.03	0.41
3	पूर्वोत्तर	जून 2018 से नवंबर 2021	0.75	0.11	-	0.11
4	कर्नाटक	जून 2018 से जनवरी 2022	11.7	0.56	0.08	0.64
5	राजस्थान	जून 2018 से अप्रैल 2022	5.8	0.89	-	0.89
6	गुजरात	जून 2018 से अप्रैल 2022	3.63	0.23	0.03	0.26
7	तमिलनाडु	जून 2018 से नवंबर 2019	1.2	0.18	-	0.18
8	महाराष्ट्र (मुम्बई)	जून 2018 से अप्रैल 2022	9.81	1.5	-	1.5
9	बिहार	मई 2018 से मार्च 2022	3.94	0.6	-	0.6
10	झारखंड	जून 2018 से मार्च 2022	1.58	0.24	-	0.24
11	मध्य प्रदेश	जून 2018 से मार्च 2022	4.2	0.16	0.04	0.2
12	केरल	जून 2018 से अप्रैल 2022	0.23	0.04	-	0.04
13	आन्ध्र प्रदेश	मई 2018 से जनवरी 2022	14.98	2.28	-	2.28
14	तेलंगाना	जून 2018 से मार्च 2022	1.91	0.05	0.01	0.06
15	उड़ीसा	जून 2018 से मार्च 2022	2.57	0.39	-	0.39
16	दिल्ली	मई 2018 से जनवरी 2022	2.65	0.41	-	0.41

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	परिमंडल का नाम	वर्ष	सकल राशि (करोड़ में)	जी एस टी राशि का भुगतान न करना (करोड़ में)	जी एस टी राशि का कम भुगतान (करोड़ में)	कुल राशि (करोड़ में)
17	जम्मू और कश्मीर	फरवरी 2019 से जुलाई 2022	0.07	0.01	-	0.01
18	हरियाणा	जुलाई 2019 से अप्रैल 2022	0.64	0.1	-	0.1
19	पंजाब	जून 2018 से अप्रैल 2022	3.18	-	0.04	0.04
20	उत्तराखंड	अप्रैल 2019 से सितंबर 2021	0.55	0.08	-	0.08
21	हिमाचल प्रदेश	जून 2018 से जुलाई 2022	0.86	0.13	-	0.13
		<b>कुल</b>	<b>82.53</b>	<b>8.71</b>	<b>0.29</b>	<b>9</b>

नोट: यूपी और छत्तीसगढ़ परिमंडलों के संबंध में सूचना को शून्य माना जा सकता है।



**अनुलग्नक-4.1**  
(संदर्भ: पैरा 4.1.2.1)

**फीको और आर ई एम के बीच भूमि पार्सल की विसंगतियां**

क्र.सं.	परिमंडल	फीको के अनुसार लैंड पार्सल	आर ई एम के अनुसार भूमि पार्सल	अंतर फीको-आर ई एम
1	अंडमान और निकोबार	49	56	-7
2	ए एल टी टी सी	6	7	-1
3	आंध्र प्रदेश	1,044	995	49
4	असम	274	358	-84
5	बिहार	104	349	-245
6	चेन्नई मेट्रो जिला	111	139	-28
7	छत्तीसगढ़	179	285	-106
8	कोर नेटवर्क (टी एक्स-पूर्व)	290	210	80
9	कोर नेटवर्क (टी एक्स-पूर्वोत्तरक्षेत्र)	226	110	116
10	कोर नेटवर्क (टी एक्स-उत्तर)	149	187	-38
11	कोर नेटवर्क (टी एक्स-दक्षिण)	114	113	1
12	कोर नेटवर्क (टी एक्स पश्चिम)	82	147	-65
13	गुजरात	1,618	1,676	-58
14	हरियाणा	226	226	0
15	हिमाचल प्रदेश	166	191	-25
16	आईसी (टी एंड डी)	4	6	-2
17	जम्मू और कश्मीर	65	82	-17
18	झारखंड	49	159	-110
19	कर्नाटक	1,209	1,338	-129
20	केरल	812	740	72
21	कोलकाता मेट्रो	70	75	-5
22	मध्य प्रदेश	2,358	1,717	641
23	महाराष्ट्र	1,785	1,734	51
24	पूर्वोत्तर-I	191	241	-50
25	पूर्वोत्तर-II	181	181	0
26	ओडिशा	362	455	-93
27	पंजाब	346	366	-20
28	राजस्थान	796	895	-99
29	सिक्किम	11	14	-3
30	तमिलनाडु	941	925	16
31	तेलंगाणा	727	1,025	-298

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	परिमंडल	फीको के अनुसार लैंड पार्सल	आर ई एम के अनुसार भूमि पार्सल	अंतर फीको-आर ई एम
32	यूपी (पूर्व)	645	749	-104
33	यूपी (पश्चिम)	243	299	-56
34	उत्तरांचल	81	90	-9
35	पश्चिम बंगाल	77	208	-131
	<b>कुल</b>	<b>15,591</b>	<b>16,348</b>	<b>-757</b>

अनुलग्नक-4.2

(संदर्भ: पैरा 4.1.2.4 (क))

₹100 करोड़ से कम मूल्य वाली रिक्त भूमि का विवरण

क्र.सं.	परिमंडल	भूमि की संख्या	खाली पड़ी जमीनों की संख्या	खाली भूमि का प्रतिशत	अतिरिक्त भूमि की पहचान की गई
1	महाराष्ट्र	1,716	362	21	8
2	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना	1,709	311	18	69
3	गुजरात	1,618	209	13	6
4	मध्य प्रदेश	1,362	237	17	32
5	कर्नाटक	1,309	349	27	0
6	तमिलनाडु	947	88	9	1
7	राजस्थान	838	129	15	0
8	केरल	743	69	9	1
9	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	742	146	20	100
10	ओडिशा	431	76	18	10
11	पंजाब	367	28	8	4
12	बिहार	354	43	12	0
13	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	293	42	14	34
14	असम	281	18	6	0
15	एस टी आर	256	124	48	0
16	पूर्वोत्तर -I	243	28	12	0
17	छत्तीसगढ़	235	12	5	0
18	हरियाणा	225	16	7	32
19	पश्चिम बंगाल	207	9	4	0
20	पूर्वोत्तर-II	206	40	19	0
21	ई टी आर	168	11	7	0
22	हिमाचल प्रदेश	157	58	37	4
23	झारखंड	155	8	5	1
24	एनटीआर	131	10	8	0
25	चेन्नई फोन	112	22	20	7
26	डब्ल्यू टी आर	91	0	शून्य	0
27	उत्तरांचल	79	11	14	4
28	कोलकाता फोन	72	4	6	4
29	अंडमान और निकोबार	49	12	24	0
30	एन टी पी	15	2	13	0
31	एस टी पी	10	9	90	0
	<b>कुल</b>	<b>15,121</b>	<b>2,483</b>	<b>16</b>	<b>317</b>

**अनुलग्नक-4.3**  
(संदर्भ: पैरा 4.1.2.4) (ख)

चरण-1 के तहत मुद्राकरण के लिए पहचान / अनुमोदित परिसंपत्तियां

क्र.सं.	परिसंपत्ति का नाम	अनुमानित बाजार मूल्य (₹ करोड़ में)
1	क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, ओल्ड बॉम्बे हाईवे, टेलीकॉम नगर एक्सटेंशन, गाचीबोवली, हैदराबाद	609.02
2	क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, राजपुरा बाई पास रोड, गांव नीलपुर, राजपुरा, पंजाब	111.39
3	बी एस एन एल स्टाफ कॉलोनी, चित्रा, राजकोट-भावनगर हाईवे, जिला-भावनगर, गुजरात	40.75
4	बी एस एन एल स्टाफ क्वार्टर्स, एए रोड, व्यास नगर, चेन्नई	1,651.49
5	जुहू वायरलेस कंपाउंड, सीटीएस नंबर जी-168/84-1टीपीएस-II, लिंकिंग रोड, सांताक्रुज (डब्ल्यू), मुंबई	979.04
6	टेलीफोन एक्सचेंज कंपाउंड, रेड हिल्स रोड, मीनाम्बेडु, अंबलूर, चेन्नई	132.70
7	बी एस एन एल टेलीकॉम फैक्ट्री, राइट टाउन, रानीताल चौक के पास, जबलपुर, मध्य प्रदेश	2,336.74
8	बी एस एन एल टेलीकॉम फैक्ट्री, गोपालपुर, बी बी टी रोड, पी एस महेशतला, पीओ सरकारपूल, कोलकाता	439.29
9	बी एस एन एल टेलीफोन एक्सचेंज, पी ओ मेघदूत, पी एस मध्यमग्राम, उत्तर 24 परगना जिला, कोलकाता	302.87
10	बी एस एन एल वायरलेस कंपाउंड, एल टी रोड गोरार्ड, बोरीवली (डब्ल्यू), मुंबई	5,151.55
11	बी एस एन एल टेलीकॉम फैक्ट्री टाउनशिप, सी टी एस नंबर 386, वी एन पूर्व मार्ग, देवनार, मुंबई	6,445.75
12	नंबर 45, वी एम स्ट्रीट, बी एस एन एल स्टाफ क्वार्टर, रोयापेड़ा, चेन्नई	292.87
13	ए एल टी टी सी, राजनगर, गाजियाबाद, यू पी	1,616.72
14	सी टी ओ बिल्डिंग, नीलम चौक, फरीदाबाद, हरियाणा	49.81
	<b>कुल</b>	<b>20,159.99</b>

**अनुलग्नक-4.4**  
(संदर्भ: पैरा 4.1.2.6)

**अतिक्रमण की गई भूमि का विवरण**

क्र.सं.	परिमंडल	ई आर पी-आर ई एम के अनुसार भूमि की कुल संख्या	अतिक्रमण
1	बी एस एन एल, सी ओ, नई दिल्ली	0	0
2	अण्डमान और निकोबार	56	2
3	आंध्र प्रदेश	995	1
4	तेलंगाना	717	4
5	असम	357	5
6	बिहार	349	0
7	छत्तीसगढ़	326	0
8	गुजरात	1,599	3
9	हरियाणा	226	0
10	हिमाचल प्रदेश	190	1
11	जम्मू और कश्मीर	82	1
12	झारखंड	159	0
13	कर्नाटक	1,244	4
14	केरल	740	3
15	मध्य प्रदेश	1,711	31
16	महाराष्ट्र	1,783	9
17	एनई-1	241	0
18	एनई-11	181	0
19	ओडिशा	455	3
20	पंजाब	365	3
21	राजस्थान	898	48
22	तमिलनाडु	925	1
23	यूपी पूर्व	855	8
24	यूपी पश्चिम	302	1
25	उत्तरांचल	90	1
26	पश्चिम बंगाल और सिक्किम	216	1
27	सी टी डी	76	1
28	सी एच टी डी	139	1
29	ई टी आर	226	1
30	डब्ल्यू टी आर	147	0
31	एन टी आर	187	0
32	एस टी आर	112	1
33	एस टी पी बैंगलोर	1	1
34	एन ई टी एफ	110	2

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

क्र.सं.	परिमंडल	ई आर पी-आर ई एम के अनुसार भूमि की कुल संख्या	अतिक्रमण
35	टी एफ मुंबई	2	0
36	टी एफ जबलपुर	6	0
37	टी एफ कोलकाता	9	0
38	ए एल टी टी सी+बी आर बी आर ए आई टी टी+ एन एटी एफ एम	7	0
39	निरीक्षण मंडल, जबलपुर	6	0
कुल योग		16,090	137

शब्दावली

ए ओ ए	संस्था के अंतर्नियम
ए बी	स्वायत्त निकाय
ए ई के	आधार नामांकन किट
ए एम ए एस आर	प्राचीन स्मारक, पुरातत्व स्थल और अवशेष
ए एम सी	वार्षिक रखरखाव अनुबंध
ए टी	स्वीकृति परीक्षण
ए टी एन	एक्शन टेकन नोट
बी बी एन एल	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड
बी एस एन एल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बी टी एस	बेस ट्रांसीवर स्टेशन
बी एन पी एम आई पी एल	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
बी आर बी एन एम पी एल	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
सी ए बी	केंद्रीय स्वायत्त निकाय
सी ए पी ई एक्स	पूँजीगत व्यय
सी सी ए	नियंत्रक संचार लेखा
सी-डी ए सी	उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र
सी-डी ओ टी	टेलीमैटिक्स के विकास के लिए केंद्र
सी डी आर	कॉल डिटेल् रिकॉर्ड्स
सी ई आर टी - ई एन	भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम
सी जी ए	महानियंत्रक लेखा
सी जी एम-बी डब्ल्यू	मुख्य महाप्रबंधक-बिल्डिंग वर्क्स
सी आई	समग्र संकेतक
सी एल आर	भू-अभिलेख अभिरक्षक
सी-एम ई टी	इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी के लिए सामग्री केंद्र
सी एन टी एक्स	कोर नेटवर्क ट्रांसमिशन
सी ओ पी यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समिति
सी पी डब्ल्यू डी	केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
सी आर ओ पी	व्यापक रेटिंग-आउट नीति
सी एस सी	सार्वजनिक सेवा केंद्र
सी एस आर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
सी टी डी पी	व्यापक दूरसंचार विकास योजना
डी डी ए	दिल्ली विकास प्राधिकरण
डी ई ए	आर्थिक मामलों का विभाग
डी ई जी एस	जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी
डी ई आई टी वाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डी आई सी	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
डी आई पी ए एम्	निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग
डी ओ ई	व्यय विभाग
डी ओ पी	डाक विभाग
डी ओ टी	दूरसंचार विभाग
ई आर एन ई टी	कंप्यूटर नेटवर्किंग में शिक्षा और अनुसंधान
ई आर पी	उद्यम संसाधन योजना
ई टी डी सी	इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेंटर

एफ आई सी ओ	वित्त और नियंत्रण
एफ वाई	वित्तीय वर्ष
जी एफ आर	सामान्य वित्तीय नियमावली
जी पी	ग्राम पंचायत
जी आर	कुल राजस्व
जी एस एम	मोबाइल संप्रेषण के लिए विश्वव्यापी व्यवस्था
जी एस टी	माल एवं सेवा कर
एच बी	विरासत इमारतें
एच टी डी	हैदराबाद दूरसंचार जिला
आई एंड बी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय
आई सी टी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आई डी आर	इंटरमीडिएट डेटा दर
आई एम आर आई	स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग
आई एन टी ए सी एच	कला और सांस्कृतिक विरासत के लिए भारतीय राष्ट्रीय ट्रस्ट
आई पी पी बी	इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक
आई टी आई	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड
आई यू ए सी	अंतर-विश्वविद्यालय त्वरक केंद्र
के एस ए डी	केरल राज्य पुरातत्व विभाग
के वाई सी	अपने ग्राहक को जानो
एल ए एन	लोकल एरिया नेटवर्क
एल डी	परिसमापन हर्जाना
एल एफ	लाइसेंस शुल्क
एल एम एस	शिक्षा प्रबंधन प्रणाली
एल एस ए	लाइसेंस सेवा क्षेत्र
एल डब्ल्यू ई	वामपंथी उग्रवाद
एम डी ओ	मोबाइल डेटा ऑफलोड
एम ई आई टी वाई	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
एम जी एन आर ई जी एस	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम एच ए डी ए	महाराष्ट्र गृहनिर्माण एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण
एम एच जेड	मेगा हर्ट्ज
एम ओ सी	संचार मंत्रालय
एम ओ एफ	वित्त मंत्रालय
एम ओ एस पी आई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एम ओ यू	समझौता जापन
एम पी एल ए डी	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास
एम एस एम ई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एम एस टी	चुंबकीय सुरक्षा धागा
एम टी एल	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड
एम टी एन एल	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
एन सी एफ	राष्ट्रीय संस्कृति कोष
एन जी ओ	गैर सरकारी संगठन
एन एच ए आई	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
एन आई सी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एन आई सी एफ	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस



एन आई सी एस आई	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक
एन आई ई एल आई टी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एन आई आई एफ टी एल	नेशनल इंवेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड
एन आई टी	निविदा आमंत्रण सूचना
एन आई एक्स आई	भारत का राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज
एन ओ सी	नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर
एन एस सी	राष्ट्रीय संचालन समिति
एन टी आई पी आर आई टी	नीति अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार संस्थान
ओ एंड एम	संचालन और रखरखाव
ओ पी ए पी	आउटडोर पब्लिक वाई-फाई एक्सेस पॉइंट्स
ओ पी ई एक्स	परिचालन व्यय
पी ए सी	लोक लेखा समिति
पी ई	परियोजना अनुमान
पी एफ एम एस	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
पी एल आई	डाक जीवन बीमा
पी एम जी दिशा	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान
पी एम यू	प्रोजेक्ट मोनिटरिंग यूनिट
पी आर एस जी	परियोजना समीक्षा और संचालन समूह
पी एस यू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आर ई एम	रियल एस्टेट मॉड्यूल
आर पी एल आई	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
एस ए एम ई ई आर	सोसाइटी फॉर एप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च
एस ए पी	सिस्टम, अनुप्रयोग और उत्पाद
एस ई बी आई	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एस एफ सी	स्थायी वित्त समिति
एस एच जी	स्वयं सहायता समूह
एस आई ए	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां
एस पी एम सी आई एल	सिक््योरिटीज प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एस पी	सेवा प्रदाता
एस पी वी	विशेष उद्देश्य वाहन
एस एस ए	माध्यमिक स्विचिंग क्षेत्र
एस टी पी आई	भारत के सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
एस टी क्यू सी	मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय
एस यू सी	स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क
टी सी आई एल	दूरसंचार कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड
टी सी एल	टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड
टी सी	प्रशिक्षण केंद्र
टी डी एस ए टी	दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण
टी ई सी	दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र
टी ई आर एम	दूरसंचार प्रवर्तन और संसाधन निगरानी
टी आर ए आई	भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण
टी एस पी	दूरसंचार सेवा प्रदाता
टी टी एल	तमिलनाडु दूरसंचार लिमिटेड
यू ए एल	यूनिवर्सल एक्सेस लेवी

वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 16

यू आई डी	विशिष्ट पहचान संख्या
यू आई डी ए आई	भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
यू एस ओ	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन
यू एस ओ एफ	यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिंगेशन फंड
यू एस पी	यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर
यू टी	केंद्र शासित प्रदेश
वी ई सी सी	परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोड्रॉन केंद्र
वी एल ई	ग्राम स्तरीय उद्यमी
वी आर एस	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना
डब्ल्यू एल एल	स्थानीय लूप में वायरलेस
डब्ल्यू पी सी	वायरलेस योजना और समन्वय स्कंध



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
<https://cag.gov.in>